खण्ड-321, अंक-5
गुरूवार, 9 वैशाख, शक संवत् 1898
(29 अप्रैल, 1976 ई0)

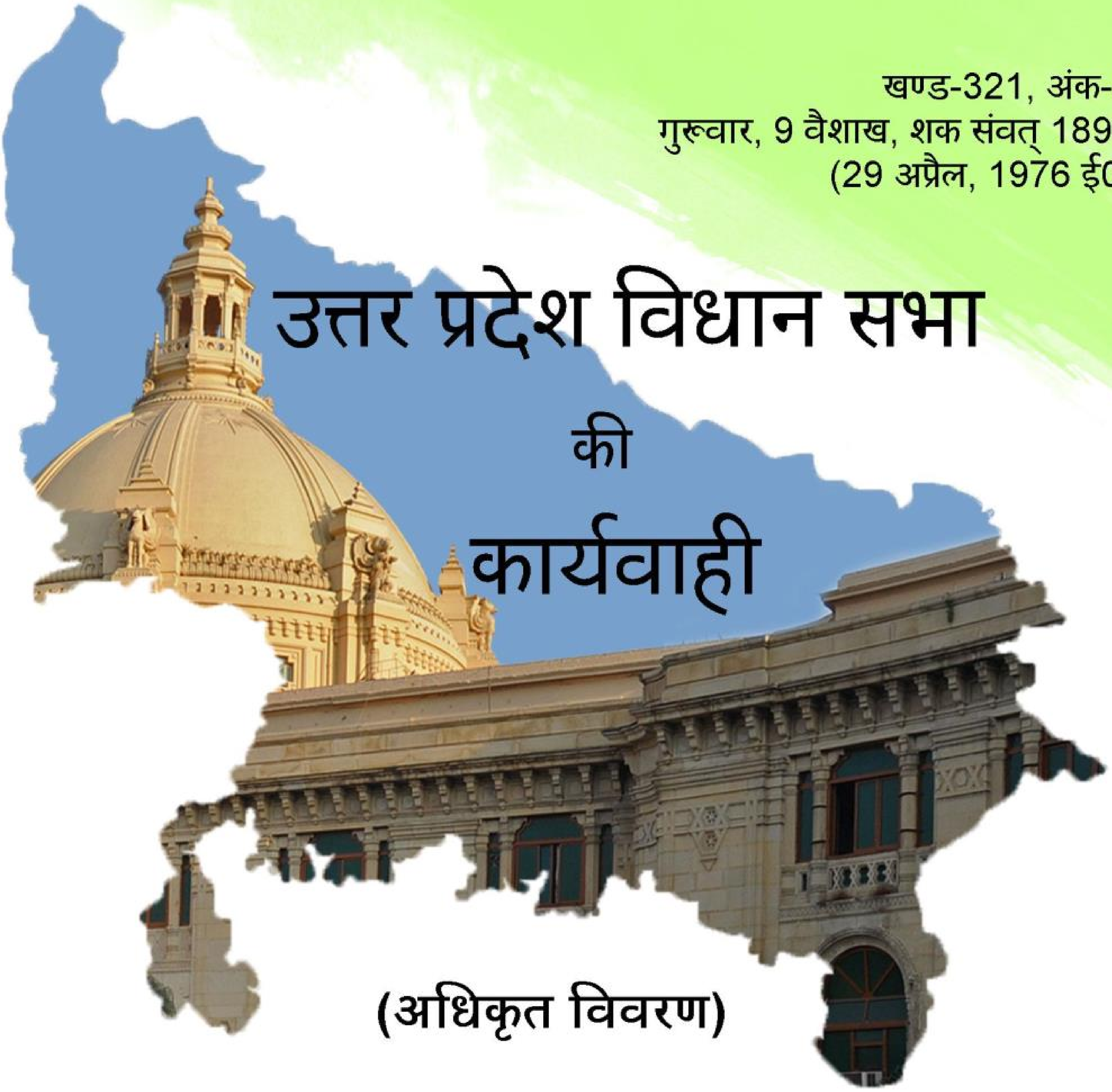

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 29 अप्रैल, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—221

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनवार मोहम्मद, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूबचन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
त्रिवेनी, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकुमार यादव, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवीसिंह, श्री

धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण,श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मालखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री

रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला बस्ती
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव चरन लाल, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल, ग्राम्य विकास राज्य मंत्री श्री हबीबर्रहमान नोमानी तथा विद्युत् राज्य मंत्री, श्री रमेन्द्र वर्मा भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 29 अप्रैल, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

*1—श्री मंजूर अहमद—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

निर्वाचन क्षेत्र, मुन्डेराबाजार, गोरखपुर के कतिपय ग्रामों में मिडवाइफ की नियुक्ति की मांग

*2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद गोरखपुर के निर्वाचन क्षेत्र, मुन्डेरा बाजार के ग्राम विशुनपुरा मटियरा, बरही, ठकुरा, मुन्डेरा, नौबा डुमरी, रायगंज, गहिरा बेलवा, बाबे-

गौनर (विशुनपुरा) जोधपुर में क्षेत्र विशालता में माताओं व शिशुओं की मौत आदि कारणों को देखते हुए एक-एक मिडवाइफ की नियुक्ति आगामी वित्तीय वर्ष में करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

जी नहीं ।

इन सभी गांवों से 1-3 कि0 मी0 की दूरी पर एक एक उपकेन्द्र स्थापित है, जिसमें मिडवाइफ अथवा परिवार कल्याण कार्यकर्त्री कार्यरत हैं। अतः हर ग्राम में मिडवाइफ की नियुक्ति किया जाना आवश्यक नहीं है ।

लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा नक्खास बाजार व ओल्ड पोस्ट आफिस में डी हाउसीज को दुकानों का आवंटन न किया जाना

*3—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा नक्खास बाजार तथा ओल्ड पोस्ट आफिस, हजरतगंज बाजार में डी हाउसीज को दुकानें आबंटन न कर अन्य व्यक्तियों को ये दुकानें आबंटित करने की शिकायतें शासन को गत कुछ मासों में प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो सरकार इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्रमोहनी)—

जी हां। शिकायतों पर प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ से आख्या मांगी गई थी। प्रश्नगत दुकानों के आवंटन में कोई अनियमितता नहीं हुई है ।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या सरकार बतायेगी कि नक्खास डी हाउसीज स्कीम के अन्तर्गत कितने हाउसेज थे और उनमें से कितनों को दुकानें एलाट की गयीं और कितनों को नहीं की गयीं ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

42 दुकानें थीं नक्खास स्कीम में। 42 को हटाया गया था, उनको दुकानें दी गयी थीं लेकिन 20 दुकानें तीन चार साल तक खाली पड़ी रही, जिनमें से 18 दुकानें बाहर वालों की दे दी गयी थीं ।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

बाहर वालों को दुकानें क्यों दी गयीं जब कि डी हाउसीज का क्लेम था और उनकी दुकानें देनी थी ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

तीन चार साल तक डी हाउसीज में कोई लेने नहीं आया जिससे नगरपालिका को काफी नुकसान हो रहा था इसलिये बाहर वालों को देना पड़ा।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

बाहर वालों को जो दुकानें एलाट की गयी हैं, क्या उनको आप कैंसिल करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

उन्हें कैंसिल करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

मेरी इस सूचना को सही मान कर कि वह हाई कोर्ट में, रिट में चले गये हैं और खारिज हो चुके हैं, सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

जैसी सूचना माननीय सदस्य बतला रहे हैं, उसे मंगाने की आवश्यकता है।

नगर क्षेत्र समिति, सादाबाद, मथुरा द्वारा बकाये की वसूली

*4—श्री रामप्रकाश यादव (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 25 फरवरी, 1975 तक नगर क्षेत्र समिति, सादाबाद, जनपद मथुरा का लगभग 5 लाख रुपया बकायेदारों पर बकाया है ? यदि हां, तो वह रुपया कितने वर्ष का है और अब तक न वसूल करने का क्या कारण है ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि बकाएदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

वर्ष 1971 से 1975 तक बकाएदारों पर बकाया की रकम रु0 1,52,194.88 बतायी गयी है। इसकी पुष्टि स्पेशल आडिट द्वारा करवा कर की जा रही है। इस रकम में से रु0 48,652.00 की वसूली न्यायालय द्वारा की जा रही है, रु0 30,142.00 वसूल हो चुके हैं तथा शेष रकम के लिये संबंधित व्यक्तियों को नोटिस दे दिया गया है।

[बृहस्पतिवार, 29 अप्रैल, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1-2—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[4थे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3-4 पर स्थानान्तरित।]

*3—श्री ऊदल—

[11वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

*4-5—श्री राम सुन्दर पांण्डेय—

[7वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3-4 पर स्थानान्तरित।]

*6—श्री बाबू लाल वर्मा—

[11वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित।]

*7—श्री बाबू लाल वर्मा—

[11वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

*8—श्री ऊदल—

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 पर स्थानान्तरित।]

आजमगढ़ के ग्राम लसड़ा खुर्द के आस पास विद्युतीकरण की मांग

*9—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के ब्लाक मारटीनगंज के ग्राम लसड़ा खुर्द एवं आस-पास के गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अब तक विद्युतीकरण न कराए जाने का क्या कारण है तथा सम्बन्धित ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जाएगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आजमगढ़ जनपद के ब्लाक मार्टिनगंज के ग्राम लसड़ा खुर्द एवं अन्य आस पास के ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये कोई योजना स्वीकृत नहीं की गई है। अतः ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत इनके विद्युतीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

संबंधित ग्रामों का विद्युतीकरण तभी संभव है जब कि इन ग्रामों से पर्याप्त संख्या मे प्रार्थना-पत्र 25 रु0 की अग्रिम धनराशि के साथ परिषद् के कार्यालय में प्राप्त हो जायें जिससे यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इससे 15 प्रतिशत प्रतिलाभ होने की आशा है तथा उपभोक्ता इतनी संख्या मे अनुबन्ध कर लें कि 10 प्रतिशत प्रतिलाभ तुरन्त मिल सके। जैसे ही आवश्यक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जायेंगे, संबंधित ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

*10—श्री मोहम्मद रफी खां—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 पर स्थानान्तरित।]

तहसील डेरापुर, कानपुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण योजना

*11—चौधरी रामपाल सिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के डेरापुर तहसील में आर0 ई0 सी0 और लीड बैंक के जरिए विद्युतीकरण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त दोनों अलग-अलग योजनायें क्या हैं और अब तक कितना इनके अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य कब तक पूर्ण होने का लक्ष्य है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कानपुर जनपद के डेरापुर तहसील में विद्युतीकरण की दो योजनायें चालू हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत एक योजना डेरापुर विकास खंड के लिये स्वीकृत हुई थी तथा हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक द्वारा एक लीड बैंक योजना झींझक विकास खंड एवं रसूलाबाद विकास खंड के लिये स्वीकृत हुई थी। इन दोनों योजनाओं के अन्तर्गत कार्य सम्पन्न होने का जो प्राविधान है वह संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 434 पर।)

टाउन एरिया, नगरपालिकाओं तथा नोटीफाइड एरियाज के चुनाव की मांग

*12—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिन-जिन टाउन एरिया, नगरपालिका तथा नोटीफाइड एरिया का कार्य-काल समाप्त हो गया है, क्या इनके चुनाव सरकार निकट भविष्य में कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

चुनाव के सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम म संशोधन प्रस्तावित है और उससे संबंधित बिल विधान सभा के प्रवर समिति के सम्मुख प्रस्तुत है। यह अधिनियम बन जाने पर ही सभी स्थानीय निकायों का सामान्य निर्वाचन कराया जाना संभव होगा।

लखनऊ दन्त चिकित्सालय व दन्त कालेज में रखे गये दान-पात्र द्वारा प्राप्त धनराशि

*13—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ दन्त चिकित्सालय व दन्त कालेज में किन-किन विभागों में दान पात्र रखे गए है और मार्च, 1974 से मार्च, 1975 तक इस प्रकार कितना धन प्राप्त हुआ तथा किस मद में खर्च किया गया तथा किस अधिकारी के द्वारा खर्चा किया गया?

श्री प्रभु नारायण—

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के दन्त विभाग के निम्न अनुभागों में एक एक दान पात्र रक्खे गये हैं—

1—ओरल सर्जरी सेक्शन
2—एक्स-रे सेक्शन
3—प्रोस्थेटिक्स सेक्शन
4—कनजरवेशन हाल
5—आर्थोडोनटिक्स सेक्शन
6—आपरेशन थियेटर।

1974–75 में कुल रु0 9,720.92 प्राप्त हुये तथा रु0 1,112.40 का डेन्टल मेटीरियल दन्त विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा क्रय किया गया जिससे सम्बन्धित बिल अधीक्षक, गांधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय को भुगतान हेतु भेज दिया गया।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति

*14—श्री अठईराम (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी पद के लिये कोई इन्टरव्यू फरवरी मास के अन्तिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह सन् 1975 में हुआ था? यदि हां, तो चुनाव लिस्ट कब तक प्रकाशित की जाएगी और नियुक्ति कब तक हो जाने की सम्भावना है?

श्री प्रभुनारायण—

चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति हेतु फरवरी के अंतिम सप्ताह एवं मार्च के प्रथम सप्ताह में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था। यह इंटरव्यू 27–1–75 से 1–2–75 तक किया गया और चुने गये 177 अभ्यर्थियों में से 150 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। शेष 27 अभ्यर्थियों की भी नियुक्तियां औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही कर दी जायंगी।

विभिन्न नगरमहापालिकाओं द्वारा सरकारी ऋणों का भुगतान

*15—श्री श्रीनारायण (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की विभिन्न नगर महापालिकाओं पर प्रदेश सरकार का कितना कर्ज बाकी है और क्या सभी नगरमहापालिकायें कर्जों का नियमित भुगतान कर रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रदेश की विभिन्न नगर महापालिकाओं पर प्रदेश सरकार के बकाये कर्जे की सूची संलग्न है। केवल नगर महापालिका, कानपुर अपने कर्जों का नियमित भुगतान कर रही है। शेष चार नगरमहापालिकायें अपनी धनाभाव के कारण अपने ऋणों का नियमित प्रतिदान नहीं कर पा रही हैं। शासन द्वारा नगरमहापालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधारे जाने पर बल दिया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 435 पर।)

राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों के वेतन-क्रम में उत्पन्न असंगति संबंधी गठित समिति

*16—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय वेतन मन्डल की अनुशंसा के आधार पर औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय से राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों के वेतनक्रम में कुछ अनियमिततायें (Anomaly) उत्पन्न हुयी थीं? यदि हां, तो उसके निवारण के लिय कोई अधिकारी नियुक्त किया गया है और क्या उसने इस सम्बन्ध में कोई आख्या दी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप कर्मचारियों के वेतन क्रमों में उत्पन्न असंगतियों को दूर करने के लिये शासन द्वारा जून, 1974 में एक समिति का गठन किया गया था जिसकी अन्तिम आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

जिस प्रकार की अनियमिततायें वेतन-क्रम में इंजीनियर्स के हुई हैं, उसी प्रकार की अनियमिततायें कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी हुई हैं, लेकिन इंजीनियर्स के सम्बन्ध में, राज्य विद्युत् परिषद् ने अपने तौर से निर्णय ले लिया लेकिन कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन ने एक समिति नियुक्त कर दी, जिस समिति की बैठक होती ही नहीं है, तो बैठक क्यों नहीं होती है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस समिति का गठन इसलिये किया गया था कि जो अनियमिततायें कर्मचारियों के सम्बन्ध में हैं, उन पर ठीक से विचार कर लिया जाय और ये फिर से रिपीट न हों और जल्दबाजी में जो चीजें कर ली जाती हैं, उनसे जो कठिनाई पैदा हो जाती है, वह पैदा न हो। उस समिति की बठकें हुई हैं और अब उस समिति का काम करीब-करीब पूरा हो गया है। अतएव माननीय सदस्य की शिकायत निराधार है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुये कि जून, 74 से जून 76 तक दो वर्ष हो गये, इस मामले में काफी समय लग गया और अभी तक मामला हल नहीं हुआ। तो क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में जितनी जल्दी हो सके, इसे हल कराने की कृपा करेंगी ताकि जो असंगतियां हैं; वे दूर हो सकें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आशा यही है कि 30 जून तक इस समिति का काम पूरा हो जायगा और उसके बाद जो एनोमलीज के सारे प्रश्न हैं, वे हल हो जायेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने अभी बताया कि एक ही विभाग में इंजीनियर्स के साथ जो एनोमलीज थीं, उनको तो स्वतः ही विद्युत् परिषद् ने ठीक कर दिया और उसी विभाग के कर्मचारियों के लिये आपने समिति बिठा दी। तो एक ही प्रतिष्ठान में दो मापदन्ड क्यों किये गये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बहुत से रिप्रिजेन्टेशन इन इम्पलाईज के आये थे जिनकी संख्या 140 थी। जो उनकी कैटेगरीज थीं, उनकी संख्या 545 थी। उनका मामला काफी हो जाता, इसलिये उनको देखने की जरूरत पड़ी। कर्मचारियों की संख्या भी अधिक थी, इसलिये उसके लिये कमेटी बिठाई गयी।

सिविल अस्पताल फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त कम्पाउन्डर, श्री मुकुट बिहारी लाल सक्सेना का जी० पी० फण्ड

*17—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

तारांकित प्रश्न संख्या 53, दिनांक 30 जुलाई, 1974 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि सेवा निवृत्त कम्पाउन्डर (श्री मुकुट बिहारी लाल सक्सेना) को उनके दिनांक 1 अप्रैल, 1964 के पूर्व के जी० पी० एफ० का भुगतान कौन सी तिथि को किया गया ? यदि अब तक नहीं किया गया, तो इसके लिये कौन-कौन व्यक्ति दोषी हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

श्री मुकुट बिहारी लाल सक्सेना ने 1 अप्रैल, 1964 से पूर्व जी० पी० एफ० में कोई अंशदान नहीं दिया था। अतः उसके भुगतान का प्रश्न नहीं उठता है।

मुरादाबाद स्थित मंझोला विद्युत् गृह का निरीक्षण

*18—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि 26 जनवरी, 1976 को मुरादाबाद जिले में स्थित मंझोला विद्युत् गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया और तमाम अनियमिततायें विद्युत् परिषद् सम्बन्धी मिली हैं ? यदि हां, तो वे अनियमिततायें कौन-कौन हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। परन्तु वह आकस्मिक निरीक्षण नहीं था। इस निरीक्षण में कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

जिला अस्पताल, फतेहगढ़ में नलकूप निर्माण हेतु एकत्रित चन्दा

*19—श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1975 में जिला अस्पताल फतेहगढ़ में नलकूप लगाने के लिये अट्ठारह हजार रुपए चन्दा एकत्रित किया गया तथा निदेशालय से इसे लगाने की स्वीकृति मांगी गई ? यदि हां, तो अब तक स्वीकृति न प्रदान किये जाने का क्या कारण है ?

श्री प्रभु नारायण—

स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

*20—श्री अनवार जमील—

[6ठे बुधवार म तारांकित प्रश्न संख्या 24 पर स्थानान्तरित ।]

कमालगंज विधान सभा क्षेत्र, फर्रुखाबाद की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

*21—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद के कमाल गंज विधान सभा क्षेत्र में हरिजन बस्तियों में बिजली लगाने हेतु कितने प्रार्थना पत्र गत वर्ष दिये गये और कितनी हरिजन बस्तियों में बिजली लगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

कमालगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से गत वर्ष (वर्ष 1975) में कुल 26 हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे। उनमें से 31-3-76 तक 6 ग्रामों की हरिजन बस्तियों (ग्राम-दिलावल, देवरामपुर, निनौरा, शंकलापुर, भैसियापुर, पुराभोज एवं औराई) का विद्युतीकरण किया जा चुका है, शेष 20 में से 4 ग्रामों की हरिजन बस्ती ग्राम (रजलामऊ, सराय प्रयाग, तेराजाकट एवं समधन) पहले से ही विद्युतीकृत थीं ।

एक हरिजन बस्ती, ग्राम अजमतपुर में खम्भे तथा तार भेजे गये परन्तु ग्रामवासियों द्वारा खम्भे खड़े करने के स्थान के बारे में विवाद उठ खड़ा होने के कारण काम रोक देना पड़ा।

शेष बस्तियों के प्रार्थना-पत्र फर्रुखाबाद जनपद के विभागीय अधिकारियों को माह फरवरी, 1976 के अन्त में प्राप्त हुये, इसलिये उनका विद्युतीकरण वर्ष 1975-76 में नहीं हो सका। उनका सर्वेक्षण एवं अंकलन का कार्य प्रगति में है।

श्री अनवार जमील—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हू कि मेरे माध्यम से कुल कितने प्रार्थना पत्र माननीय मंत्री जी को मिले ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी--

माननीय सदस्य की ओर से एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री जी को अक्टूबर, 1975 में गया था। एक प्रार्थना पत्र अभी फरवरी में ही फर्रुखाबाद के अधिकारियों के पास पहुंचा। कमालगंज विधान सभा क्षेत्र में 6 हरिजन बस्तियों को पहले ही इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया था जब कि स्कीम 24 की थी।

लघु औद्योगिक इकाइयों के रजिस्ट्रेशन की समाप्ति और उनसे वित्त निगम के ऋण की वसूली

*22--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में ग्यारह हजार लघु औद्योगिक इकाइयों के रजिस्ट्रेशन गत वर्ष रद्द कर दिए गए हैं? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*23--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिन लघु औद्योगिक इकाइयों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं उन्हें वित्त निगम द्वारा कुल कितना ऋण दिया गया, कितना ऋण वसूला जा चुका है तथा कितना शेष है?

श्री अजीजुर्रहमान--

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका, बांदा के अध्यक्ष द्वारा नजूल की भूमि पर अनधिकृत कब्जा संबंधी जांच रिपोर्ट

*24--श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी) तथा श्री ऊदल--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौजा तरोंहा में आराजी नं0 81-82, जिला परिषद् की नजूल व मौजा करवी माफी, तहसील करवी आराजी नं0 114 व 141 तथा मौजा गढ़ीवा के 435, 436, 445, 440 जो नजूल की है मौजा करवी के नं0 389/1 तथा मौजा गढ़ीवा के सार्वजनिक तालाब नं0 224 व 225 भीटा को तहसील करवी जिला बांदा में करबी नगरपालिका के अध्यक्ष ने हड़प लिया है जिसके सम्बन्ध में तहसील कम्युनिस्ट पार्टी करवी के मंत्री, श्री काशी प्रसाद चौरसिया ने एक 1975-76 में ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

जी हां। प्रश्नगत ज्ञापन में तहसील कम्युनिस्ट पार्टी कर्वी के मंत्री, श्री चौरसिया द्वारा जिला बांदा में कर्वी नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से जनाना चाहता हूं कि किस अधिकारी ने इस मामले की जांच की और उसने अपनी रिपोर्ट शासन को कब दी?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

जांच एस0 डी0 एम0 द्वारा हुई। इनक्वायरी रिपोर्ट आ गई है।

श्री ऊदल--

यह रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और शासन का निर्णय कब तक हो जायेगा?

श्रीमती इन्द्रमोहनी--

यह 6-1-1976 को शासन को प्राप्त हुई और अब जल्द ही इस पर निर्णय हो जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, यह रिपोर्ट 6 जनवरी को शासन को प्राप्त हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना समय विचार करने पर क्यों लग रहा है ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

अभी 6 तारीख को यह रिपोर्ट आई और सरकार के सामने रखी है। जैसा मैंने कहा कि यही कोशिश की जा रही है कि जल्दी निर्णय हो जाय।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, जिन जमीनों पर अवैध कब्जा है, जैसे नजूल की जमीन है या ग्राम सभा की जमीन है उन पर से अवैध कब्जा हटाने के लिये सरकार ने जमींदारी अबोलीशन कानून में संशोधन किया और अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया तो उसके लिये बल प्रयोग किया जाता है और इसी तरह से जिला परिषद् और म्युनिसिपैलिटी की जमीन पर जो अवैध कब्जा है उसको हटाने के लिये आप देख ही रहे हैं कि बुलडोजर चल रहे हैं। इसमें कौन सी कठिनाई आ रही है, शासन को कि कब्जा नहीं हटा रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

इसमें कोई कठिनाई नहीं आ रही है। शासन की तरफ से आदेश गये हैं, कि कोई अवैध कब्जा या हदबंदी है, उसको हटाया जाय। इसके आदेश जा चुके हैं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

इसमें बहुत स्पष्ट एलीगेशन लगाये गय थे कि फलां-फलां प्लाट पर नगरपालिका के अध्यक्ष का कब्जा है, जिसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि इन-इन नम्बरों पर कब्जा पाया गया। जो तथ्य थे उस रिपोर्ट के आने के बाद सामने आ गये हैं और वह सही हैं। यह रिपोर्ट में बताया गया है अब ऐक्शन लेना विचाराधीन है। तो कब तक यह कब्जा हटाया जायेगा ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

रिपोर्ट से ऐसा मालूम होता है कि एक जीना जो कि उन्होंने बनवाया है, उसके बारे में अभी मालूम होना है कि वह जमीन उनकी है या नहीं। उनका कहना है कि वह जमीन उनकी है, मगर वह अभी स्पष्ट नहीं हुआ। बाकी की अगर आप तफसील चाहते हैं, तो वह भी मेरे पास है। प्लॉट नं0 81, 82 पर इल्लीगल कब्जा नहीं है और प्लॉट नं0 114 पर भी इल्लीगल कब्जा नहीं है। प्लॉट नं0 141 पर जिसमें एक जीना 15 × 10 का बना है, उसके विषय में जैसा मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया उसको दिखवाया जा रहा है कि जमीन उनकी है या नहीं। अगर जमीन उनकी नहीं है तो शासन द्वारा उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा। रहा प्लाट नं0 142 जिसमें अध्यक्ष जी का घर है, वह उनका है। प्लॉट नं0 141 जिसके विषय में झगड़ा चल रहा है, उसकी बाउंडरी वाल अभी तक डिफाइन नहीं है। यह आदेश दिये गये हैं कि बाउडरी वाल डिफाइन करा ली जाय। कुछ जमीन पर चरागाह वगैरह हैं, जोकि उनकी जमींदारी के नहीं हैं। वह छोटे छोटे प्लाट हैं वह हर साल बिकते हैं। इनक्वायरी से मालूम हुआ कि उनकी बोली कोई बाहर का आदमी नहीं बोलता है और न ही लेता है।

*25—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 22 पर स्थानान्तरित।]

इन्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट के अधीन नियमावली बनाये जाने की मांग

*26—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इन्डस्ट्रियल ऐक्ट के अन्तर्गत बने नियमों को प्रदेश में लागू करने के सम्बन्ध में प्रदेशीय सरकार को फरवरी, 1976 में कोई पत्र भेजा है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री रमेन्द्र वर्मा)—

भारत सरकार से फरवरी, 1976 में इस आशय के पत्र प्राप्त हुये थे कि इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स् (एमेन्डमेन्ट) बिल को लागू करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाई जाय और प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किया जाय।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा कार्यवाई कर दी गई है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के गर्ल्स होस्टल का भवन

*27—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ के महिला होस्टल के भवन का निर्माण कब हुआ था ? और वह अब तक क्यों खाली पड़ा हुआ है ?

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री रामायण राय)—

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के गर्ल्स होस्टल का भवन अक्तूबर, 1974 में बनकर तयार हो गया। किन्तु पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण आवश्यक स्टाफ स्वीकृत नहीं हो सका जिसके कारण इस होस्टल का उपयोग नहीं हो पाया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सन् 1974 में यह बिल्डिंग तैयार हो गई और अभी तक विवरण नहीं मिला। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस अधिकारी को वह विवरण देना था और क्यों नहीं दिया ?

श्री रामायण राय—

ऐसा है कि इस होस्टल में चतुर्थ श्रेणी के इम्लाईज, जैसे कि हाऊस कीपर, चौकीदार, स्वीपर, स्वीपरेस आदि, इन पदों का सृजन होना था, इनका कहां से वेतन मिलेगा, इसका बजट में प्राविधान करना था। यह सारा ब्यौरा सन्निहित था, जिसकी वजह से यह रुका था। अब माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि स्टाफ की स्वीकृति शासन ने दे दिया है और अब यह होस्टल चालू हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये जो तमाम चीजें आपने बताईं, यह भवन निर्माण करने से पहले क्यों नहीं कर दी गई ?

श्री रामायण राय—

के0 जी0 मेडिकल कालेज में गर्ल्स होस्टल का कार्य जनवरी, 73 में तैयार हो गया था और डायनिंग हाल का कार्य सन् 74 में पूरा हुआ था। जो स्टाफ चाहिए था, उसके लिये निदेशक ने गर्ल्स होस्टल को सुसज्जित करने के लिये 1 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि के स्वीकृत करने की मांग की थी। जो शासन द्वारा स्वीकृत कर दी गई थी। उक्त पदों के सृजन के सम्बन्ध में यह नहीं बताया गया था कि इन पदों पर होने वाला व्यय कैसे वहन किया जाएगा। इस संबंध में बाद में दुबारा जो पत्र प्राप्त हुआ, उसमें भी यह इंगित नहीं किया गया था कि व्यय कसे वहन किया जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब आपने गर्ल्स होस्टल को बनाने के बारे में एस्टीमेट बनाया था, तो क्या उस समय सोचा था कि इन पदों का सृजन होना है या नहीं ? उस समय कोई प्रस्ताव इस बारे में रखा था या नहीं ?

श्री रामायण राय—

आमतौर से रिएलिस्टिक एस्टीमेट उसी को हम कहते हैं, जिधर माननीय सदस्य इंगित कर रहे हैं। मैंने तो केवल वस्तुस्थिति से आपको अवगत कराया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सन् 73 में ही इसका कुछ भाग बन गया, तो अभी तक यह बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है या प्रयोग में आ रही है ?

श्री रामायण राय—

अब इसका सवाल नहीं उठता। पदों की स्वीकृति मिल गई है, अनावर्तक अनुदान स्वीकृत कर दिया गया है, तो इसका प्रयोग शुरू हो जाएगा।

बहराइच जिले के विकास खंड इकौना क्षेत्र में एलोपैथिक अस्पताल की स्थापना की मांग

*28—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि विकास खंड इकौना, जनपद बहराइच में भकला और राप्ती नदियों के बीच बसा दोआबा क्षेत्र में कोई भी अस्पताल नहीं है जिससे हर वर्ष बरसात में दवा के अभाव में जनता को परेशानी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सेमरी तरहर अथवा मनोहरापुर में राजकीय अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

उक्त दोआबा क्षेत्र में जिला परिषद् का एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है। चिकित्सा बजट में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की कोई योजना न होने के कारण उक्त क्षेत्र में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलना सम्भव नहीं है।

देहरादून नगर में अवैध कब्जे हटाये जाने की कार्यवाही

*29—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून नगर में किन-किन मुहल्लों में अवैध अतिक्रमण के कारण दुकानों और मकानों के हिस्से गिरवाए गए हैं और किन-किन में नहीं ? जिन मुहल्लों में नहीं गिराए गए, उसका कारण क्या है ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

देहरादून नगर के अवैध अतिक्रमण के कारण नगरपालिका द्वारा निम्नलिखित मुहल्लों, बाजारों में दुकानों और मकानों क हिस्से गिरवाये गये हैं :—

1—पीपल मण्डी
2—पल्टन बाजार
3—दर्शनी गेट
4—सब्जी मंडी
5—आर्य समाज रोड
6—मोती बाजार
7—हनुमान चौक
8—झंडा बाजार
9—अखाड़ा मुहल्ला
10—गांधी रोड से सहारनपुर रोड।

अभी अतिक्रमण हटाने का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है नगर के अन्य मुहल्लों, बाजारों से प्राथमिकता के अनुसार अतिक्रमण हटाये जाने के विषय में भी कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि जो गरीबों के मोहल्ले थे, जहां पर भड़भूजों की दूकानें थीं, वे गिरा दी गईं, लेकिन पल्टन बाजार में जहां बड़े-बड़े नेताओं की दूकानें थीं, उन्हें नहीं गिराया गया है ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

कहीं भी कोई मकान या दूकान नहीं गिराई गई है, सिर्फ जहां आगे छज्जे वगैरह बढ़ा लिए गये थे या नालियों को ढक कर कोई निर्माणकर लिया था, वे केवल हटाये गये हैं। पल्टन बाजार में भी जो नालियां थीं, उनको आगे बढ़ा लिया गया था या शटर्स लगा लिए गये थे, या टीन लगा ली थी, वह हिस्से अलबत्ता हटाए गये हैं। इसके अलावा दूकानें या मकान पूर्ण रूप से कोई नहीं हटाए गये, न गिराये गये।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

ये अतिक्रमण जो हटाए गये, जिधर से डी० एम० निकल गये उधर गिरा दिये गये या इसकेलिये पूरे शहर का सर्वे करके कोई लिस्ट बनाई गई थी, फलां-फलां जगह अतिक्रमण हैं, उन्हें हटाया जाए?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

एक लिस्ट तो मैंने बताई है, आप कहें तो उसे दुबारा पढ़ दूं। अभी तो वहीं हुआ है, लेकिन जहां-जहां अतिक्रमण हैं, सभी जगहों से वे हटाए जायेंगे।

श्री ऊदल—

मान्यवर, देहरादून की जो पल्टन बाजार है उसमें जो गरीब लोग हैं, उनकी झोपड़ियों को हटाया गया, लेकिन वहां पर जो बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, उन अवैध मकानों को क्यों नहीं हटाया गया? मान्यवर, उन अवैध मकानों को कब तक हटाया जायगा?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

यह सूचना आपने दिया है कि पल्टन बाजार में बड़े-बड़े मकान भी बनवाये गये हैं और नगरपालिका की जमीन में गलत बने हुए हैं, तो उन पर पूर्ण तौर पर ऐक्शन लिया जायगा।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्राथमिकता के आधार पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो क्या बड़े-बड़े लोगों के भी मकानों को हटाया जायगा जो इसके अन्तर्गत आते हैं?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

मान्यवर, मकान तो सबके हटाये जायेंगे जो गलत रूप से वहां पर बने हुए हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीया मंत्री जी मेरी सूचना को सही समझ कर फिर से जांच करायेंगी कि हकीकत में पल्टन बाजार में कोई अतिक्रमण नहीं हटाया गया और जो बेचारे भड़भूजों की दूकानें थीं, उन दूकानों को तोड़ा गया?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, पलटन बाजार की जो बात कही जा रही है, हमारे पास जो रिपोर्ट है, कुछ वहां पर एक बड़ा नाला निकलता है, उस बाजार के बीच से और ऐसा लगता है कि उस नाले के ऊपर पक्का पाट कर कुछ दूकानदारों ने अपनी दूकानें बना रहे थे, आगे की तरफ और बढ़ा रक्खे थे। उसमें यह लिया गया कि नाले के ऊपर जो पाटा हुआ हिस्सा है, अगर उसको हटा दिया जाता, तो उससे बच्चों को क्रास करने में दिक्कत पड़ती और वे उसमें गिर जाते। इसलिये वे पाटेदार हिस्से जो थे, वे नहीं हटाये गये, खाली छज्जे वगैरह जो होते हैं, वे ही हटाये गये हैं। तो यह जनरल रूप से किया गया है।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीया मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कार्यवाही वहां की गयी थी, क्या कोई सरकार का आदेश ऐसा था कि गरीबों के साथ ऐसा किया जाय और बड़े-बड़े लोगों को बचाया जाय?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, यह प्रश्न केवल देहरादून का है। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से इस अवसर पर यह कहना चाहूंगी कि इस वक्त नगरपालिका में और पूरे सूबे में एक अभियान है, इन्क्रोचमेन्ट जो जगह-जगह पर हैं, उनको हटाने की कृपा की जाय। क्योंकि नगरपालिका की सफाई का यह अभियान है, जिससे हम खूबसूरत शहर बना सकें और ठीक तरह से लोगों को बसा सकें। टाउन प्लानिंग आदि पर भी हम जोर दे रहे हैं। माननीय सदस्य को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि यह कोई गरीबों पर हमला है। यह जरूर है कि छोटे-छोटे खोंचे वाले या जो बांस डाल लेते हैं, या टट्र डाल लेते हैं और अपनी झोपड़ियां या दूकानें बना लेते हैं, तो इसको आप खुद जानते हैं कि इससे शहरों की क्या शक्ल बन जाती है। इसी लखनऊ में ही तमाम जगहों पर इन्क्रोचमेन्ट्स हटाये गये हैं और सब जगह हटा रहे हैं। यह सवाल व्यापक सवाल है। यह गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई नहीं है। यह तो एक जनरल सवाल हो जाता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने शायद पलटन बाजार नहीं देखी है। वहां पर जो बाजार है, वहां पर बड़े-बड़े लोग तीन-तीन मंजिलें मकान बना रखे हैं। मान्यवर, उनको तो तोड़ा नहीं लेकिन भडभूंजों की झोपड़ियों को तोड़ दिया।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, इस तरह से जहां तीन मंजिल बनी हुई हैं, कभी तीन मंजिलों को गिराने की हमारी नीति है और न हम उन्हें गिराने ही जा रही हैं। हमारी नीति यह है कि जो छप्पर आगे बना लेते हैं या किसी भी बाजार में गुमटी रख लेते हैं उनको हटाकर दूसरी जगह रखना चाहती है। इसको हम बड़ी सख्ती से करने जा रही हैं, चाहे कोई गया हो या नहीं।

श्री काशी नाथ मिश्र--

अध्यक्ष जी, मैं माननीया मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जितने बड़े-बड़े शहरों में इनक्रोचमेन्ट के हटाने के काम हो रहे हैं, तो क्या इस सम्बन्ध में शासन की तरफ से ऐसे आदेश जारी किए जायेंगे कि बड़े-बड़े लोगों ने जो इन्क्रोचमेन्ट किया है, उसको पहले हटाया जाय और उनके इन्क्रोचमेन्ट हटाने के बाद छोटे लोगों के इन्क्रोचमेन्ट को हटाया जाय। क्योंकि.....

श्री अध्यक्ष--

"क्योंकि" की जरूरत नहीं है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बड़े और छोटे लोगों का सवाल ही नहीं है। जहां पर यह जरूरी समझा गया, चाहे बड़े आदमी की दुकान हो या छोटे आदमी की दुकान हो, रोड को वाइडन्ड करने के लिये हटाया गया। छोटे छोटे इन्क्रोचमेन्ट के हटाने से सड़क साफ हो जाती है और लोगों को चलने में सुविधा होती है।

श्री काशी नाथ मिश्र--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कहती हैं कि बड़े और छोटे का सवाल ही नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम में बड़े और छोटे का सवाल रखा गया है। पहले छोटे लोगों को प्राथमिकता दी जायगी। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि शासन की ओर से माननीया मंत्री जी इस तरह के आदेश जारी कराने की कृपा करेंगी कि पहले उन लोगों का इन्क्रोचमेन्ट हटाया जाय जो बड़े आदमी हैं और बाद में छोटे लोगों का। बड़े लोगों ने जो इन्क्रोचमेन्ट किया उसको हटाने से जन साधारण पर अच्छा असर पड़ेगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

शासन तो छोटे लोगों के पक्ष में है। यहां पर छोटे और बड़ों का सवाल ही नहीं है। यह तो सारी जनता का सवाल है।

श्री अध्यक्ष--

यह सीमित प्रश्न है। इसका जवाब हो चुका है।

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में 2 सवाल हैं। एक तो जब कोई व्यक्ति नगरपालिका की जमीन का अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ सूट दायर किया जाता है और दूसरा यह है कि समरी पावर का इस्तेमाल किया जाता है यानी उसके सामान आदि को मोटर पर लाद कर उठा ले जाते हैं। तो मान्यवर, होता यह है कि बड़े आदमियों के विरुद्ध तो सूट दायर कर दिया जाता है और छोटे आदमियों का सामान उठा कर ले जाया जाता है, तो मैं माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इस तरह का आदेश निकालेंगी कि छोटे और बड़े में कोई भेद-भाव न रखा जाय।

श्री अध्यक्ष--

यही तो जवाब दे रही हैं।

लखनऊ में मेहरा सिनेमा के निकट स्थित शुक्ला वैष्णव होटल की जीर्ण-शीर्ण इमारत

*30--श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)--

लखनऊ में मेहरा सिनेमा के निकट स्थित होटल की जीर्णशीर्ण इमारत एवं उसका लाइसेंस रद्द किए जाने के सम्बन्ध में द्वितीय सत्र 1974 के 10वें मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त, 1974 के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न सख्या 7 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त होटल अभी भी बदस्तूर चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराने एवं कठोर कार्यवाही करने के आदेश पुनः प्रसारित करेगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

होटल अब भी चल रहा है, क्योंकि अदालत से अन्तिम फैसला नहीं हो सका है। मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

*31--श्री राम अधार--

[5वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर स्थानान्तरित।]

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा संचालित आयुर्वेद रत्न एवं वैद्य विशारद की परीक्षाओं को मान्यता न मिलना

*32--श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद द्वारा संचालित आयुर्वेदिक रत्न एवं वैद्य विशारद परीक्षायें भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रेशन हेतु मान्य हैं? यदि नहीं, तो क्या कारण है तथा किस वर्ष से रजिस्ट्रेशन बन्द है?

श्री प्रभु नारायण--

प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग द्वारा आयुर्वेद रत्न तथा वैद्य विशारद की परीक्षाएं संचालित नहीं होती हैं।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा यह परीक्षाएं संचालित होती हैं जो भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु 1969 से मान्य नहीं है।

नगरपालिका, इलाहाबाद द्वारा गृह-कर तथा जल-कर में कथित वृद्धि

*33--श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष 1976-77 के लिये इलाहाबाद नगरमहापालिका, इलाहाबाद गृह तथा जल करों की वर्तमान दरों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। अतः आधार का प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयित सेवा के पदों की कथित समाप्ति

*34—श्री छेदा लाल चौधरी (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में केन्द्रीयित सेवा के दो पदों को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा केन्द्रीयित सेवा के संवर्ग में इन स्थानों के धारण करने वाले व्यक्तियों को अब कहां नियुक्त किया गया है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बनने के उपरान्त लखनऊ महापालिका में कार्यरत केन्द्रीयित सेवा के 157 पदों में से 61 पद उक्त विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिये गये। उक्त विकास प्राधिकरण में कोई पद समाप्त नहीं किया गया है।

राजकीय चिकन उत्पादन केन्द्र, लखनऊ का कार्यालय

*35—श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

क्या लघु उद्योग मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद के चिकन उद्योग बोर्ड के कार्यालय के अन्तर्गत चिकन महिला कारीगर भी काम करती हैं? यदि हां, तो इसका कार्यालय लखनऊ नगर से दूर गोमती के किनारे मोती महल में खोले जाने का क्या कारण है? क्या यह बात सत्य है कि इससे पहले चिकन उद्योग का कार्यालय अब्दुल अजीज रोड और फिर टूडियागंज, लखनऊ में था? क्या इन स्थानों पर कार्यालय खोलने का कोई प्रयास किया गया? क्या चिकन का उद्योग इन्हीं क्षेत्रों में अधिक होता है?

श्री अजीजुर्रहमान—

चिकन उद्योग बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। राजकीय चिकन उत्पादन केन्द्र, जो कि उद्योग निदेशालय के हस्तकला विभाग के अन्तर्गत स्थापित किया गया है, का कार्यालय मोती महल में स्थित है। इस केन्द्र के अन्तर्गत महिला कारीगर हैं किन्तु वे अपने घरों पर कार्य करती हैं। केन्द्र के कार्यालय को मोती महल में इस कारण रखा गया है क्योंकि यह केन्द्रीय स्थान पर स्थित है।

जी हां।

ऐसे प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी, क्योंकि चिकन कारीगरों को कच्चा माल देने तथा तैयार माल लाने की व्यवस्था अलग से की गई है।

जी हां। किन्तु चिकन का कार्य नगर के अन्य क्षेत्रों में जैसे डालीगंज, सदर, हुसेनगंज, माडल हाउस तथा नगर के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे काकोरी, मलिहाबाद, गोसाईंगंज, कुर्सी इत्यादि में भी होता है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

मान्यवर, मैंने सवाल कुछ और किया था और माननीय मंत्री जी का जवाब कुछ और है। मेरा सवाल साफ था कि चिकन उद्योग बोर्ड का कार्यालय, जिसमें महिलायें कारीगर काम करती हैं, इसे दूर गोमती के किनारे पर क्यों खोला गया है जबकि लखनऊ में और बहुत से स्थान हैं? यही नहीं, वहां पर शाम के वक्त महिलाओं को बुलाया जाता है। अब तक यह कार्यालय अब्दुल अजीज रोड पर था, लेकिन अब यह यहां पर खोल दिया गया है, माननीय मंत्री जी ने इस पर भी प्रकाश नहीं डाला है?

श्री अजीजुर्रहमान—

मान्यवर, मेरा जवाब बहुत साफ है। चिकन का काम राजकीय हस्तकला के तहत में है और हैन्डीक्राफ्ट्स के तहत है। उसके आफिस मोतीमहल में हैं। यह स्थान एक केन्द्रीय

जगह पर है। जहां तक महिला कारीगरों को शाम को बुलाने का प्रश्न है, उन्हें उस समय कपड़ा, धागा और उनकी उजरत दी जाती है। वैसे उनकी कोई जरूरत नहीं होती है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मोती महल जो कि गोमती के किनारे पर वाकय है, कब से सेन्ट्रल प्लेस हो गया है ? हम यहां पर 14 पुश्तों से रहने वाले हैं, लेकिन हमने कभी इस स्थान को सेन्ट्रल नहीं सुना और न ही यह सुना है कि जिन मुहल्लों के माननीय मंत्री जी ने नाम लिए जैसे माडल हाउस, हुसैनगंज, वगैरह उनमें चिकन का काम करने वाली महिला कारीगर रहती हैं, काफी तादाद में ? क्या माननीय मंत्री जी इन महिला कारीगरों की तादाद, इन मोहल्लों में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीजुर्रहमान—

सारे शहर में चिकन कारीगरों की तादाद काफी है और चूंकि हैन्डीक्रैफ्ट्स अवध क्लार्क होटल में है और चिकन का इससे सम्बन्धित कार्य है, इसलिये इसे मोती महल में रखा गया है। यदि माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में आकर कोई खास वजह बता दें, तो मैं उसकी भी जांच करवा लूंगा और अगर हो सका तो एक दफतर अब्दुल अजीज रोड पर भी खुलवा दूंगा।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

लखनऊ के अन्दर जो महिलायें चिकन का काम करती हैं, वे अधिकतर पश्चिमी क्षेत्र में हैं, जिसे पुराना लखनऊ कहा जाता है और किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं हैं। उसी वजह से हमेशा यह कार्यालय अब्दुल अजीज रोड पर ही रहा है, लेकिन अबकी बार, जब से दुबारा बोर्ड बना है तब से वहां से हटाकर मोती महल में खोल दिया गया है, जहां पर 10–10 मील से औरतें आती हैं और शाम को बुलाकर उनको काम दिया जाता है। साधारणतः दफ्तर का समय 10 से 4 बजे तक का होता है लेकिन उनको 4 बजे ही बुलाया जाता है, ऐसा क्यों ? मैं इस बात को भी चैलेन्ज करके कहता हूं कि अगर माडल हाउस में चिकन का काम करने वाली वे औरतों को बता दें, तो जो वे कहें वही मुझे मंजूर होगा? ये औरतें कारीगर ज्यादातर सआदत गंज, कश्मीरी मोहल्ला, अशरफाबाद आदि में रहती हैं, जहां पर ये चिकन का काम करके सारे हिन्दुस्तान में चिकन का माल सप्लाई करती हैं।

श्री अजीजुर्रहमान—

औरतों को वहां पर काम देने वगैरह के लिये ही बुलाया जाता है। अगर माननीय सदस्य, जैसा कह रहे हैं, चाहें तो दूसरी जगह पर एक कार्यालय खोलने पर भी हम विचार कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

क्या यह सत्य है कि इसके पहले चिकन का कार्यालय अब्दुल अजीज रोड पर वाकय था ?

श्री अजीजुर्रहमान—

पहले था।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ट्रेनिंग देने के लिए चिकन का यह कार्यालय पहले अब्दुल अजीज रोड पर था, तो इसको वहां से हटा देने का क्या औचित्य है और शाम को 4 बजे इन महिलाओं को क्यों बुलाया जाता है ?

श्री अजीजुर्रहमान—

शाम को काम देने के लिये बुलाया जाता है। अगर कोई स्पेफिक केस माननीय सदस्य बता दें, तो मैं जांच करवा लूंगा। जहां तक मोतीमहल में खोलने का कारण है, वह मैं बता चुका हूं कि हैन्डीक्राफ्ट का कार्यालय इसी के पास में है और दूसरी कोई वजह नहीं है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—
मैंने जो जानकारी दी. . . . .

श्री अध्यक्ष—
आप मेहरबानी करके उनको जाकर के बताइये। आपकी बात इतनी मुजबजब है कि पता नहीं चलता कि मामला क्या है ?

श्री मोहम्मद शकील अहमद—
शाम को बुलाया जाता है. . . . . .

श्री अध्यक्ष—
मैं माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि ऐसा मैंने इशारा कर दिया। अगर कोई बद-उनवानियां वहां देखते होंगे तो मंत्री जी से मिलकर रफा-दफा कर लीजिये।

गाजियाबाद, सुधार मंडल द्वारा राजनगर कालोनी के मकानों की बिक्री

*36—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—
क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद सुधार मन्डल ने मकानों को बाजार भाव पर बेचने के सरकारी आदेश की अवहेलना करके राज नगर कालोनी के ब्लाक 7 में मकान संख्या 19 को 1968 की लागत मूल्य पर ही 1975 में बेचा है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
सूचना एकत्रित की जा रही है।

*37—श्री दयाराम भास्कर—
[माननीय सदस्य ने प्रश्न वापस लिया।]

लखनऊ जिले की स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं का कार्यकाल

*38—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—
क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में कितनी स्वास्थ्य निरीक्षिकायें इस समय ऐसी हैं जिन्हें लखनऊ जनपद में कार्य करते हुए पांच वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को स्थानान्तरित करने का विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामायण राय—
8 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं को लखनऊ जनपद में कार्य करते 5 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इनको स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन देना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे मामलों में प्रत्येक केस के गुणावगुण के आधार पर स्थानान्तरण के लिये निर्णय लिया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
इन 8 स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं में से सब से ज्यादा अवधि कितने वर्ष की है, जो लखनऊ में रह रही हैं।

श्री रामायण राय—
आमतौर से शासन की नीति यह है कि छोटे कर्मचारियों का स्थानान्तरण न किया जाय और जो 5 वर्ष से अधिक अवधि की हैं, उनकी स्थिति क्या है, माननीय सदस्य को मैं उससे अवगत कराना चाहता हूं। इनमें 4 तो ऐसी हैं, जिनके पति यहां पर काम कर रहे हैं और शासन की यह भी नीति है कि हस्बैन्ड और वाइफ एक ही जगह रहें। एक बेचारी विधवा है। शासन ऐसे छोटे कर्मचारियों का आमतौर से स्थानान्तरण नहीं करता।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 38 श्री गोविन्दसिंह नेगी द्वारा पूछा गया।

ग्राम अमौली, फतेहपुर के लिये पेयजल योजना

*39—श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अमौली, विकास खंड अमौली, जिला फतेहपुर में पेय जल योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य जो प्रारम्भ होना था, वह प्रारम्भ किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 1974–75 के आय-व्ययक में अपर्याप्त धन उपलब्ध होने के कारण ग्राम अमौली, विकास खंड अमौली, जिला फतेहपुर को पेयजल योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी।

श्री प्रेमदत्त—

मान्यवर, यह अमौली स्थान जो फतेहपुर जिले में पड़ता है वह बुन्देलखंड जैसी ही कंडीसंस का स्थान ह और यहां पर रेवीस हैं, 16 किलोमीटर के अन्तर्गत आता है। तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि क्या यह बताने की कृपा करेंगी कि चूंकि यह इलाका बुन्देलखंड की तरह माना गया है और वहां पर पानी हर दम सूख जाता है, तो बुन्देलखंड की तरह वहां सुविधा और प्राथमिकता देकर इसे पूरा करायेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस पर सरकार विचार कर लेगी।

*40—श्री मोहम्मद रफी खां—

[पुनर्विचार पर निरस्त।]

मुजफ्फरनगर के शामली एवं कैराना ब्लाक के निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन

*41—श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुजफ्फरनगर जनपद के शामली एवं केराना ब्लाक में कितने किसानों ने निजी नलकूप के कनेक्शन के लिये 1975 में आवेदन-पत्र दिये और धन जमा किया ? क्या रुपया जमा करने वाले उक्त काश्तकारों को कनेक्शन रुपया जमा करने की तिथियों के आधार पर नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती इन्द्रमोहनी—

मुजफ्फरनगर जनपद के शामली एवं कैराना ब्लाक में 262 किसानों ने निजी नलकूप के कनेक्शन के लिये 1975 में आवेदन पत्र दिये उनमें से केवल 125 किसानों ने धन जमा किया।

रुपया जमा करने की तिथियों के आधार पर निजी नलकूपों का अर्जन नहीं किया जाता है वरन् समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने, जैसे अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने एवं बी० एन्ड ऐल० फार्म के जमा करने की तिथि के आधार पर ही कनेक्शन दिया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है जिससे यह पता लग जाय कि काश्तकार का मोटर तथा वायरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और वह कनेक्शन लेने के लिये तकनीकी रूप से सक्षम है।

श्री हुकम सिंह—

जितना सीधा उत्तर मंत्री जी ने देने का प्रयास किया है, इतना सीधा वह नहीं है। क्योंकि कनेक्शन बेचे जा रहे हैं, खुले आम और पूछना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने उत्तर में बताया कि 262 किसानों ने आवेदन-पत्र दिये, तो क्या सर्वे कराया गया और एस्टीमेट कराया गया और उसी क्रम से कराया गया या नहीं, जिस क्रम से स्वीकृति दी गयी थी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो भी आवेदन पत्र आते हैं, उनका सर्वेक्षण कराया जाता है और उसके बाद जब बी0 एल0 फार्म भरने के बाद तकनीकी दृष्टि से उनको क्लियरेंस मिलता है तो उनको पावर कनेक्शन देने की प्रक्रिया आरम्भ होती है और इसी तरह से जहां-जहां पर किया गया, तो कुछ जगहों पर हो सका, कहीं पर नहीं हो सका।

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल कुछ पावर की दिक्कत थी, इस वजह से प्रक्रिया में कमी रही, लेकिन माननीय सदस्य जो यह चाहते हैं कि उन्हें सब मिल जाय तो इस वर्ष वह कमी पूरी हो जायगी, जहां पर कि किसी प्रकार की कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

क्या यह सही है कि इस वक्त कनेक्शन देने के लिये दो तरह की स्कीम्स चल रही हैं, एक तो नार्मल स्कीम और दूसरी फुल डिपाजिट स्कीम। नार्मल कोर्स में तो 5–7 सौ रुपये देने पड़ते हैं और फुल डिपाजिट स्कीम में करीब 8 हजार रुपये देने पड़ते हैं। जब कोई दरख्वास्त देने आता है, तो वह कहते हैं कि कुछ रुपया हमको दे दो तो हम तुमको नार्मल स्कीम में दे देंगे। शामली और कराना वाला मामला मेरे सामने आया है। तो इसमें कितनी शिकायतें माननीया मंत्री जी को मिली हैं, जिसमें पैसा लेकर कनेक्शन दिया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

शिकायत तो नहीं मिली है, लेकिन माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उसकी सम्भावना हो सकती है। इसलिये अगर कोई शिकायत माननीय सदस्यों की तरफ से आती है तो उसकी निश्चित जांच की जायगी और जांच ही नहीं, उस पर ऐक्शन भी लिया जायगा।

श्री हुकम सिंह—

कोई आधार इस बात का है कि किस क्रम में कनेक्शन देंगे। या तो जब प्रार्थना-पत्र आता है, कनेक्शन देने के लिये, उसके आने की तारीख से या स्वीकृति की तारीख से या ऐग्रीमेंट की तारीख से, कोई व्यवस्था विभाग की तरफ से की गयी है, जिससे किसान आकर जानकारी कर सके कि उसके बाद वाले किसान को कनेक्शन दिया गया या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

कुछ जगहों पर जहां पावर सब स्टेशन वगैरह बने होते हैं उस कार्य को कर लिया जाता है। कुछ जगहों पर लाइन खींचने के लिये सारी प्रक्रिया होती है। तो डेट का ही केवल क्रम नहीं होता है, सब बातों को देख कर कनेक्शन दिया जाता है।

श्री हुकम सिंह—

प्रश्न तो यह है कि किसी पर्टीकुलर स्टेशन या डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर कोई न कोई क्रम तो आप बनायेंगे। मुजफ्फरनगर में, जो डिवीजन्स बने हुये हैं, उनमें तो कोई क्रम बनायें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य को अगर किसी तरह की अनियमितता की शिकायत मिली है, उसको वह मेरी सूचना में दें, तो मैं उस पर कार्यवाही करूंगी।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद में अस्पतालों की स्थापना की मांग

1—श्री अनवार जमील—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में 1975–76 में कितने अस्पताल (आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक) खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री प्रभु नारायण—

जिला फर्रुखाबाद में वर्ष 1975–76 में किसी आयुर्वेदिक, यूनानी अथवा एलोपैथिक चिकित्सालय की स्थापना नहीं की गयी है ।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में बाल चिकित्सालय कक्ष की स्थापना की योजना

2—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) तथा श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मेडिकल कालेज स्थित बाल चिकित्सालय कक्ष का नया भवन निर्माण करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो योजना कब से आरम्भ की जाएगी तथा उस पर कितना धन खर्च होगा ?

श्री प्रभु नारायण—

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में पीडियाट्रिक्स विभाग के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड पीडियाट्रिक सेन्टर स्थापित किये जाने की योजना स्वीकृत की गई है जिस पर पंचम पंचवर्षीय योजना काल में भवन निर्माण कार्य पर व्यय को सम्मिलित करते हुए कुल रु0 15 लाख का परिव्यय अनुमानित है । भवन निर्माण कार्य पूरा होने पर उक्त योजना को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाएगा ।

सिंधोरा, वाराणसी में महिला अस्पताल की स्थापना की मांग

3—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान सिंधौरा, ब्लाक पिंडरा में आयुर्वेदिक, एलोपैथिक अस्पताल तथा स्थान पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में महिला अस्पताल खोलने हेतु प्रश्नकर्ता ने 4 सितम्बर, 1975 को एक पत्र उन्हें लिख कर दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभु नारायण—

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता । स्थान सिंधौरा में चार शय्यायुक्त एक आयुर्वेदिक, चिकित्सालय खोलने के आदेश 23 अक्तूबर, 1975 को जारी कर दिये गये थे और उसकी स्थापना भी हो गई है ।

शासन के वित्तीय साधन सीमित होने के कारण पिंडरा में महिला चिकित्सालय खोलना संभव नहीं है ।

गड़खड़ा, वाराणसी में जच्चा–बच्चा केन्द्र की स्थापना की मांग

4—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थगन गड़खड़ा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की अनुमति दे दी गई है ? यदि हां, तो अब तक केन्द्र न खोलने का कारण क्या है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं ।

ग्राम गड़खड़ा से लगभग 1 1/2 मील की दूरी पर एक जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित है । अतः ग्राम गड़खड़ा में जच्चा-बच्चा केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

इकौना टाउन एरिया, बहराइच को दिया गया अनुदान

5—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र दिनांक 18 मार्च, 1975 के अतारांकित प्रश्न 2 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले की

इकौना टाउन एरिया कमेटी को वर्ष 1974 में दिए गए सड़क अनुदान से कितनी सड़क बनाई गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

वर्ष 1974 में इकौना टाउन एरिया को 10,000 रुपये का सड़क अनुदान स्वीकृत किया गया था। परन्तु शासनादेश में जिले का नाम गलत छप जाने के कारण यह धनराशि आहरित न हो सकी और यह सड़क अनुदान बहराइच जिले की इकौना टाउन एरिया को उपलब्ध न हो सकी। तदनुसार सरकारी अनुदान से सड़क बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

6-श्री श्री नारायण—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 17 पर स्थानान्तरित।]

देवरिया की टाउन एरिया समितियों के कर्मचारियों का कार्यकाल

7—श्री श्रीनारायण—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कुल कितनी टाउन एरिया समितियां कार्यरत हैं और कितनों का प्रबन्ध सरकार के हाथों में है और उनमें कार्यरत व्यक्ति कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

देवरिया जिले में कुल 8 टाउन एरिया कमेटियां कार्यरत हैं।

इनमें से 3 का प्रबन्ध सरकार के हाथों में है।

कार्यरत कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 436–438 पर।)

देवरिया जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को औषधि की आपूर्ति

8—श्री श्रीनारायण—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितने प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा उन केन्द्रों का सालाना बजट क्या है और कितनी दवाइयां स्थानीय डाक्टरों के मांग के मुताबिक दी जाती हैं तथा कितने की सीधे लखनऊ केन्द्र से भेजी जाती हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

जिला देवरिया में 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इन केन्द्रों के लिये औषधि के मद में वर्ष 1975–76 के आय-व्ययक में 3,53,000 रु0 का प्राविधान स्वीकृत है।

उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के 25 प्रतिशत तक की औषधियां स्थानीय डाक्टरों की मांग के मुताबिक दी जाती हैं। शेष 75 प्रतिशत की औषधियां सीधे लखनऊ के केन्द्रीय औषधि भण्डार से दी जाती हैं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग की मिडवाइफों के स्थायीकरण का प्रश्न

9—श्री ऊदल तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में (फेमिली प्लानिंग हेल्थ) कार्य करने वाली मिडवाइफों, नर्सों आदि को जो सन् 1961 से कार्यरत हैं, कन्फर्म नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र स्वास्थ्य मंत्री को 29 अक्तूबर, 1975 का प्राप्त हुआ है ?

श्री प्रभु नारायण—

स्वास्थ्य विभाग में सन् 1961 से कार्यरत मिडवाइफों को कन्फर्म नहीं किया गया है और इनके स्थायीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत मिडवाइफों को अभी स्थायी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि यह विभाग अभी अस्थाई है। प्रश्नकर्ता का दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 का स्वास्थ्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ है।

देवरिया तथा गोरखपुर की टाउन एरिया कमेटियों के सफाई मजदूरों का वेतन-क्रम

10—श्री श्रीनारायण—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितनी टाउन एरिया कमेटियों के सफाई मजदूरों को अलग-अलग कितना-कितना वेतन मिलता है तथा गोरखपुर जिले के टाउन एरिया कमेटियों के सफाई मजदूरों (मेहतरों) को कितना-कितना वेतन दिया जाता है ?

श्री प्रभु नारायण—

देवरिया जिले में आठ टाउन एरिया कमेटियां— कसया, रामपुर कारखाना, भाटपार-रानी, सेवराही, लार, रुद्रपुर, रामकोला तथा कप्तानगंज हैं। कसया, भाटपार-रानी, सेवराही, लार, रुद्रपुर, रामपुर कारखाना तथा रामकोला के सफाई मजदूरों को नये वेतनमान 165–215 रु0 की दर से वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलता है। कप्तानगंज में सफाई मजदूरों को रु0 30–40 के पुराने वेतनमानों में वेतन तथा इस वेतन पर 58 रु0 महंगाई भत्ता मिलता है। कप्तानगंज टाउन एरिया की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह इन कर्मचारियों को नया वेतन मान देने में असमर्थ है।

गोरखपुर में पांच टाउन एरिया हैं, जिनमें से सिसवा बाजार, बड़हलगंज, मुंडेरा बाजार तथा पिपराइच के सफाई मजदूरों (मेहतरों) को रु0 165–215 के नये वेतनमान में वेतन तथा महंगाई भत्ता मिलता है। टाउन एरिया गोला के सफाई कर्मचारियों (मेहतरों) को 110 रु0 प्रतिमाह नियत वेतन मिलता है। गोला टाउन एरिया कमेटी के सफाई कर्मचारियों ने स्वेच्छा से 1–4–75 से अंशकालिक ड्यूटी देना तथा 110 रु0 प्रतिमाह वेतन लेना स्वीकार किया है।

स्वास्थ्य मंत्री द्वारा सर्वोत्तम अस्पताल को पुरस्कार दिये जाने की घोषणा

11—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 25 अक्तूबर, 1975 या उसके आस-पास मेरठ में भारतीय चिकित्सक संघ की उत्तर प्रदेश शाखा के वार्षिक अधिवेशन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने यह घोषणा की कि राज्य सरकार हर साल सर्वोत्तम अस्पताल का पुरस्कार नगर और ग्रामीण क्षेत्र के सब से अच्छे एक एक अस्पताल को देगी ? यदि हां, तो पुरस्कार की धनराशि क्या होगी तथा पुरस्कार की धनराशि अस्पताल में लगाई जावेगी या स्टाफ में वितरित की जाएगी ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां।

विचार किया जा रहा है।

वाराणसी के कतिपय ग्रामों के लिये अधूरी ग्रामीण पेयजल योजना

12—श्री ऊदल तथा श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान सकलडीहा, चन्दौली, चहनियां, हिंगोतर, धानापुर, महमदपुर, कैथी, सिंधोरा, पिंडरा, जिला वाराणसी में ग्रामीण पेयजल योजना

के अन्तर्गत ट्यूबवेल लगा दिए गए हैं, लेकिन टंकियां तथा पाइप लाइन आदि का कार्य अब तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों और उपरोक्त कार्य कब तक पूरे किए जायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिला वाराणसी के प्रश्नगत स्थानों में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत टंकियां एवं पाइप लाइन का कार्य लगभग पूर्ण है। शेष कार्य को जल्दी ही पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय का भवन

13—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक दिनांक 25 मार्च, 1975 के नत्थी–ख के प्रश्न सं0 31 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपनी परीक्षण रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि भवन की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है तब किस कारण स्वास्थ्य विभाग इसको शीघ्र नहीं खाली कर रहा है और अब तक इसका क्या किराया मकान मालिक को शासन द्वारा दिया जा रहा है ?

श्री प्रभु नारायण—

उपयुक्त भवन उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत भवन खाली नहीं किया जा रहा है। उक्त भवन का किराया 110 रु0 प्रतिमास की दर से मकान मालिक को दिया जा रहा है।

राज्य विद्युत् परिषद् के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान

14—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय वेतन मन्डल की अनुशंसा के अनसार औद्योगिक विवाद के निर्णयानुसार कितने श्रमिकों को विवाद के निर्णय के फलस्वरूप फरवरी, 1976 तक बकाए की धनराशि राज्य विद्युत् परिषद् ने अदा कर दिया है और कितने श्रमिकों के बकाए की धनराशि दिए जाने के आदेश पारित नहीं किए हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

केन्द्रीय वेतन मंडल की अनुशंसा के अनुसार औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपे गये वेतन निर्धारण के विवाद के मामलों में, उनके द्वारा दिये गये अभिनिर्णय फलस्वरूप लगभग 37,000 कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान करने हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं।

न्यायाधिकरण के बाद के अभिनिर्णयों के फलस्वरूप लगभग 10,000 कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में आदेश परिषद् की वित्तीय कठिनाइयों के कारण अभी तक नहीं हो पाये हैं।

बिजनौर तथा बदायूं जिले के बुनकरों को ऋण एवं अनुदान की सुविधाएं

15—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर) तथा श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर और बदायूं में 1974–75 व 1975–76 में 1 फरवरी, 1976 तक कितने बुनकरों को कितनी-कितनी धनराशि ऋण और अनुदान के रूप में दी गई ?

लघु उद्योग मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

शासन द्वारा बुनकरों को व्यक्तिगत रूप से कोई ऋण एवं अनुदान नहीं दिया जाता है। केवल सहकारी समितियों के ही माध्यम से उपरोक्त सुविधा प्रदान की जाती है।

रिजर्व बैंक योजना के अधीन बिजनौर जनपद की बुनकर सहकारी समितियों के पक्ष में 90 प्रतिशत की राजकीय गारन्टी निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्गत की गई :—

वर्ष	समितियों की संख्या	90 प्रतिशत गारन्टी की धनराशि
1	2	3
बिजनौर—		
1974–75	6	54,000.00
1975–76	8	43,000.00

कुष्ठ रोग के निवारण हेतु विश्व-स्वास्थ्य सेवा संगठन का कथित कार्य-क्रम

16—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विश्व-स्वास्थ्य सेवा संगठन द्वारा वर्ष 1976 कुष्ठ रोग निवारण के कार्य-क्रमों के कार्यान्वियन के लिए छांटा गया है ? यदि हां, तो इस वर्ष में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाने जा रहा रहा है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं ?

अतः इस दिशा में कोई कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उपाध्यक्ष, टाउन एरिया गोपीगंज, वाराणसी के चुनाव के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

17—श्री राम रति विन्द (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 व दिनांक 30 दिसम्बर, 1975 के बीच जनपद वाराणसी के गोपीगंज टाउन एरिया के उपाध्यक्ष के चुनाव म धांधली करने का कोई प्रार्थना-पत्र व तार मुख्य सचिव तथा जिलाधीश, वाराणसी को वहां के सदस्यों का प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां । उपाध्यक्ष के चुनाव के संबंध में सम्यक समादेश याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के कारण आरोपों के सम्बन्ध में प्रशासकीय कार्यवाही स्थगित है ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री जगदीश नारायण सिन्हा के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे अत्यन्त दुख के साथ इस सम्मानित सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि इस सदन के भूतपूर्व सदस्य तथा इस राज्य सरकार के भूतपूर्व राज्य मंत्री, श्रीजगदीश नारायण सिन्हा का 27 अप्रैल, 1976 की रात्रि में मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली में स्वर्गवास हो गया । उन्हें 6 माह से किडनी की शिकायत थी । इस बात की बहुत चेष्टा की गयी कि वे ठीक हो सकें, लेकिन विधाता को यह स्वीकार नहीं हुआ और वे हमारे बीच से चले गये । जो भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्यक्ति श्री सिन्हा के नजदीक आये, वे उनसे बिना प्रभावित हुये नहीं रह सके। इस सदन को चलाने में वर्षों तक उन्होंने योगदान दिया। इस सदन में मुख्य सचेतक होने का भी सौभाग्य उनको प्राप्त रहा। मुख्य सचेतक होने के नाते इस विधान सभा की कार्यवाही चलाने में जो उनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को जो उनका स्नेह प्राप्त हुआ उसके लिये वे सदा ही स्मरणीय रहेंगे। वे एक योग्य संगठनकर्ता थे, शिक्षाविद् थे और सामाजिक सेवाओं में भी वे सबसे आगे थे। वे काफी समय तक राधामल इन्टर कालेज, भगवानपुर, रुड़की के प्रधानाचार्य रहे, नगरपालिका रुड़की के अध्यक्ष, सहकारी बैंक रुड़की के उपाध्यक्ष, कृषक इन्टर कालेज, रायसी के प्रबन्धक, शिक्षा समिति, अन्तरिम जिला परिषद्, सहारनपुर के चेयरमैन, जिला सहकारी संघ, सहारनपुर के संचालक, जिला हरिजन सेवा सघ सहारनपुर, यू0 पी0 राजकीय वर्कशाप यूनियन, रुड़की, चीनी मिल मजदूर यूनियन, लस्कर तथा जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष एवं जिला भारत सेवक समाज के संयोजक आदि पदों पर रहने का भी उन्हें गौरव प्राप्त था। भारत हवी इलेक्ट्रीकल्स की मजदूर यूनियन से भी उनका सम्बन्ध रहा।

वे यहां सदन में प्रथम बार 1962 में चुन कर आये। उसके बाद सन् 1967 एवं 1969 में भी वे चुन कर आये। वे शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के राज्य मंत्री भी रहे और योग्यतापूर्वक अपने कार्य का सम्पादन किया। सहारनपुर जनपद ने ही नहीं, वरन् आसपास के तमाम जनपदों ने आज एक ऐसे महान् और जिम्मेदारियों को निभाने वाले व्यक्ति को खो दिया है। उन जिलों की जनता को महान् दुख है जिसकी सूचना तार और टेलीफोन से मेरे पास आयी भी है। मुझे विश्वास है, उनका जो प्रेरणादायक व्यक्तित्व था उससे हम सभी को भविष्य में प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं यह आग्रह करूंगा कि हमारी ओर से और इस सदन की ओर से हमारी हार्दिक संवेदना उनके संतप्त और दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य और राज्य मंत्री, श्री सिन्हा के निधन से हम सभी लोग आज बहुत दुखी हैं। उनके संबंध में माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी और हमारे दल की संवेदना को उनके दुखी एवं संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण सिन्हा के विषय में उनके निधन पर जो विचार माननीय नेता सदन तथा कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से व्यक्त किये गये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। वे वास्तव में एक बहुमुखी प्रतिभा वाले महान व्यक्ति थे। अनेक सामाजिक संस्थाओं में उनका योगदान रहा है। उनके उठ जाने से सार्वजनिक जीवन में एक बड़ी रिक्तता आयी है। स्वतंत्रता संग्राम के सन् 1942 के अन्दोलन में सपत्नीक भाग लेने के कारण श्री सिन्हा साहब को ढाई वर्ष का कठोर कारावास का दन्ड भुगतना पड़ा था। यह उनकी महान् देशभक्ति का परिचायक है। जो माननीय नेता सदन और माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने सुझाव दिये हैं कि मैं उनके शोक संतप्त परिवार तक आपकी हार्दिक संवेदना प्रेषित कर दूं। तो मैं वैसा करूंगा। दिवंगत आत्मा को शान्ति मिले और शोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आपसे निवेदन है कि दो मिनट के लिये मौन खड़े होकर शोक प्रकट करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट के लिये मौन खड़े हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपने आज दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के उपवेशन में संस्तुति की है कि शनिवार 1 मई, 1976 को सदन की बैठक हो तथा 30 अप्रैल से 14 मई, 1976 तक के उपवेशनों में निम्नलिखित अनुदानों पर मतदान हो और 14 मई, 1976 को 4 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1976 का पुरःस्थापन उस पर विचार तथा उसका पारण हो :—

30 अप्रैल, 1976 .. अनुदान संख्या 7—भू—राजस्व,
अनुदान संख्या 10—राज्य आबकारी,
अनुदान संख्या 39—दैवी आपदाओं के कारण सहायता,
अनुदान संख्या 75—जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर,

1 मई, 1976 .. अनुदान संख्या 4—न्याय प्रशासन,
अनुदान संख्या 31—चिकित्सा,
अनुदान संख्या 32—परिवार नियोजन,
अनुदान संख्या 33—सार्वजनिक स्वास्थ्य,
अनुदान संख्या 69—चिकित्सा, परिवार नियोजन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय ।

2 मई, 1976 .. रविवार (बैठक नहीं होगी) ।

3 मई, 1976 .. अनुदान संख्या 18—सचिवालय,
अनुदान संख्या 19—जिला प्रशासन,
अनुदान संख्या 23—लेखन सामग्री और मुद्रण,
अनुदान संख्या 25—अन्य प्रशासनिक सेवायें,
अनुदान संख्या 21—पुलिस,
अनुदान संख्या 22—कारागार,
अनुदान संख्या 30—वैज्ञानिक सेवायें एवं शोध,
अनुदान संख्या 36—सूचना तथा प्रचार,
अनुदान संख्या 40—अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवायें ।

4 मई, 1976 .. अनुदान संख्या 28—शिक्षा,
अनुदान संख्या 87—ऋण और अग्रिम—शिक्षा ।

5 मई, 1976 .. अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य,
अनुदान संख्या 34—आवास भवन,
अनुदान संख्या 43—अन्य समान्य आर्थिक सेवायें,
अनुदान संख्या 48—खाद्य तथा पोषाहार,
अनुदान संख्या 60—संचार साधन,
अनुदान संख्या 61—कार्यात्मक भवन,
अनुदान संख्या 62—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान,
अनुदान संख्या 67—सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय,
अनुदान संख्या 68—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय,
अनुदान संख्या 70—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय,

		अनुदान संख्या 78—खाद्य तथा पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 83—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय।
6 मई, 1976	..	अनुदान संख्या 9—भूमि और भवन कर, अनुदान संख्या 35—नगर विकास, अनुदान संख्या 37—श्रम एवं सेवा योजन, अनुदान संख्या 56—विद्युत् विकास, अनुदान संख्या 63—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान, अनुदान संख्या 71—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 88—ऋण और अग्रिम-स्वायत्त शासन, अनुदान संख्या 89—ऋण और अग्रिम-सहायता एवं पुनर्वासन, अनुदान संख्या 94—ऋण और अग्रिम-विद्युत्।
7 मई, 1976	..	अनुदान संख्या 45—सामुदायिक विकास, अनुदान संख्या 66—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण, अनुदान संख्या 77—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 12—मोटर गाड़ियां पर कर, अनुदान संख्या 59—सिविल विमान, अनुदान संख्या 64—सड़क तथा जल परिवहन, अनुदान संख्या 65—पर्यटन, अनुदान संख्या 84—सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 85—पर्यटन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
8 मई, 1976 9 मई, 1976	.. ..	बैठक नहीं होगी।
10 मई, 1976	..	अनुदान संख्या 57—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 58—सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या 81—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 82—बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।
11 मई, 1976	..	अनुदान संख्या 38—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 41—सहकारिता, अनुदान संख्या 72—सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 91—ऋण और अग्रिम सहकारिता।

विधान परिषद

[श्री अध्यक्ष]

12 मई, 1976 .. अनुदान संख्या 44—कृषि,
अनुदान संख्या 46—भूमि तथा जल संरक्षण,
अनुदान संख्या 47—क्षेत्र विकास,
अनुदान संख्या 76—कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,
अनुदान संख्या 92—ऋण और अग्रिम-कृषि।

13 मई, 1976 .. बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी (बैठक नहीं होगी)

14 मई, 1976 .. अनुदान संख्या 42—विशेष पिछड़े हुए क्षेत्र,
अनुदान संख्या 53—उद्योग,
अनुदान संख्या 55—खानें तथा खनिज,
अनुदान संख्या 73—विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय,
अनुदान संख्या 74—विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय,
अनुदान संख्या 90—ऋण और अग्रिम-उद्योग,
अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्,
अनुदान संख्या 5—निर्वाचन,
अनुदान संख्या 6—वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर,
अनुदान संख्या 8—स्टाम्प एवं पंजीकरण,
अनुदान संख्या 11—बिक्री कर,
अनुदान संख्या 13—अन्य कर और शुल्क,
अनुदान संख्या 54—ग्राम एवं लघु उद्योग।

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

20 फरवरी, 1975 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संबंध में समाज कल्याण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर वक्तव्य

समाज कल्याण मंत्री (डाक्टर चरण सिंह)—

दिनांक 20 फरवरी, 1975 को माननीय श्री मुलायम सिंह यादव ने विधान सभा म नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या 1 में ग्राम जसपुरा, जिला बांदा की सुशीला देवी ठाकुर जाति की महिला को हरिजन बनाकर आवास मद में 2 हजार रुपये के अनुदान देने पर पूछा था। उसके उत्तर में कहा गया था कि सुशीला देवी (महिला) ठाकुर जाति की नहीं हैं बल्कि बेड़िया जाति की हैं, जो प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में है, उसको 1972-73 में एक हजार रुपये आवास निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया था न कि 2 हजार रुपये।

2—उपरोक्त उत्तर के पश्चात् माननीय श्री मुलायम सिंह यादव ने नियम 63 के अन्तर्गत हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की

सूचना दी साथ ही सूचित किया कि माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर सत्य नहीं है और उन्होंने नियम 63 के अन्तर्गत जो नोटिस दी उसमें निम्न बातें स्पष्ट की थी :—

(1) सुशीला देवी 10 वर्ष पूर्व जाति की बेड़िया थी और ब्लाक जसपुरा के बाहर की रहने वाली थी, 10 वर्ष पूर्व श्री श्रीपाल सिंह सुशीला देवी को अपनी द्वितीय पत्नी के रूप में जसपुरा लाये ।

(2) श्री श्रीपाल सिंह और सुशीला देवी से 2–3 बच्चे हो चुके हैं ।

(3) वोटर लिस्ट में सुशीला देवी पत्नी श्रीपाल सिंह दर्ज है ।

(4) प्राप्त अनुदान से जसपुरा में सुशीला देवी के नाम कोई मकान नहीं बनाया गया है बल्कि श्रीपाल सिंह ने उस रुपये से नगर बांदा में अपना मकान बनवाया है ।

(5) वर्तमान बी०डी०ओ०, जसपुरा, श्री रामपाल सिंह श्रीपाल सिंह के संबंधी है और उन्होंने विरोध के बावजूद अनुदान की दूसरी किस्त सुशीला देवी को दी ।

2—उपरोक्त सूचना के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय ने करण संख्या 213 के अन्तर्गत कार्यवाही करके उसकी सूचना सदन को देने के आदेश दिये ।

3—इस पर हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री जी के आदेशानुसार तत्कालीन उप सचिव श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने दिनांक 22 जून, 1975, 26 जून, 1975 तक बांदा में जाकर सत्यता की जांच की जिसकी जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है :—

"जांच के सम्बन्ध में बहुत प्रयत्नों के बावजूद मैं ग्राम जसपुरा नहीं जा सका क्योंकि अत्यधिक वर्षा होने के कारण वहां किसी प्रकार पहुंचना सम्भव नहीं बताया गया । जिला नियोजन अधिकारी, बांदा ने यह बताया कि 7–8 दिन तक यदि कोई वर्षा न हो और धूप रहे तभी वहां का रास्ता पहुंचने लायक हो सकता है । इस कारण मैंने इस मामले की जांच बांदा में ही की और जांच के दौरान मैंने सुशीला देवी तथा श्रीपाल सिंह का बयान लिख लिया । श्री अर्जुन सिंह प्रमुख, विकास क्षेत्र जसपुरा से विचार विमर्श किया, मतदाता सूची 1 73 का अवलोकन किया और इस मामले से संबंधित सम्पूर्ण अभिलेखों का निरीक्षण किया । इस जांच से जो निष्कर्ष निकला उसका विवरण निम्न प्रकार है :—

विशेषाधिकार की अवहेलना में उठाया गया	जांच रिपोर्ट एवं आख्या
1	2
(1) सुशीला देवी 10 वर्ष पूर्व जाति की बेड़िया थी और ब्लाक जसपुरा के बाहर की रहने वाली थी । 10 वर्ष पूर्व श्री श्रीपाल सिंह सुशीला देवी को अपनी द्वितीय पत्नी के रूप में जसपुरा लाये ।	सुशीला देवी ने अपने बयान में यह कहा कि उनके बाप श्री राम दयाल, तहसील बबेरू, जिला बांदा के बचन्डा के रहने वाले थे और वह (सुशीला देवी) 15 वर्ष पूर्व जसपुरा में रहने आ गयी । सुशीला देवी ने कहा कि वे श्रीपाल सिंह के पिता श्री बैजनाथ सिंह के कचहरी नामक मकान में हने लगी । श्री पाल सिंह का एक घर कचहरी नामक से 100–150 गज की दूरी पर है और दूसरा घर लगभग 50 गज दूरी पर है । वह नाच गाने का पेशा करती है और श्रीपाल सिंह की पत्नी नहीं है ।

[डाक्टर चरण सिंह]

विशेषाधिकार की अवहेलना में उठाया गया	जांच रिपोर्ट एवं आख्या
1	2
(2) श्री पाल सिंह और सुशीला देवी से 2–3 बच्चे हो चुके हैं।	श्रीपाल सिंह ने अपने बयान में कहा है कि उनके 2 लड़के और 1 लड़की है तथा उनकी पत्नी जीवित है। उन्होंने सुशीला देवी से अपना कोई संबंध नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त श्री शिव बरन सिंह के यहां सुशीला देवी जसपुरा में रहती थी और श्री शिव बरन सिंह के मरने के बाद उन्होंने अपने मकान के एक हिस्से में सुशीला देवी को शरण दी और अनाथ होने के नाते कभी-कभी उसकी मदद कर देते थे। श्री अर्जुन सिंह, प्रमुख विकास क्षेत्र, जसपुरा ने मौखिक वार्ता में बताया कि सुशीला देवी का अवैध संबंध श्रीपाल सिंह से हो सकता है क्योंकि सुशीला देवी का पेशा ही ऐसा है। श्रीपाल सिंह एक खानदानी आदमी हैं, जिनके मां, बाप बड़े भाई, पत्नी बच्चे पूरा परिवार है। अतः वह किसी बेश्या स्त्री से शादी नहीं कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने जिलास्तर पर जांच की तो निष्कर्ष निकला कि सुशीला देवी से श्रीपाल सिंह ने कोई शादी नहीं की है और वह उनकी रखैल की हैसियत से अलग मकान में रहती थी। सुशीला देवी ने बताया कि उनके 2 बच्चे है उसमें एक 3 साल का तथा दूसरा 6 महीने का है, ये लड़के श्री पालसिंह के नहीं है बल्कि दूसरे के हैं।
(3) वोटर लिस्ट में सुशीला देवी पत्नी श्रीपाल सिंह दर्ज है।	सुशीला देवी ने सूचित किया कि वोटर लिस्ट 1973 में किसी ने दुश्मनी से उन्हें श्रीपाल सिंह की पत्नी लिखा दिया होगा। श्रीपाल सिंह ने भी अपने बयान में बताया कि सुशीला देवी को उनकी पत्नी वोटर लिस्ट में लिखाये जाने का ज्ञान नहीं है।
(4) प्राप्त अनुदान से जसपुरा में सुशीला देवी के नाम कोई मकान नहीं बनाया गया है बल्कि श्रीपाल सिंह ने उस रुपये से नगर बांदा में अपना मकान बनाया है।	सुशीला देवी ने सूचित किया है कि उन्होंने ग्राम जसपुरा में एक मकान बनाया है जिसमें एक कमरा है और ऊपर एक कोठा है। यह मकान ईटों का है, एक हजार रुपये अनुदान और 2 हजार रुपये अपने पास से लगाकर मकान बनवाया है। श्रीपाल सिंह ने सूचित किया कि उन्होंने 2 साल पहिले लगभग 25–26 हजार रुपये का एक मकान बांदा नगर में बनाया है। सुशीला देवी के मकान की कम्पलीशन रिपोर्ट की लागत 1,400 रु0 अंकित है। जिलाधिकारी ने भी इस बात की

विशेषाधिका की अवहेलना में उठाया गया	जांच रिपोर्ट एव आख्या
1	2
	पुष्टि की है कि सुशीला देवी के मकान में एक कमरा 13x8 फुट ऊंचा 9 फुट सामने खिड़की व खपरैल छाया हुआ कमरा, दूसरा कमरा उसी से लगा हुआ 13x8 फुट है, बीच में गैलरी व पीछे आंगन लगभग 26x30 फुट है। अनुदान का उपयोग हो चुका है।
(5) वर्तमान बी0 डी0 ओ0जसपुरा श्री राम पाल सिंह श्री पाल सिंह के संबंधी हैं और उन्होंने विरोध के बावजूद अनुदान की दूसरी किस्त सुशीला देवी को दी।	श्री पाल सिंह ने बी0 डी0 ओ0, जसपुरा से अपने किसी संबंधी होने की बात से इनकार किया। रास्ता खराब होने के कारण बी0 डी0 ओ0 जसपुरा उपस्थित न हो सके। जिलाधिकारी, बांदा ने बी0 डी0 ओ0 जसपुरा की संस्तुति से अपने आदेश दिनांक 26-3-74 द्वारा अनुदान की स्वीकृति दे दी, इसमें प्रथम किस्त 31-3-73 को दूसरी किस्त 30-3-74 को दी गई।

4—उपर्युक्त से यह बात सिद्ध है कि सुशीला देवी बेड़िया जाति की स्त्री है। श्रीपाल सिंह से उनका विवाह होने का कोई प्रमाण नहीं है। उप विधि परामर्शी की राय से अनुसूचित जाति की कोई स्त्री किसी ठाकुर से शादी कर ले तो भी वह स्त्री अनुसूचित जाति की ही रहेगी और उसकी जाति में परिवर्तन नहीं माना जायगा।

5—चूंकि इस मामले में जिलास्तर पर कोई प्रतिवादकर्ता नहीं है और विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की नोटिस अथवा विधान सभा प्रश्न जिन माननीय सदस्य ने दिया है वे बांदा के रहने वाले नहीं हैं अतः प्रतिवादकर्ता होने के कारण केवल एक पक्षीय जांच ही सम्भव हुई है।

6—उपरोक्त रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रश्न के संबंध में जो उत्तर दिया गया था उसमें कोई असत्य बात नहीं कही गई थी। अतएव विशेषाधिकार अवहेलना नहीं की गई है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र म वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल की वृद्धि का प्रस्ताव

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

मान्यवर, म आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

चूंकि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 सदन के 2 अप्रैल, 1976 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1976 तक सदन में प्रस्तुत करें और चूंकि समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है।

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 15 मई, 1976 तक बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण विधेयक, 1976 सदन के 2 अप्रैल, 1976 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 30 अप्रैल, 1976 तक सदन में प्रस्तुत करे और चूंकि समिति अभी तक विधेयक पर विचार करके अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी है ।

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उपनियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव म उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय,

अतएव यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 15 मई, 1976 तक बढ़ाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

कार्य स्थगन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

1976–77 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मण्डल

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1–राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,07,31,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1–राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1 07,31,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति

वित्त राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14– अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतरिक्त 39,07,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 39,07,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20 · कोषागार तथा लेखा प्रशासन

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,26,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च , 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,44,26,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपको आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,30,47,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 3 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,30,47,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,34,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,34,300 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम-वित्त

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम-वित्त के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,20,86,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या 95—ऋण और अग्रिम-वित्त के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,20,86,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 49—पशुपालन, अनुदान संख्या 50—दुग्ध शाला (डेरी) विकास, अनुदान संख्या 51—मत्स्य उद्योग, अनुदान संख्या 52—वन, अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 80—वनों पर पूंजीगत परिव्यय

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,20,75,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि एक छोटी सी पुस्तिका सभी माननीय सदस्यों के पास भेज दी गयी है और उसमें पिछले वर्ष और इस वर्ष की जो योजनायें है उनको विस्तार से दर्शाया गया है। मैं एक दो बातें ही माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि इस वर्ष पशुपालन विभाग 2—3 चीजों के ऊपर खास ध्यान देने जा रहा है एक तो चारे की हमारे प्रदेश में पश्चिमी जिलों को छो कर और जिलों में कमी है। इसके लिये कुछ खास अभियान चलाया जा रहा है कि चारे को लोग ज्यादा से ज्यादा उगायें और अपने पशुओं को वह खिला सके। इस तरह से लगभग 900 हेक्टेयर के लिये चा का बीज बांटा है। पंतनगर, मथुरा और झांसी में जो ग्रास के रिसर्च सेन्टर हैं वहां पर विशेषज्ञ यह प्रयास कर रहे है कि किस प्रकार सस्ता और अच्छा चारा जानवरों के लिए उगा सकें। इसी तरह से भेड़ पालने के लिये भी खास ध्यान दे रहे हैं क्योंकि कालीन उद्योग में ऊन की जरूरत होती है। राजस्थान से और विदेशों से अच्छी भेड़ मंगायी जा रही है और आशा की जाती है कि कुछ ही दिनों में हम अच्छी ऊन पैदा कर सकेंगे। उसी प्रकार मे कुक्कुट पालन की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसमें भी खास समस्या चारे की है।

यह विचार है कि प्रदेश में ही अच्छा और सस्ता दाना बनाया जाय जिससे कि कुक्कुट पालन का विकास हो सके। इसी तरह से और भी चीज हैं जिनका विस्तार से इस पुस्तिका में विवरण दिया हुआ जिसको माननीय सदस्यों ने पढ़ लिया होगा। इस समय मुझे इतना ही निवेदन करना था और माननीय सदस्यों के जो भी सुझाव आयेंगे, उन पर शासन विचार करेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मेरा यह सुझाव था कि यह सारी मांगें मंत्री जी पढ़ दें और सब पर मिलीजुली चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जैसा नेता सदन कहें।

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

एक साथ ले लें। ठीक रहेगा।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50 दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,53,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51–मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,71,200 रुपये से अनधिक स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-52 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,81,89,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79–पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,51,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80 वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,70,700 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, ये जितने अनुदान जो मैंने प्रस्तुत किये हैं, वे मत्स्य विभाग, वन विभाग तथा पशुपालन विभाग के बारे में है। अभी मैंने पशु पालन विभाग के विषय में थोड़ा सा बताया है। मत्स्य विभाग के विषय में यह कहना है कि इस वर्ष हम लोगों ने जो गांव समाज में छोटे छोटे तालाब हैं जिनमें सिंचाई होने के बाद पानी बच रहता है उसके लिये आस

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

पास में रहने वाले मल्लाहों का 10 वर्ष के लिये पट्टे पर देने का निश्चय किया है। वे लोग उन तालाबों का एक प्रकार से कन्ट्रैक्ट लेंगे और उन तालाबों की निगरानी भी करेंगे और उनमें अच्छे किस्म की मछलियां भी पालेंगे। इससे उनकी भलाई भी होगी और तालाब की देख-रेख भी रहेगी। इसी प्रकार से जो हमारे बड़े बड़े जलाशय, रिजरवायर हैं उनके बारे में सरकार यह सोच रही है कि उनका कोआपरेटिव सिस्टम से कुछ इन्तजाम किया जाय अभी तक हम उनका आक्सन कर दिया करते थे।

आप लोग सभी वन विभाग के बारे में जानते हैं कि हमारे प्रदेश मे वनों की बहुत कमी होती जा रही है जिसके कई कारण हैं। जो हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं जिन कारणों से भी हमारे वनों की कमी हो जाती है। आगे भी इसी प्रकार के प्रोजेक्टस बनेंगे और यह क्रम चलता रहेगा। इसलिये यह प्रायास किया जा रहा है कि हमारे वनों की कमी न होने पाये। वनों की हानि न होने पाये इसके लिये वृक्षारोपण पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वनों में तो हम जो वृक्षारोपण करते हैं वह तो हमारा विभागीय प्रोग्राम है लेकिन इसके अतिरिक्त भी पिछले वर्ष से शासन ने अधिक वृक्ष लगाने का प्रयास आरम्भ किया है। शासन ने वन विभाग के अलावा जो खाली भूमि पड़ी है अथवा ग्राम समाज की भूमि है उस पर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का अभियान चलाया है। करीब 2 करोड वृक्ष वन विभाग के अतिरिक्त भूमि पर लगाये जायेंगे। हर एक जिले में एक एक कमेटी भी बना दी गई है जिसमें वहां के हार्टीकल्चर या वन विभाग के अधिकारी उसके सचिव के रूप में काम करेंगे। वे देहातों में जाकर हमारे ग्राम समाजों की खाली भूमि पर वृक्षारोपण करवायेंगे। इस कार्य को कोआर्डिनेट करने के लिये भी हमने एक कन्जरवेटर रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की है जो कमिश्नर या कलेक्टर लेवल पर बातचीत करेगा और वहां की नर्सरीज को भी देखेगा। वह देखेगा कि वहां पर नर्सरीज में कितने वृक्ष रोपित किये गये हैं और वे कहां पर लगाये जा सकते हैं। इस वर्ष से इस किस्म की य योजना आरम्भ की जा रही है। माननीय सदस्यों को विदित होगा कि 1974 में वन निगम की स्थापना की गई थी। वन निगम ने अभी तक जो प्रमुख काम किया है वह यह कि जो ठेकेदारी की प्रथा थी उसको समाप्त करने का उसन प्रयास किया है। लकड़ी को काटकर ठेको पर ले जाकर उसका आक्शन कर देते हैं। इस तरह से पिछले 9 महीने काम करने का जो अवसर मिला था उसमें उन्होंने वन विभाग को करीब 53 लाख 11 हजार रुपये की रायलटी दी है और काफी लकड़ी काट कर दी है। एक सबसे बड़ा काम यह किया है कि माननीय सदस्यों को स्टार पेपर मिल के बारे में शिकायत रहती थी कि वह सीधे पेड़ काट कर ले जाते थे। उस शिकायत को दूर करने के लिये पहाड़ पर सारा कार्य करने का उत्तरदायित्व इस निगम ने ले लिया है और स्टार पेपर मिल कोई भी एक्सप्लायटेशन पेड़ों के बारे में नहीं कर पा रही है। हम हल्द्वानी में उनको लकड़ी काट कर पहुंचा देते हैं और जो पुरानी शिकायत स्टार पेपर मिल के बारे में थी वह इस प्रकार खत्म हो गयी है।

अभी तक वन निगम एक्सप्लायटेशन को खत्म करने का काम करता था। अब यह सोचा जा रहा है कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज का काम भी इसे सौपा जाय जो फारेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हों। कुछ वर्ष पहले हमने तेंदू पत्ती के ट्रेड को नेशनलाइज किया था। उससे विभाग को 1 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। इसी तरह से अब लीसा ट्रेड पर नियंत्रण करने का विचार है ताकि प्रदेश की सरकार को उससे भी लाभ हो सके। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि लीसे की काफी मात्रा में चोरी हुआ करती थी। इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाया गया था और माननीय सदस्यों ने उसे स्वीकार किया था। इससे मेरा खयाल है लीसा की चोरी बिलकुल समाप्त हो जायगी। इसी तरह से जंगली जानवरों को बचाने के लिये इस प्रदेश में काफी नियंत्रण किया गया है। माननीय सदस्य जो जंगल के निकट रहते हैं अथवा जिनको जंगल में जाने का अवसर मिला होगा उनको यह ज्ञात हुआ होगा कि इधर जंगली जानवरों की तादाद काफी बढ़ी है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये इस

वर्ष दुधुआ सैन्चुअरी को पूरा नेशनल पार्क बनाने जा रहे हैं,उसका एरिया बढ़ा दिया गया है और नेशनल कार्बेट पार्क की तरह यहां भी जंगली जानवरों का प्रीजर्वेशन किया जा सकेगा। इसी तरह से और चीजों पर भी पहाड़ी क्षेत्र में ध्यान दिया जा रहा है जैसे ठेकेदार जो वहां काम करते हैं वे मिनिमम वेजेज पर ध्यान नहीं देते थे । अब यह कानून बना दिया गया है जिसके अन्तर्गत हर ठेकेदार के लिये मिनिमम वेजेज देने की शर्त लगा दी गयी है और उसे उनको देना होगा । श्रीमन्, छोटे–छोटे उद्योगों के लिये भी स्थानीय स्तर पर कच्चा माल देने का भी इन्तजाम हो रहा है । बहुत सी योजनायें शासन के विचाराधीन हैं जिससे वन सुरक्षित रह सकें। जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया इस सम्बन्ध में पूर्ण डिटेल्स जो पुस्तिका आपके सामने रखी गई है, उसमें देखने को मिल सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

दुग्ध योजना के बारे में नहीं बताया ।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

श्रीमन्, ऐसा है कि डेरी और पशुपालन एक ही विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया है। अभी तक ऐसा देखने में आया है कि हमारी जितनी भी डेरीज हैं वे सुचारुरूप से नहीं चल रही हैं। जब से यह विभाग मेरे पास आया है, मैं यह सोच रहा हूं कि एक्सपर्ट्स की एक छोटी सी कमेटी बना दी जाय. . . . .

एक सदस्य—

निगम बना दीजिये ।

श्री अजीत प्रताप सिंह—

निगम की आवश्यकता नहीं है। यह कमेटी इन डेरीज को देखकर यह बताये कि उनमें घाटा क्यों हो रहा है, क्या कमियां हैं ताकि ये डेरीज आगे ठीक से चल सकें। अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर मिल्क विधेयक लाया गया था जिसके द्वारा दूध के आने-जाने पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारे प्रदेश की डेरीज अच्छी तरीके से काम करेगी ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49–पशुपालन में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–दुग्धशाला (डेरी) विकास में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51–मत्स्य उद्योग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सख्या 52–वन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79 पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80—वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, जहां तक वन विभाग का प्रश्न है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी वन नीति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है जो कि स्वागत के योग्य है। मैं तो कुछ चीजों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आप भी आज से 10 साल पहले मसूरी, नैनीताल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमनोत्री गये होंगे और आज यदि आप जायं तो वहां ऐसा मालूम होगा मानों पहाड़ों के ऊपर कोई हो गया हो। सारे जंगल कटते जा रहे हैं। उनका बिनाश हो रहा है। मुझको लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं जब गंगा और जमुना का पानी सूख जायेगा। पहाड़ों के अन्दर जो छोटे—छोटे नाले थे, जिनसे पीने के लिये और सिंचाई के लिये पानी मिलता था, वे सूख गये हैं। जंगलों का भयंकर तरीके से कटान हो रहा है। अगर यह स्थिति ऐसी हो जारी रही तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि पता नहीं किस स्थिति में देश पहुंच जायगा? आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज किस तरह से कटाव हो रहा है? तमाम जो ठेकेदार लोग हैं वह जंगलात विभाग के कर्मचारियों से मिल कर अवैध रूप से कटान कर रहे हैं और इस तरह से तमाम जंगल खतम हो रहे हैं। दूसरी तरफ मान्यवर, लीसे के घाव किस तरह से लगाये जाते हैं। उत्तर काशी के जमनोत्री डिविजन में मंत्री जी को मालूम होगा कि हवा के झोंकों से तमाम पेड़ गिर गये। उसका क्या कारण था? कारण यह था कि लीसे के गहरे घाव लगाये गये जिससे वे पेड़ गिर गये। वन विभाग की नीति यह है कि जो कौमर्सियल फारेस्ट है जैसे देवदार है, चीड़ है उसकी तो रक्षा आप करते हैं लेकिन रई बांज, मौरू की रक्षा का कोई इन्तजाम नहीं है जिसका कि किसानों की जिंदगी से संबंध रहता है। जोकि घास पत्ती, हल आदि बनाने के काम आता है इनका आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। इसका नतीजा यह है कि जो आपके रिजर्व फारेस्ट हैं उनका सफाया हो चुका है।

आमतौर पर जंगलात विभाग की ओर से दलील दी जाती है कि गांव वाले और किसान जो हैं वह जंगलों को बरबाद कर रहे हैं। मान्यवर, मैं दावा कर सकता हूं कि जो जगल गांव वाले पाल रहे हैं, जिनका प्रबन्ध गांव वाले कर रहे हैं वह काफी घने हैं। लेकिन जो जंगल जंगलात विभाग के हैं उनका आज सत्यानाश हो रहा है। आप प्लान्टेशन करते हैं देवदार की, आप प्लान्टेशन करते हैं चीड़ की, लेकिन जो गांव के लोगों के जीवन से संबंधित हैं उनकी तरफ आपने नहीं देखा। आपने मारू की प्लान्टशन नहीं की, आपने बरुस की प्लान्टेशन नहीं की। मान्यवर यह अच्छी बात है कि अब मंत्री जी का ध्यान उस तरफ गया है। अब इन बनों के प्लान्टेशन की योजना को उन्होंने स्वीकार किया है। आपने जब से प्लान्टेशन का काम किया है, हमको तो खतरा था कि गांव वाले उसका विरोध करेंगे, तो उसका उल्टा असर हुआ और उन्होंने उसका समर्थन किया। जो गांव वालों की जमीन थी उन्होंने जंगलात विभाग के हवाले कर दिया कि आप इसमें जंगल लगाइये। जनता का अगर आपने सहयोग लेने का प्रयास किया तो बनीकरण भी होगा और जनता का सहयोग सभी सहर्ष मिलेगा। अगर आपने नौकरशाही के भरोसे पर, डंडे के बल पर किया तो यह काम नहीं हो पायेगा।

मान्यवर, अभी एक बिल सेलेक्ट कमेटी के अन्दर है जिसके लिए आज ही एक प्रस्ताव रखा है । अब कोई साहब लखनऊ में बैठे हुए हैं उनके यहां तो जलाने के लिये लकड़ी नहीं चाहिये क्योंकि गैस का चूल्हा है, उनकी आग सेंकने के लिये लकड़ी नहीं चाहिये क्योंकि हीटर जलता है । तो उनको क्या पता कि पहाड़ों की क्या कठिनाइयां हैं । पहाड़ों में लोगों को हल, कुल्हाड़ी, दराती फावड़ा आदि के बेंट के लिये लकड़ी चाहिये । आज वह आदमी कोई पेड़ नहीं काट सकता है, कोई पेड़ नहीं काट सकता है वह कुदाल और दराती में बेंट कहां से लगायेगा जिसका कि किसान की जिंदगी से ताल्लुक रहता है । मौरू और बांज की लकड़ी जलाने के काम आती है वह उसे नहीं मिलेगी । आज वह कोई पेड़ नहीं काट सकता है । यही स्थिति मैदानों में बबूल के पेड़ की है जिसका कि यहां के किसान की जिन्दगी से ताल्लुक है और क्या किया । इसके लिये इजाजत लेनी पड़ेगी । अगर किसी ने ऐसा काम कर दिया या उस पर ऐसा काम करने का संदेह हो गया तो नानकागनिजेबिल अफेन्स बन गया और बिना वारण्ट पटवारी या रेंजर उसे गिरफ्तार कर लेगा । यह दिमाग आप रखेंगे तो आप जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते हैं । जनता पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप वनीकरण नहीं कर सकते हैं । इनको कौन कटवा रहा है ? वही रेंजर और पतरौल, जिनको आपने व्यापक अधिकार दे रखा है, इन्हीं से मिलकर ठेकेदार से इनका सफाया करवा रहे हैं । मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके से आप बनों की रक्षा नहीं कर सकते हैं । यदि आपको इनकी रक्षा करनी है और किसानों की स्थिति को सुधारना है तो इस पर कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा । यह खुशी की बात है कि पहली बार वन और पशुपालन विभाग एक मंत्री के अधीन हैं । आपको देखना पड़ेगा कि चारे के लिए किसान को घास–पत्ती मिल जाए, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि किसान को जलाने के लिये लकड़ी मिल जाए, तथा हल तथा अन्य कृषि औजारों के लिये उनको लकड़ी मुहैय्या हो जाए । अगर आप ऐसा करेंगे तो वनों को ऐसी स्थिति में लाना पड़ेगा कि किसानों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और वनों का वनीकरण भी हो जाए । यह दृष्टिकोण आपको अपनाना पड़ेगा ।

दूसरी चीज यह है कि वनों की रक्षा कौन करता है ? फारेस्ट गार्ड, और मीलों का एरिया उनके अंदर में होता है । पहाड़ों पर 30–30, 40–40 और 50–50 मील का फासला उनको पार करना पड़ता है, इतना उनके देखभाल में होता है । इतने लम्बे क्षेत्र की देखभाल कर पाना एक फारेस्टगार्ड के लिये कतई सम्भव नहीं हो पाता है । वन विभाग में एडीशनल चीफ इंजीनियर्स की पोस्ट बढ़ाई जाएंगी, कंजरवेटर्स और डी0 एफ0 ओज0 की पोस्ट्स बढ़ाई जायेंगी, लेकिन मोहर्रिर पतरोल की पोस्टें, जिनको वनों की रक्षा करनी है उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी । वनों की रक्षा के लिये जो इन्होंने डी0 एफ0 ओ0 बनाया है, उत्तर काशी के लिए एक डी0 एफ0 ओ तथा कुल 4 रेंजर हैं । वनीकरण के लिये आपके पास पैसा नहीं । लोगों की मांगे आ रही हैं कि हमारे यहां वन लगाए जाएं, लेकिन रेंजर और डी0 एफ0 ओ0 कहते हैं कि हमें फुरसत नहीं है और न हमारे पास पैसा है । इसलिये आपको छोटे कर्मचारियों की अधिक संख्या बढ़ानी पड़ेगी और उनको पर्याप्त सुख सुविधा भी देनी पड़ेगी । वहां इन्टीरियर में उनके बच्चों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, उसके लिये दवाओं का कोई प्रबन्ध नहीं है । उनकी सर्विस कंडीशंस नहीं सुधरेंगी, तो वह प्रलोभन में आकर भ्रष्टाचार का शिकार होंगे । मैं मंत्री जी का इस बात के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने और उनके वन सचिव ने ईमानदारी से इस नीति को अपनाया है कि ठेकेदारी प्रथा का अंत होना चाहिये । यह बहुत गम्भीर और अच्छी चीज है । मैं इसे वन विभाग के अन्दर एक क्रान्तिकारी कदम समझता हूं ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

होता यह था कि ठेकेदारों ने लोगों को पैसा दे दिया, चीरान करने वाले, लुढ़कान करने वाले ढुलान करने वाले, वहन करने वाले सब के सब आदमी पहाड़ी थे, लेकिन देहरादून आदि के आदमी तमाम मलाई खा जाते थे। बड़ी अच्छी बात है आपने यह नीति बनाई और इस चीज को खत्म किया गया। आपने फारेस्ट कारपोरेशन बनाया अच्छी बात है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं। फारेस्ट कारपोरेशन, टूरिस्ट कारपोरेशन, हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन आदि पचासों कारपोरेशन बन गये। अब अगर जंगलात का काम करना है, तो हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन भी वही काम करेगा, फारेस्ट कारपोरेशन भी वही काम करेगा। टूरिस्ट कारपोरेशन और हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन भी वही काम करेगा। मैं समझता हूं इसकी बहुत आवश्यकता है जिस समय फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन बन गया, लेकिन लीसा का काम हिल डेवलपमेंट कारपोरेशन कर रहा है। ओवर लैपिंग एक दूसरे के बीच में हो रही है। मैं समझता हूं कि इस तरह से कारपोरेशन को करना है कि मालदारों की जगह इन कारपोरेशन को लेनी है। जंगलात का काम मान्यवर, ऐसा होता है कि अगर लकड़ी को नदी में बहा कर ले जाना है, तो छोटे-छोटे लाट के जो ठेकेदार हैं उनसे माल खरीदें।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप पूरे टिम्बर का काम इस कारपोरेशन से करेंगे, अगर कटान का भी काम करायेंगे, तो इस कारपोरेशन का भट्टा बैठ जायेगा। जो छोटे-छोटे लाट बना रहे हैं उन लाटों का सामान खरीद कर आप मारकेट में रखें। दूसरी चीज मान्यवर, यह है कि उद्योग जो बने हैं, मेरा ख्याल है कि अभी तक इसका वैज्ञानिक आधार पर कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। किस उद्योग के लिये कितना सामान बन विभाग उपलब्ध करा सकता है, यह अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ। क्या क्या जड़ी-बूटियां हमारे जंगलात के अन्दर पड़ी हुई हैं इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ बल्कि उल्टा हो रहा है? मान्यवर, ऋषीकेश से लेकर और टनकपुर की तराई तक पुराने जंगल कट गये, इक्युलिपटस के और नये जंगल लगाये गये। उत्तर प्रदेश में कम से कम एक कागज का कारखाना खोला जाय। इक्युलिप्टस बिलकुल बेकार हो रहे हैं। यह बिलकुल वेस्ट होने जा रहा है। मैं आपसे पूछना चहता हूं कि केन्द्रीय सरकार की अगल-अलग अन्डरटेकिंग्स हैं। केन्द्रीय सरकार से भी बात की जा सकती है। मैं यहां तक भी कहता हूं कि प्राइवेट आदमी, अगर कोई पूंजीपति आता है, उसको आप आमंत्रित करें। यह जो राष्ट्र के अन्दर नुकसान हो रहा है इसको आप बचाने की कृपा करें। चाहे कोई पूंजीपति हो, वह लगाये। सरकार चाहती हो, वह लगाये। एक नया निगम चाहे आप बना दीजिए। लेकिन यह जो इक्युलिप्टस खराब होने जा रहा है, उसको आप बचायें। मान्यवर, लीसा एक दूसरी सम्पत्ति है पहाड़ों की आपकी, लेकिन लीसा के अन्दर जो संकट पैदा हो गया है, बड़ा गंभीर संकट पैदा हो गया है। छोटी-छोटी यूनिटें खतम हो जायगी। चीन लार्ज स्केल पर आ गया है। पुर्तगाल भी जंगलों के बारे में इन्टर नेशनल मारकेट में आ गया है। हालत यह हो गयी है कि हिन्दुस्तान के लीसा का बिकना बन्द हो गया है। एक कंपनी थी उसने अपना लीसा बाहर भेजना चाहा, लेकिन उसका लीसा कलकत्ता में पड़ा हुआ है। कम्पनी बैठ गयी है। आपको मान्यवर, लीसे की क्वालिटी को सुधारना पड़ेगा आपको इस ओर कुछ न कुछ सोचना चाहिये। आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरह से अन्तर्राष्ट्रीय मारकेट में कम्पीट कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी इतनी बड़ी सम्पत्ति जो जंगलों की है वह समाप्त हो जायेगी, वेस्ट हो जायेगी। आप मारकेट बनाने की कोशिश कीजिए। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ प्रकास डालेंगे।

यही हालत मान्यवर, गिनगोल की है। यह पंजाब को जा रहा। इसका क्या उद्योग खोला जा सकता है, इसको उत्तर प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिये। कौन-सा

कारखाना स्थापित किया जा सकता है, इस पर विचार करना चाहिये। हमारे वन विभाग के अन्दर जो कच्चा माल है उसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिये। जिससे यहां का कच्चा माल उद्योग धंधों में इस्तेमाल किया जा सके।

मान्यवर, मैं लगातार हर कमेटी में कहता आया हूं कि बनों का अगर विकास करना है तो यहां पर संचार व्यवस्था का प्रबन्ध कीजिए। मान्यवर, ये जंगल हैं 54-55 में इनकी सम्पत्ति से 10 करोड़ की आय हुई थी लेकिन पिछले वर्ष इन्हीं जंगलों से 38 करोड़ की आमदनी हुई है। अगर इनसे आपको आमदनी कमाना है तो यहां पर संचार व्यवस्था कायम कीजिए और सड़कें बनाइये यहां पर कुल 10 किलोमीटर की सड़कें ही बनायी गयी हैं अगर आपको जंगलों का विकास करना है तो सड़कें बनानी पड़ेंगी। आपने जो धन जंगलों के विकास के लिये लिया है उसमें से 10 प्रतिशत आप संचार आदि के लिये नहीं रखेंगे तो उनकी रक्षा नहीं हो सकेगी। इसलिये मान्यवर, आपको जंगलों की संचार व्यवस्था सड़कों के निर्माण के बारे में ध्यान देना चाहिये।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं और वह है अतिक्रमण की। जो थारू हैं उनको आप सहन नहीं कर सकते हैं लेकिन जिन बड़े-बड़े आदमियों ने जमीन को हथिया लिया है उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। उनके विरुद्ध आपकी पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है आपकी बन्दूक उनके विरुद्ध नहीं चल पाती है। छोटे आदमियों को आप सहन नहीं कर सकते हैं और बड़े आदमियों को आप छूते नहीं हैं। मान्यवर, इससे काम चलने वाला नहीं है।

मान्यवर, पहाड़ों के अन्दर बहुत से महत्वपूर्ण जंगली जानवर हैं उनमें से एक कसेबरा है। अगर यही हालत रही तो कसेबरे की नसल खतम हो जायेगी जितने व्यापक ढंग से चोरी करके इन कस्तूरे मृगों को मारा जा रहा है अगर यही हालत रही और इनकी रक्षा न कर सके तो इनको बचाया नहीं जा सकेगा। मेरी प्रार्थना है कि सरकार कोई न कोई उपाय ढूंढकर इन जानवरों की रक्षा करे।

पशुपालन का कितना महत्व हमारे जीवन में है, कहने की आश्यकता नहीं है। हमारी जमीन तो सीमित है लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो निश्चित रूप से हमें पोष्टिक आहार भी ढूंढना पड़ेगा। पौष्टिक आहार हमें इन्हीं जानवरों से मिल सकता है। तो उनकी नस्ल को सुधारने की सबसे पहली आवश्यकता है। इसके लिये आपके यहां पर हालत क्या है? सांड़, जो कि आस्ट्रेलिया के हैं, के आहार के लिये पशु पालन केन्द्रों पर 300 रुपया सालाना रखा गया है। कैसे आप उम्मीद कर सकते हे कि ये सांड पल जायेंगे? और यह धनराशि भी वहां पर रखी गई है जहां पर आपके स्टाकमैन के सेन्टर्स हैं। 300 रूपया सालाना में आप यह समझते हैं कि किसी जानवर को पुष्ट रख सकेंगें, यह असम्भव बात है। इसका नतीजा क्या है कि आपके ब्रीडिंग सेन्टर्स से जो सांड उत्तरकाशी के भटवाड़ी और इड़ा ब्लाक में गयी कोई माउंट ही नहीं करता है। खाने के लिए उनको चारा और घास देंगे नहीं तो कैसे वे माउंट कर सकेंगे? आपने तो इनकी नसबन्दी करदी है।

दूसरे, आपके जो पशु चिकित्सा केन्द्र है, वे भी किसी योजना के ढंग में से नहीं हैं। देहरादून की ही मिसाल मैं देता हूं। एक चोहड़पुर में है, एक कलसिया में है और एक सइयां में है। पशु चिकित्सा केन्द्र त्युनी जो इन्टीरियर में है वहां पर कोई पशु चिकित्सक पहुंचता ही नहीं है। तो जब आप योजना बनाते हैं तो ऐसी बनाइये कि इससे इधर-उधर के लोग फायदा उठा सकें।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

आपने एक चारा लगाने की योजना बनाई है। योजना बनाने वाले लखनऊ में बठे रहते हैं जिन्होंने पहाड़ों के दर्शन भी नहीं किए होंगे। अगर गये भी तो ज्यादा से ज्यादा मसूरी या नैनीताल में। योजना बनाई गई कि बरसीम और जई लगाइये। वहां पर छोटे-छोटे खेत होते हैं जिनकी पैदावार अपना पेट भी भरने के लिये काफी नहीं होती है। अगर पहाड़ों में भीमल, गुबरियाल खडीक और बांझ मौरू लगाया जाय तो वहां जानवरों के लिये चारा पैदा हो सकता है। डेरी फार्म की अच्छी याद दिलाई। मंत्री जी, तमाम डेरीफार्म्स भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। भ्रष्टाचार तो एक आदत सी बन गयी है कहने वालों और सुनने वालों की, असर किसी पर नहीं पड़ता। आपके कालसी में भी यही हालत है। वहां कुछ नसलें नीलाम करते हैं गाय भैंसों की। मैं नाम नहीं लेना चाहता। भूतपूर्व मंत्री हैं, उनके एक भाई बड़े आला अफसर हैं, देहरादून में। एक बढ़िया भैंस को नीलाम में नहीं रखा गया। वह भैंस उन भूतपूर्व मंत्री के आला अफसर भाई को चुपके से 500 रुपये में दे दी गयी। शिकायत हुई, लेकिन मंत्री जी ऊपर बैठे हुए हैं, शिकायत सुनने वाला कौन है और किस अधिकारी की हिम्मत है, जो लिख दे? लिहाजा मामला गोल-मोल होकर रह गया। एक बेचारा पशुचिकित्सक है कालसी में उसने धृष्टता कर दी कि उप-निदेशक से कुछ गड़बड़ घोटाले की शिकायत कर दी। उसकी शिकायत करनी थी कि उसकी नौकरी करना असंभव हो रहा है। कभी जुर्माना किया जाता है और तनख्वाह समय पर नहीं दी जाती। यह मामला है देहरादून की डेरी का सब जान ही गये होंगे। मेहरबानी करके इन डेरीज को अगर इकोनामिक बनाना है, अगर इनसे फायदा उठाना है तो इनको झकझोरिये। माननीय मंत्री जी को क्या कहूं? आप बहुत मीठे आदमी हैं कुछ जरूरत से ज्यादा मीठे आदमी हैं और मुसीबत यह है कि आपके जो सचिव हैं वह भी ऐसे ही मीठे हैं। कृपा करके डंडा हाथ में लीजिये। यह जंगलात विभाग है और पशुपालन विभाग है, वहां बिना डंडा के काम चलता ही नहीं—जानवरों को हांकना पड़ता है। तो मेहरबानी करके कुछ सख्ती कीजिये और भ्रष्टाचार की जो गड़बड़ चल रही है उसको खत्म कीजिये। लखनऊ का मामला, परसों चर्चा का विषय था कि किस तरह से एक अधिकारी के ऊपर एफ0 आई0 आर0 लगाई जाती है, थाने में मुकदमा दर्ज होता है विजिलेंस सेल की तरफ से, लेकिन उसको सस्पेंड नहीं किया जाता। अब कारण क्या है—आप जानें?

उसी तरीके से मेरा आपसे निवेदन है कि भेड़ जो पाली गयीं वह किस प्रकार से अन-प्लाम्ड तरीके से बांगर खलियान में सब मर गयीं, उनको कोई जगह नहीं है। पिछले साल बहुत बड़ा आडिट आब्जेक्शन चला। तो मेरा निवेदन है कि पहाड़ों के लिये भेड़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जानते हैं कि पहले तिब्बत से ट्रेड होती थी वह खत्म हो गयी। अगर अच्छी अच्छी नसलें वहां ले जायेंगे तो वह व्यापार रिवाइव हो सकता है। यह रिपोर्ट थी कि कुछ भेंड़ आयीं वह चकराता में मर गयीं। तो यह देखना चाहिये कि वे किस आल्टीट्यूड पर रह सकती हैं, किस पर नहीं।

कुक्कुट पालन के बारे में एक योजना बनी थी। उसमें यह था कि देहात के पढ़े लिखे लड़कों को कुछ अनुदान देकर मुर्गी पालन की ट्रेनिंग दी जाय। लेकिन हुआ क्या? यह कि एस0एस0पी0 के जो लोग हैं उन्होंने तमाम अपने हाथ में ले लिया। तो आप जो बेरोजगारों को शिक्षा देने जा रहे थे वह खत्म हो गयी। मेरा निवेदन है कि आप इस को भी देखेंगे कि एस0 एस0पी0 वालों से योजना वापस लेकर इसको फिर लागू करें। मछली के बारे में इतनी बड़ी गंगा यमुना आपके पास, इतने बड़े-बड़े जलाशय आपके पास, रिहन्द आपके पास, टेहरी बांध बनने जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपको जलाशयों का कुछ प्रयोग करना चाहिये और मत्स्य उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिये। खासतौर से जो उत्तर काशी वाले इलाके में ड्योड़ी ताल है वहां बहुत सफल तरीके से यह उद्योग चल सकता है।

अन्त में जो आपके स्टाक-मैन हैं इनकी सर्विस कंडीशन्स की तरफ देखिये । आपने एक बैन लगा रखी है कि 16 किलोमीटर तक इनको यात्रा भत्ता नहीं देंगे । बड़े कर्मचारियों की आपने तनख्वाहें बढ़ा दीं लेकिन इन छोटे कर्मचारियों की छोटी-छोटी मांगों को नहीं मान रहे हैं ।

पशु सेवा केन्द्रों पर आपके भवन नहीं हैं । तो अगर कोई पशु आये तो वह कहां रखा जायगा और आपका कर्मचारी कहां रहेगा ? दूसरे, उनका कहना यह है कि जो आपके कुक्कुट निरीक्षक और स्टाक मैन हैं इन दोनों की क्वालिफिकशन एक ही हैं लेकिन इनके वेतनमानों में फर्क है । मैं समझता हूं यह भी खत्म होना चाहिये । उनकी एक और छोटी सी डिमान्ड है । जैसे ओवरसियर अब जूनियर इंजीनियर हो गये, वैसे ही इनको भी सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी कर दिया जाय । मैं समझता हूं कि इसको आपको स्वीकार करना चाहिये ।

कटौती का प्रस्ताव तो मुझे रखना ही पड़ा लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपके वन विभाग ने पिछले दिनों जो नयी नीतियां प्रतिपादित की हैं उनका मैं समर्थन करता हूं । मजदूरों का जो न्यूनतम वेतन तय किया है, वह ठीक है । लेकिन इनको लागू करने की कृपा करें क्योंकि बड़े बड़े मालदार हैं, वे बचने का रास्ता निकाल लेते हैं । इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ।

*श्री भारत सिंह (जिला गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने वन विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया । माननीय नेगी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका तो मैं विरोध करता हूं लेकिन उनकी भावनाओं का इसलिये समर्थन करता हूं कि उन्होंने वन विभाग के मंत्री और सचिव को बधाई दी है कि जो क्रान्तिकारी परिवर्तन उन्होंने वन विभाग में किये हैं खासतौर से बनीकरण के रूप में पहाड़ों में और जलागम के जो क्षत्र हैं उनमें वनीकरण की योजनायें बहुत सुन्दर ढंग से चल रही हैं । लेकिन इनके संरक्षण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है । यदि इनके संरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तो सरकार का जो करोड़ों रुपया इन पर खर्च होगा वह बेकार हो जायेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा कानून लाया जाय कि जो वन आप लगाते हैं उनका संरक्षण किया जाय ताकि वह समाप्त न हो जायं । मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि गढ़वाल जनपद में शिलकोट बेरीमाग एक जगह है जहां 700 एकड़ भूमि किसी प्राइवेट आदमी की है । वह चाय बागान के नाम पर कभी उसको एलाट की गयी थी । चाय बागान वहां लगे नहीं हैं । वहां नये जंगल बन गये हैं और वह जंगल काटने की कोशिश की जा रही है । शिलकोट बेरीनाग वह क्षेत्र है जहां से राम गंगा निकलती है । वहां 1 करोड़ 28 लाख की डैम है । यदि यह जंगल काटा गया तो राष्ट्रीय हांनि होगी । इसलिये यह लाजिमी है कि कोई कानून लाया जाय ताकि वह जंगल न कटे । इसी तरह से जलागम क्षेत्रों में जो वन काटे जा रहे हैं उनकी रोकथाम होनी चाहिये । आज वन विभाग इसमें गर्व न करे कि वह अच्छा रेवेन्यु इस प्रदेश को देता है । मैं समझता हूं कि वह समय गुजर चुका है । आज वनों से जो रेवेन्यू मिलता है वह सारा वनों के विकास पर लगना चाहिये । क्योंकि वनों का संबंध आज मानव जीवन से है । इसलिये वनों से जो आय हो वह वनों पर ही खर्च की जाय । पहाड़ों पर जो वन कट रहे हैं उसके कारण ही आज बाढ़ें आती हैं । इसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भारत सिंह]

लिये भी यह आवश्यक है कि वनों के लगाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाय। वन कटने के कारण जो अधिक मात्रा में भू-स्खलन हो रहा है उससे भी बड़ी हानि होती है।

एक बात और मैं एक्सचेंज आंफ लैण्ड के बारे में कहना चाहता हूं। आप जंगलों के लिये जो भूमि हो वह आप पहाड़ों पर ले लें और उसके स्थान पर वहां के निवासियों को दूसरी जगह उपयुक्त भूमि दे दें। इससे आपको वनों के लिये भूमि मुफ्त में मिल जायेगी और वन अधिक लगने से भूस्खलन भी नहीं हो पायेगा। इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा। मैंने स्वय इस चीज को देखा है कि वन विभाग वनों को काट कर वन लगा रहा है। मेरा निवेदन है कि उन वनों को तब तक न काटा जाय जब तक आप अन्यत्र वन न लगा लें। पहाड़ों पर कई जगह हैं जहां वन लगाये जा सकते हैं। वन विभाग ने जो सराहनीय काम किये हैं उसके लिये मैं वन विभाग को बधाई भी देना चाहता हूं। वन निगम की स्थापना भी एक अच्छा कार्य है। इससे मजदूरों का शोषण रुका है। आज भी अधिकारी सहकारी समितियों को अधिक महत्व न देकर जो ठेकेदारों को अधिक महत्व दे रहे हैं इस ओर ध्यान दिया जाय। मेरा निवेदन है कि एस्टीमेटेड कास्ट पर सहकारी समितियों को ही ठेके दिये जायें और ठेकेदारों को ठेके न दिये जायें। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

एक निवेदन फारेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रीज के बारे में कहूंगा। वनों पर आधारित जो उद्योग हैं उनको जो कच्चा माल दिया जाय उसमें यह देखा जाय कि वह पहाड़ों पर ही लगे। अन्य लोगों को जो कच्चा माल दे दिया जाता है उसको वे लोग उसे उद्योग में न लगाकर बाहर ही बेच लिया करते हैं। इसलिये कच्चा माल उन्हीं लोगों को दिया जाय जो उसे अपने उद्योग में ही इस्तेमाल करें।

कागज की फैक्ट्री लगाने की भी हमारे यहां पहाड़ों पर काफी सुविधायें हैं। सरकार को चाहिये कि पहाड़ों पर अधिक कागज की फैक्ट्री लगाये। उससे वहां प्रगति होगी। कागज की जरूरत भी पूरी होगी। जो वन आप लगा रहे हैं उनकी उपयोगिता भी अधिक मात्रा में हो सकेगी। पहाड़ों पर बहुत से फ्रूट्स होते हैं, उनके उद्योग भी वहां चल सकते हैं। इसके अलावा हिमालय की कन्दराओं में बहुत सी जंगली जड़ी बूटियां हैं जिनका दोहन इसी तरह से होता रहा तो वह समाप्त हो जायेंगी और उससे वहां के रहने वालों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिये आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जंगली जड़ियों के संरक्षण का जो कार्यक्रम बनाया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मेरे ही क्षेत्र में जंगली जीव जन्तुओं का बड़ा आतंक है। लेकिन उनके संरक्षण के लिये सरकार द्वारा जो प्रयास किया गया है वह स्वागत के योग्य है। आज जो जंगली जीव जन्तु समाप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। आज कल हमारे यहां के किसानों के खेतों को टाइगर व दूसरे जंगली जानवरों की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। उनकी खेती का बड़ा नुकसान हो रहा है। वहां के लोग टाइगर आदि जानवरों से डरे हुए हैं। क्योंकि वे उनके जानवरों को मार डालते हैं तथा आदमियों पर भी हमला करते हैं। मैं अपने क्षेत्र का ही एक उदाहरण दूं कि एक टाइगर जो मैन-ईटर हो गया है उसको मारने के लिये अधिकारियों से कहा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक दो तीन आदमियों को यह टाइगर न मार डालेगा तक तक उसके मारने का कोई प्रयास नहीं किया जा सकता। यह सोचने की बात है कि एक आदमी की जान कोई ले ले तो उसको तो कड़ी से कड़ी सजा देने का प्राविधान है और दूसरी तरफ यह है कि जब तक दो-तीन आदमी की जान वह टाइगर न ले ले तब तक उस पर कोई कार्यवाही न की जायेगी। यह बड़ी ही हास्यास्पद बात है। आपको चाहिये कि इस तरह की व्यवस्था करें जिससे टाइगर व दूसरे जंगली जानवर, किसानों का नुकसान न कर सकें और आदमियों की भी उनसे रक्षा हो सके। हमारे यहां ही

कारबेट नेशनल पार्क है जहां हजारों मेल के जानवर हैं। हमारे यहां पशुओं के संरक्षण के लिये एक और सेंक्चुअरी का प्रबन्ध होना चाहिये।

एक दूसरी बात मुझे वन कर्मचारियों के बारे में कहनी है। जो छोटे कर्मचारी हैं उनके प्रोत्साहन के लिये इस बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। उनकी तनख्वाह बहुत ही कम है। मुहर्रिर या और जो दूसरे छोटे कर्मचारी हैं जिनके द्वारा जंगलों की रक्षा की जा सकती है उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि उसमें उनके परिवार का जीवन-यापन करना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण वहां भ्रष्टाचार और घूसखोरी आदि की प्रवृत्ति उनमें पैदा होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनकी सर्विस कन्डिशन होनी चाहिये कि उनकी आर्थिक हालत सुधारी जा सके। उनको परमानेन्ट किया जाय। उनको अधिक से अधिक सर्विस दी जाय ताकि वे जंगलों की सुरक्षा में अपना योगदान कर सकें।

पशुपालन के बारे में भी मुझे कुछ निवेदन करना है। पहाड़ों पर पशुपालन के लिये भेड़ों को ही प्रमुखता दी जाती है। भेड़ों के पालने से ऊन तो पैदा हो सकता है और उससे आर्थिक स्थिति भी लोगों की सुधर सकती है लेकिन एक तरफ जहां वन संरक्षण की बात आप करते हैं वहीं पर इस पर भी आपको सोचना होगा कि उन भेड़ों के द्वारा नये वन पौधों का विनाश भी बड़ी शीघ्रता से हो सकता है और हो रहा है। तो ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं कि आप अधिक से अधिक भेड़ें भी पालें और अधिक से अधिक पेड़ों का संरक्षण भी कर सकें। इन दोनों में इस तरह का सामन्जस्य स्थापित होना चाहिये जिससे पेड़ों का भी संरक्षण होता रहे और भेड़ें भी बनी रहें। मेरा आपसे निवेदन है पशुपालन के बारे में, वह यह कि जो आप वनीकरण करते हैं, वनीकरण की जो आपकी स्कीम है उसके अन्तर्गत ऐसे पेड़ लगायें जो चारे के काम आ सकें। भीमल एक ऐसा पेड़ है जो हमारे यहां के किसानों का साथी है। अगर पशुओं के उपयोग के पेड़ को भी उगाया जायगा तो मैं समझता हूं कि पेड़ों को हानि भी न होगी और जन्तुओं को हानि भी न होगी। गाय और भैंस जैसे जानवर जो एक जगह बांधे जाते हैं और बांधकर चारा खिलाना पड़ता है उनके चारे की भी समस्या इस तरह से हल हो जायगी। साथ ही साथ डेरी डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिये इस तरह के पेड़ लगाने की ओर ध्यान दिया जाय, ऐसा मेरा निवेदन है।

मत्स्य उद्योग के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ों के नदियों में बहुत सी वैरायटी की मछलियां बहुत अधिक संख्या में होती हैं। लेकिन नदियों में डाइनामाइटिंग करने से मछलियों को हानि होती है। उनकी जेनेरेशन पर असर पड़ता है। पहाड़ों में बरसातों में आप जायेंगे तो वहां की नदियों में बहुत सी मछलियां पायेंगे लेकिन उसके 3–4 महीने बाद वहां बहुत ही कम मछलियां मिलेंगी। इसका कारण है कि वहां डाइनाइटिंग होती है इसलिये मैं समझता हूं कि इन नदियों को ठेकदारों को, मछुओं को, मछली मारने के लिये दिया जाय और सोसाइटियों को दिया जाय। जिससे अच्छी तरह से देख-रेख हो सके। डाइनामाइटिंग न करने का कानून आपके साथ है लेकिन कानून जंगलों और घाटियों में नहीं जा सकता। इसलिये ठेकेदार के माध्यम से मछलियां पकड़ी जायं। इससे लाभ भी होगा और मछलियों की रक्षा भी ठीक ढंग से होगी और उनका डेस्ट्रक्शन रुकेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि पहाड़ों की नदियां वहां से मैदानों में आती हैं। अगर वहां पर छोटे-छोटे टैंक बनाये जाय तो मत्स्य उद्योग और विकसित हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस रूप में मत्स्य उद्योग को प्रोत्साहित किया जाय। इसके अलावा पहाड़ों में इस मत्स्य उद्योग को लागू किया जाय तो मैं समझता हूं कि अधिक लाभ होगा क्योंकि वहां के ठंडे पानी की मछलियां बहुत स्वादिष्ट होती हैं। आशा है इस पर ध्यान दिया जायगा।

[श्री भारत सिंह]

वनों के सम्बन्ध में एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में कुछ सिविल वन हैं। इन बनों की हालत बहुत खराब है। मेरा सुझाव है कि आपके वनों के लिये जो कायदे कानून हैं वह प्राइवेट वनों पर भी लागू किये जाय। लोगों को अपनी जरूरत के लिये बनों में लकड़ी काटने की कोई बंदिश नहीं होनी चाहिये बल्कि वैज्ञानिक ढंग से लकडी काटने का अधिकार आपको उनको देना चाहिये। इस तरह के नियंत्रण से वनों की हालत में और सुधार होगा। सिविल वन हमारे प्रदेश में काफी हैं। इनके विकास के लिये आप इनको अपने हाथ में ले लें और अधिक न कह कर मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, गोविन्द सिंह नेगी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, हमारे जिले में भी थोड़े से क्षेत्र में वन हैं और इसके अलावा कई जिलों में बनों को देखने का मुझे मौका मिला है। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिला है। सर्वप्रथम तो मैं दक्षिणी वृत्त के जो वन हैं उनके बारे में कुछ आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं। हमारे दक्षिणी वृत्त के वनों में करीब 10 वर्षों से पता नहीं कौन-सी वन विभाग के ऊपर एक झक सी सवार हो गयी है। जो पुराने पेड़ लगे थे उनको छोड़ करके बड़े पैमाने पर बांस के जंगल लगाना शुरू किया। सरकार की तरफ से बड़े लुभावने नारे भी दिये गये और यहां घोषणायें भी की गयीं कि हम कागज के कारखाने खोलेंगे इसलिये बांस का विकास कर रहे हैं। हमारा ख्याल है कि करोड़ों रुपये से ज्यादा बांस के वृक्षारोपण में खर्च कर दिये गये हैं। लेकिन मेरी हमेशा से राय रही दक्षिण वृत्त में बांस के पेड़ न लगाये जायं किन्तु जिद थी और बन विभाग की तरफ से नक्शा बना दिया गया था। इसलिये उनको लगाना आवश्यक हो गया था। इसमें करोड़ों रुपये बर-बाद हुये। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं और जब बहुगुणा जी मख्य मंत्री थे तो उनसे कहा और लिखकर भी दिया कि इस नीति को बदलें। त्रिपाठी जी जो बन सचिव हैं, हो सकता है कि उनकी बातों को न माना गया हो। चूंकि हमें उनके पास भेजा गया था और त्रिपाठी जी ने मेरे साथ दक्षिणी वृत्त के कन्जरवेटर को जांच के लिये अक्टूबर, 1975 में भेजा था। हमने उनको घुमाकर दिखाया था मुश्किल से 10 प्रतिशत बांस होगा और सारे के सारे बांस के पेड़ों का सत्यानाश हो गया और करोड़ों रुपये बह गये। अब हमने सुना है कि उस नीति में कुछ परिवर्तन हो रहा है। मैं कहता हूं कि बांस लगाने की नीति को छोड़ देना चाहिये। दक्षिण वृत में शीशम, महुआ और साखू आदि जो हो सकते हैं उनको लगाना चाहिये क्योंकि पुराने पेड़ कट गये हैं जिससे कि जंगल नंगे हो गये हैं। बांदा में यह हालत है इसलिये शीशम और साखू आदि के पेड़ वहां लगाने चाहिये। मनिकपुर में बांस के पेड़ लगाये गये तो मैं पूछता हूं कि क्यों? जब 3–4 वर्ष तक एक योजना चालू की गयी तो आपके अधिकारियों को देखना चाहिये कि उससे कोई उपलब्धि हो रही है कि नहीं। यदि नहीं हुई है, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि बांस के वृक्षारोपण की जो नीति है उसको पूरी की पूरी सरकार को छोड़ देना चाहिये और वन विभाग को आदेश देना चाहिये और अब भी भला है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने सड़कों के किनारे वृक्षारोपण का जिक्र किया है। अभी नेगी जी ने यूकेलिप्टस के पेड़ों का जिक्र किया। बड़े पैमाने पर सड़कों के किनारे वृक्षारोपण हो रहा है। एक दिन मंत्री जी कह रहे थे कि डेढ़ वर्ष पहले तुम्हारी तरफ गये थे 4–5 साल पहले तो बनारस से जौनपुर के किनारे के पेड़ काट दिये हैं। इधर वन विभाग ने शीशम के पेड़ लगाये हैं। मैंने उसका स्वागत किया। यूकेलिप्टस के पेड़ सड़क के किनार लगाये जा रहे हैं जब उसका सदुपयोग नहीं है तो मैं उसको अच्छा नहीं समझता हूं। जी0 टी0 रोड के किनारे लम्बे-चौड़े यूकेलिप्टस के पेड़ लगाये गये तो हमने कहा कि सड़क के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ न लगाये जायं। अभी बहुत जमीन पड़ी हुई है। सड़कों के किनारे जहां अच्छी जमीन है तो मेरा कहना है कि वहां शीशम के पेड़ लगायें। शीशम की लकड़ी

कीमती होती है और वह छायादार भी होता है। इससे आपको पैसा अधिक मिलेगा और लोगों को छाया मिलेगी। जी0टी0 रोड पर मैंने देखा है। शीशम के बहुत अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मैदानी इलाके में जहां सड़कों के किनारे अच्छी जमीन है वहां यूकेलिप्टस के पेड़ न लगाकर शीशम के पेड़ लगायें। इस बात को मैं इसलिये भी कह रहा हूं कि यूकेलिप्टस के पेड़ का इस्तेमाल करने की आपके पास कोई योजना भी नहीं है इसलिये उनका उपयोग नहीं होता।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहां जंगल बहुत कम हैं। मैं भी मानता हूं, वाकई कम है। लेकिन साथ ही मेरा यह कहना है कि जितने हैं उनकी भी हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मैंने बहुगणा जी से कहा था कि जंगल की बेहतरीन जमीन पर वहां के मूल निवासी जिनको पहाड़ में थारू कहते हैं और हमारी तरफ कोल, खरास जो आदिवासी जाति के लोग हैं, उन्होंने एक धूर जमीन पर भी कब्जा नहीं किया और दूसरे मैदानी इलाके के बड़े बड़े लोगों ने जाकर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। मैंने बहुगुणाजी को लिख कर दिया। उसकी जांच हुई। दूसरी जांच नहीं हो पायी लेकिन जो जांच हुई तो उससे मालूम हुआ कि नौगढ़ के क्षेत्र में 10 हजार एकड़ जमीन पर असरदार लोगों ने कब्जा कर लिया। उक्त जांच रिपोर्ट को मैंने माननीय वन मंत्री जी को दो दिन पहले दे दिया है। माननीय स्वामी प्रसाद जी के विभाग के लोगों ने जितना नुकसान वन विभाग को किया है उतना नुकसान न तो पहाड़ के रहने वालों ने किया है और न तो मैदान के रहने वालों ने किया है। चकिया, वाराणसी में आपके परगना हाकिम ने वर्ग 4, वर्ग 9 में दाखिल खारिज किये। मुझे बड़ा दुःख हुआ यह सुनकर कि जिस चकिया के परगनाधीश के खिलाफ मैंने इतना लिखा और लिखने के बाद भी उस अधिकारी को फारेस्ट सैटिलमेंट आफिसर बना दिया गया। उस धूर्त को फारेस्ट सैटिलमेन्ट आफिसर बना दिया जिसके बारे में मैंने माननीय बहुगुणा जी को पत्र लिखा और जांच भी हो गयी जांच में बात स्पष्ट हो गयी। यह फारेस्ट बच नहीं सकता है। यह आसान मसला नहीं है। आपको इसके लिये कोई आर्डिनेन्स निकालना होगा बिना उसके वन की भूमि बचने वाली नहीं है। आप कैबिनेट में इसके बारे में कोई फैसला करवायें। अगर आप चाहते हैं कि वन जिन्दा रहें, समय पर वर्षा हो और आबोहवा ठीक रहे तो इसके लिये आपको कड़ई गोली हलक के नीचे उतारनी होगी और वन की रक्षा करनी होगी। जो स्थिति हमारे चकिया और नौगढ़ की है वही स्थिति मिर्जापुर की भी है। दक्षिणीवृत्त में पौध लगाने की वृत्ति को पूरे का पूरा बदलना होगा और अगर नहीं बदलेंगे तो करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र में जैसा कि नेगी जी ने कहा वह सही है। पिछले साल मैं बपाली जंगल गया था जो काफी ऊंचाई पर है। जिस तरह से वहां का कटान हो रहा है, ठेकेदार ने 100 पेड़ का कटान लिया लेकिन 200 पेड़ काट लिये और बहाकर ले आया। गंगोत्तरी के किनारे के जंगलों को काट डाला गया है। वहां के जंगल का कितना महत्व है। ढलान हो जाने से कितना नुकसान होता है? हमको सड़कों के किनारे के जंगलों की सुरक्षा अवश्य करनी चाहिये नहीं तो लाखों रुपया हर वर्ष मलवा उठाने में लगाना पड़ता है। इधर हमको पूरा ध्यान देना है।

पशुपालन में भी जितनी तरक्की हमको करनी चाहिये वह नहीं हुई है। छोटी-छोटी गायें और भैंसें की नस्ल सुधार का जो काम होना चाहिये वह नहीं हुआ है। उनकी हालत खस्ता है। डेरी के माने यह हैं कि अच्छे से अच्छा दूध, घी और मक्खन आम लोगों को मिल सके लेकिन क्या वह मिलता है? हमारे पास आज भी कोई आधुनिक ढंग का प्लान्ट नहीं है। वह हमको जहां से भी मिल सके, लाना चाहिये। कोई एक क्षेत्र आप चुन लें।

[श्री ऊदल]

एक ही जिले में आप केन्द्रीय तरीके से पशु पालन, गाय और भैंसों के पालने का काम आरम्भ कीजिये। वहां पर एक आधुनिक तरीके की डेरी बनायें। दुनिया बहुत आगे चली गयी है। मैंने ऐसी-ऐसी जगहों को देखा है जहां पर हजार हजार, दो दो और चार-चार हजार गायें दुही जा रही हैं, बटन से। पाइप से दूध जा रहा है, अपने आप गर्म हो रहा है और बोतलों में भर रहा है। रूस में, जर्मनी तथा रूमानिय में मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। उत्तर प्रदेश में अगर बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता है तो एक दो जिलों को चुन कर केन्द्रीय तरीके पर आधुनिक ढंग से आप पशुओं को रख कर इस काम को पूरा कर सकते हैं। इस तरह से बड़े पैमाने पर हम इस पौष्टिक आहार को बच्चों को दे सकेंगे। इस तरह से पशुपालन की ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस में हमारा काम बहुत पीछे है, भले ही हम कितनी ही तारीफ करें, उससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ गयी है।

भेड़ पालन का काम भी इसके साथ किया जाय। पिछले साल मैंने एक सवाल किया था कि जौनपुर में कितने भेड़ पालन केन्द्र हैं, कितनी भेड़ें उनको दी गयीं और कितनी बेची गयीं? जितनी भेड़ें हर केन्द्र पर दी गयीं थीं वे सब मर खप गयीं। लेकिन वहां डाक्टर आप रखे हुए हैं। दूसरा डाक्टर आ कर चार्ज लेने को तैयार नहीं है क्योंकि पहले डाक्टर को जो 17 भेड़ें मिली थीं वे मर गयीं। जो हमारे वायु मंडल में रह सकती हैं उनको ही रखा जा सकता है। एक बड़ी स्कीम चकिया, वाराणसी की आस्ट्रेलियन अथवा रशन भेड़ पालन की 1 करोड़ अथवा 80 लाख रुपये की मंजूर है। अक्तूबर में मैं वहां गया तो देखा कई गांव की जमीन ली गई है और फारेस्ट विभाग ने भी जमीन दी हैं। तार भी खिच गये हैं। दो एक मकान भी देखने को मिले। तो तीन साल से यह गोरख धन्धा चल रहा है लेकिन एक भेड़ नजर नहीं आई, न उनके रोयें देखने में आये। चरवाह वहां झूठ मूठ के भले ही हों। मेरा निवेदन है कि उस जमीन को ले लीजिये। भाई सजीवन लाल जी ने कल जिक्र किया था प्रयाग चित्रकूट गोधन विकास निगम के बारे में जिसे किसी मारवाड़ी के सुपुर्द किया गया है। लेकिन वहां कोई योजना नहीं है। मालूम हुआ हजारों एकड़ जमीन उसे दे दी है लेकिन योजना कोई नहीं है और वह उस जमीन को लिये बैठे हैं। यह योजना बांदा में है और नाम रखा है प्रयाग चित्रकूट ताकि जनता बेवकूफ बनाई जा सके। हमारे देश का दुर्भाग्य है। मेरा कहना यह है कि कुछ दिन के लिये आप सबको बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन हमेशा के लिये सभी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिये मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इन सब चीजों को आप ध्यान से देखें।

अब मैं मछली पालन के बारे में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में बड़ा जिक्र किया जाता है। मैं अभी हाल ही में दो जगह गया था। मेरी निगाह ऐसी जगह पर पड़ी जो कि मछली पालन से सम्बन्धित थी। माननीय राज बिहारी सिंह जी के क्षेत्र में आराजी लाइन क्षेत्र, वाराणसी में तालाब के उत्तर एक जगह है। वहां पर 25 30 गढ्ढे बहुत बड़े-बड़े हैं। मैं समझ गया कि यह माननीय मंत्री जी के विभाग की करामात है। उन गढ्ढों में पानी नदारद। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं उन आदमियों में से नहीं हूं। एक दिन मैं जौनपुर से चल रहा था। शहर से जैसे ही मैं निकला तो मैंने देखा कि वहां पर कुछ तालाब 20 25 टुकड़ों में फैला हुआ है। महरोपुर नामक स्थान है। मेरी निगाह पड़ गई तो मैं समझ गया कि माननीय मंत्री जी के मछली विभाग की ही यह कार्यवाही या करामात है। आंख में धूल झोंकने के लिये आप यह कर सकते हैं। कहावत है पानी के बिना मछली कहां रह सकती है। हां, हो सकता है कोई साइन्टिफिक तरीका निकाला हो।

श्री अध्यक्ष—

ड्राई फार्मिंग होगी। (हंसी)

श्री ऊदल--

मेरा कहना यह है कि इस तरह से लाखों रुपया बरबाद किया गया। अगर इसकी पुनरावृत्ति कहीं हो, तो उसकी जांच होनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमायी का दुरुपयोग मैंने दो जगहों पर देखा है और इससे कुछ मिला नहीं। मैदानी इलाकों में लाखों रुपया इस तरह के गढ्ढे खोदने में विभाग ने खर्च कर दिया है, उसकी जांच होनी चाहिये। इसके लिये कोई नीति निर्धारित की जानी चाहिये और जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिये। उस वक्त जिन अफसरान ने इस तरह से करोड़ों रुपये बरबाद किये हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मछली तो अभी हाल ही में पलनी शुरू हुई हैं।

श्री ऊदल--

इसलिये मैं नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता के इस पैसे के साथ उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये और उस पर सख्ती से अमल होना चाहिये। अन्त में मैं फिर अपनी पिछली बातों को दोहराना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी फारेस्ट की जमीन चाहे किसी तरीके की हों, उस सम्बन्ध में कोई कानून बना सकते हैं, आर्डिनेन्स कर सकते हैं अगर इस प्रदेश को बचाना है और प्रदेश की आबहवा को ठीक करना है। तो मैं कहना चहता हूं कि आप जब से जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हुआ तब से देखें कि कितने लोगों को बेदखल किया गया। इस बात को आप कैबिनेट में डिसकस करें। मैं जानता हूं कि जब हम टी० पी० भल्ला का नाम लेते हैं तो हमारे स्वामी प्रसाद जी नाराज हो जाते हैं. . . . .

श्री अध्यक्ष--

उनका तो दिन कल है।

श्री ऊदल--

मैं स्वामी प्रसाद जी की तारीफ करता हूं उन्होंने कुछ भूमि चोरों को पकड़ने का काम शुरू किया। उनमें एक श्री टी० पी० भल्ला भी हैं। उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उन्होंने चार पांच सौ एकड़ जमीन को हड़प रखा है। चार-पांच गांव मिला कर वह हजारों एकड़ जमीन बनती है। श्रीमन्, 1 74-75 में उनसे कब्जा लेने के आदेश हो गये थे। आपको याद होगा, माल मंत्री जी ने एक सवाल के जबाब में कहा था कि सन् 68 मेंही लेने के आदेश हो गये थे लेकिन वन विभाग ने नहीं लिया। तो जब दसियों वर्ष पहले फैसला हो गया तो क्यों नहीं कब्जा लिया गया? वन मंत्री जी मीठी मीठी बातें करते हैं। मीठी बातों से तो शासन चलने वाला नहीं है। उसके लिये साम, दाम और दंड भेद सभी का प्रयोग करना पड़ता है। अगर यह आपकी हैसियत नहीं है तो यह काम स्वामी प्रसाद जी को दे दिया जाय। उनको पुलिस और पी० ए० सी० दी जाय वह सारी की सारी जमीन की रक्षा कर देंगे। सारी की सारी जमीन हस्तान्तरित हो जायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

यह धंधा नहीं चलेगा।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

केरल वाली स्थिति पैदा होगी।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यह ऐसा गोरखधंधा है कि इसमें एक कांग्रेस वाला अपने दूसरे साथी का गला काटता है। (व्यवधान) जहां तक जनता के हित का सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का साथ देगी ताकि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

आज भी देते हैं ।

श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)--

श्री काशीनाथ मिश्र को क्या तकलीफ होती है जब कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस का साथ देती है ?

श्री ऊदल--

जब तक साम्राज्यवादी ताकतें हमारे देश व प्रदेश से खत्म नहीं होंगी और इस देश में अपना सर उठायेंगी, उन प्रतिगामी शक्तियों को दबाने के लिये हमारी पार्टी को जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, वह करेगी ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं वन तथा पशुपालन मंत्री जी द्वारा जो अनुदान की मांगें सदन में प्रस्तुत की गई हैं, उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अध्यक्ष जी, यह तो सबको विदित है कि पर्वतीय अंचलों में 67 प्रतिशत भूमि पर वन लगे हुए हैं और आगे भी जो वन लगाने की बात है, चाहे वह बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम हो उसमें वन लगाने की बात कही गई है, वह एक अच्छी चीज है। उससे क्षेत्र का विकास होगा, वनों का विकास होगा, तो आवश्यकीय रूप से उस क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही प्रान्त और राष्ट्र का भी विकास होगा। उसका मैं विरोध नहीं करता। इससे पहले मैं उस विकास कार्यक्रम पर कुछ कहूं, मुझे सरकार को और वन मंत्री को इस बात के लिये बधाई देनी है कि वन विभाग की जो कार्यशैली थी, उसमें कुछ परिवर्तन आया है। उसकी कार्यशैली, कार्य करने के ढंग में बहुत कुछ तेजी आई है और मैं समझता हूं कि उसका एक कारण यह भी है कि आपने जो सचिव अब नियुक्त किया है। आपकी जो नीति है कि टेक्निकल आदमी ही वहां सचिव पद पर नियुक्त किए जायं, यह अच्छी नीति है और इसके लाभ दिखाई पड़ने लगे हैं। इससे वन विभाग के कार्य करने की जो शैली है, उसमें गति आई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान वन विकास अर्थात् फारेस्टेशन की ओर ले जाऊंगा। जैसा कि माननीय सदस्य, नेगी जी ने अभी कहा है जब तक आप जनता का सहयोग प्राप्त नहीं करते, डंडे के बल पर वनों का विकास होने वाला नहीं है और मैं तो कहूंगा कि कोई भी कार्यक्रम डंडे के जोर पर नहीं चलने वाला है, उसमें जनता का सहयोग आवश्यकीय है। हम देखते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से भी जो प्रोटेक्शन या संरक्षण पर्वतीय अंचल के काश्तकारों को मिला हुआ था, आपकी नई-नई योजनाओं में उनको भुला दिया जा रहा है। आपने बांज को रायल-ट्री घोषित किया तो उसमें इस बात को बिलकुल भुला दिया कि वहां के काश्तकारों, जिनको विभिन्न कृषि औजारों के लिये-दराती, कुल्हाड़े के हैंडिल आदि के लिये जो सारी चीजें बांज पर आधारित हैं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी वह कहां से उपलब्ध हो पाएगी ? रायल-ट्री तो उनको घोषित किया वह ठीक है, लेकिन इस पर भी आपको विचार करना था। जैसे आपने मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि में जो ट्यूब वेल लगाने की बात की है, उसमें कहते हैं कि तमाम बिजली उनको उपलब्ध करा दी जाए, उन्हीं को उपलब्ध करा दी जानी चाहिये, तब ही बाद में अन्यत्र के लिये सोचना चाहिये, उसी तरह से पर्वतीय अंचल में ओक-ट्री को रायल-ट्री घोषित करने से पहले यह भी देखना चाहिये और बिना इसके देखे आपकी बागवानी या वनीकरण की बात सरसब्ज नहीं हो सकती है।

इसके अलावा सारा पर्वतीय विकास सड़कों पर आधारित है। वहां पर संचार व्यवस्था की बड़ी ही दयनीय स्थिति है। वहां चाहे जितने अधिक फल पैदा हों, चाहे जितनी

उपयोगी जड़ी बूटियां पैदा हों और चाहे जितने लघु उद्योग स्थापित हों, संचार व्यवस्था नहीं है तो पर्वतीय क्षेत्र का विकास सम्भव नहीं है। जंगल विभाग सड़कों के मरम्मत व निर्माण आदि का पूरा कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। जंगल विभाग पी0 डब्लू0 डी0 विभाग से कह रहा है कि हमारी सड़कें आप ले लो, तो वह कहता है कि पहले इनके लिए फण्ड उपलब्ध कराओ तब ही हो सकता है। जब वह वित्त विभाग से कहते हैं तो वह भी उसके लिये तैयार नहीं होता है। हमने बजट को देखा है केवल 10 किलोमीटर सड़क इन्होंने पहाड़ों के लिये उपलब्ध की है और हजारों किलोमीटर जो पुरानी सड़कें हैं, उनके रखरखाव की बात नहीं सोची जाती हैं। वहां की जो भी आमदनी हो, इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये, वहां के विकास के लिये। हालांकि वहां की आमदनी कम नहीं है यदि उसका पूरा उपयोग किया जाए। अभी जब अलग पर्वतीय प्रदेश की मांग हो रही थी, तो लोगों का कहना था कि वहां इतने जंगल हैं कि हम जंगलों की आमदनी से ही अपना पूरा खर्च चला ले जाएंगे। यह उनकी बात मैं कह रहा हूं, अपनी बात नहीं है। लेकिन जो भी हमारे यहां इक्सचेकर में आमदनी है पर्वतीय अंचल से, उससे विकास किया जा सकता है। जिस प्रकार से सामुदायिक विकास ने अपना एक अलग इंजीनियरिंग विभाग खोल रखा है ग्रामीण विकास के लिये, उसी प्रकार से हमको अपनी सड़कों को आगे बढ़ाने के लिये कुछ सोचना ही पड़ेगा। रूरल इंजीनियर्स की मदद लेनी पड़ेगी।

दूसरी बात मुझे बन विभाग के तहत में भूमि संरक्षण विभाग के बारे में कहना है। भूमि संरक्षण विभाग वन विभाग के तहत है। अध्यक्ष जी, सरकार यह जानती है कि 6 लाख 40 हजार हेक्टेयर भूमि वहां बह गई है। वहां पर भूमि के साथ-साथ पेड़ भी बह गये हैं। आपने जो बन विभाग के तहत भूमि संरक्षण विभाग खोल रखा है अल्मोड़ा जिले में, उसे राम गंगा कैचमेन्ट कहते हैं। मैं तो मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से कि इस विभाग को सारे जिले में खोलना चाहिये। यह बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मैं यह कहता हूं कि इसको रामगंगा कैचमेंट तक ही सीमित न रखा जाय। यह जो भूमि संरक्षण विभाग वन विभाग के अन्दर है, इन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया है। इसका इक्स-टेंशन होना चाहिये। दूसरी बात जो निवेदन करनी है वह वन सहकारी समिति के बारे में है। आपने बहुत सारी वन सहकारी समितियां खोल रखी है परन्तु उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है उनको। उनको कोई कंसेशन नहीं मिल रहा है और जगह भी लेबर सहकारी समितियां जो हैं, वहां इस्टीमेट्स रेट पर वर्क देते हैं परन्तु वन सहकारी समितियों को कोई कंसेशन नहीं है। जब तक यह नहीं होगा तब तक ये बन सह-कारी समितियां पनप नहीं सकती हैं। जो हमारे पुराने बन हैं ये कैसे सुरक्षित रहे? आपने एक फारेस्ट गार्ड को इतनी लम्बी चौड़ी एरिया दे रखा है, वह अगर एक जगह आता है तो दूसरी तरफ पेड़ कट जाते हैं। कहां कहां जायगा एक फारेस्ट गार्ड (वन रक्षक)? हाउस की स्टैंडिंग कमेटी में भी हमने इस बात को कहा। जो वन समिति बनी है वहां भी मैंने कहा। प्लेन के वनों के लिये जो 80 वनरक्षकों की मांग थी वह तो आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन पर्वतीय फारेस्ट गार्ड की जो डिमांड थी उनको टर्न्ड डाउन कर दिया गया। मेरा निवेदन है कि वन रक्षकों की संख्या जब तक आप नहीं बढ़ायेंगे, तब तक किसी प्रकार का प्रोटेक्शन सम्भव नहीं है।

एक बात और है, वह जन सहयोग की। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर रिसेटिलमेंट की बहुत जरूरत है। कई बार मैं इस चीज को कह चुका हूं। जो राइट्स या अधिकार लोगों को मिले हुए हैं वह सही माने में उनको नहीं मिले हैं। कई जगह ऐसा हुआ कि कोई कांग्रेस मैन किसी विशेष गांव में

[श्री गोविन्द सिंह मेहरा]

था तो अंग्रेजों ने उनके हक हकूक समाप्त कर दिए। इस नजरिये से जो हक हकूक रखे गये थे, आज वह उनको नहीं मिल पा रहे हैं। इस बात के लिये यह बहुत ही जरूरी है कि रिसेटिलमेंट किया जाये। मकान बनाने के लिये लकड़ी की जरूरत होती है और बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर अवश्य कुछ न कुछ सोचेगी और इस तरफ कुछ करने का प्रयास करेगी।

अब मैं एक बात पशु पालन के विषय में कहना चाहता हूं मैं भारत सिंह जी की बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं। उनका कहना है कि भेड़ें जंगलों को नुकसान पहुंचाती हैं। मैं कहता हूं कि भेड़ें तो जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बल्कि बकरियां जो हैं, वह जंगलों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं।

इन्टेन्सिव शीप (Sheep) डेवलपमेंट की बात की गयी है। यह योजना आपने चलायी है, चाहे चकराता में हो या अन्य जगह हो, यह योजना चल रही हैं। लिति, सामा ये हमारे बार्डर से लगे हुए हैं। जो जर्मनी से शीप आती हैं वह 6, 7 हजार की होती है। उनके लिये चरागाह की आवश्यकता है, इसकी प्राब्लम है। मेरा सरकार से आग्रह है कि उनके लिए चरागाह की व्यवस्था की जाये। उन चरागाहों को बढ़ाने की बात है, तो जो यह शीप फारमिंग है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि जो उन्होंने इस योजना को चलाया, लेकिन इस पर सख्ती से कदम उठाये जायें इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

कामरेड चन्दन सिंह (जिला झांसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बनों की जो हालत है उसकी ओर अभी कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला और कहा कि पहाड़ों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। वन धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं। वहां पर चोरी होती है और चोरी से पेड़ काटे जा रहे हैं। यह हालत हमारे हिमालय के वनों की ही नहीं है बल्कि विन्ध्याचल में जो पहाड़ हैं उनकी भी यही हालत है कि पेड़ काटे जा रहे हैं। इन दोनों जगहों पर यही समस्या है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और जंगल कम होते जा रहे हैं। विभाग भी इस पर चिन्ता प्रकट करता है। जंगलों को बढ़ाने के लिये केवल यह किया जाता है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाये। पेड़ों की संख्या बढ़े या न बढ़े लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाने की बात हो रही है। पेड़ों की संख्या बढ़ी या नहीं इस पर कोई रिपोर्ट नहीं होती है। अगर कहीं पर वन रोपण होता है तो माननीय ऊदल जी कहते हैं कि उस क्षेत्र में बांस का रोपण सफल नहीं हो रहा है। सूख रहा है। हमारा सौभाग्य यह है कि हमारे वन मंत्री जी पशुपालन विभाग के भी मंत्री हैं हमारे देश में वन बढ़ना चाहिये, उनकी सुरक्षा होनी चाहिये, उनका विकास होना चाहिये। उनको काटा नहीं जाना चाहिये, पशुओं का पालन होना चाहिये और उनके पालकों के अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिये। हमारे जो गड़रिए हैं उनकी शिकायतें आती है या जो गायों को रखने वाले किसान हैं, उनकी शिकायत आती हैं कि वन विभाग के जो रक्षक हैं, वे उनको बरबाद कर रहे हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि वन मंत्री जी एक गोष्ठी का आयोजन करें जो इस बात पर विचार करें कि इन क्षेत्रों में या इनसे लगे क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, या जो पशुओं का पालन करते हैं, या गड़रिए हैं, इनमें कैसे सामन्जस्य हो। ये लोग यह कभी महसूस न करें कि वन विभाग वाले हमारे दुश्मन हैं।

कहीं ऐसा भी न हो, जैसा कि हमारे क्षेत्र माता टीला में जो सिल्ट बढ़ रही है, उसको रोकने के लिये चैक डैम्स की योजना चली है। उसमें जो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने एक गोष्ठी का आयोजन किया और उन्होंने एक उपदेश दिया कि आपके क्षेत्र में इतनी गायें क्यों पाली जाती हैं। कम की जायं? ये खराब किस्म की गायें हैं लेकिन प्रश्न यह है कि उनके स्थान पर हम किस नस्ल की गायें रखें। हमारी प्राचीन संस्कृति है तो हम कैसे इन्हें समाप्त कर सकते हैं? नस्ल बदलते-बदलते खत्म हो जायं वह बात दूसरी है लेकिन

इस वक्त हम खत्म नहीं कर सकते हैं। उनको रखने के लिये, उनके चरागाहों के लिए क्या सुविधा हो और उनकी ओर से जंगल को भी कोई हानि न हो, इसके लिये कोई गोष्ठी आयोजित होनी चाहिये और उसके बाद कोई उपाय निकालना चाहिये ताकि जो दुश्मनी पैदा हो जाती है, वह न होने पाये। जो खंभे वन विभाग के उखड़ जाते हैं तो वहां से रास्ते हो जाते हैं। उनके पास जो गायें चरती हैं, आये दिन उनमे से हेड के हेड पकड़ कर कांजी हाउस में भेज दिए जाते हैं और हजारों रुपया इन गांवों में रहने वालों से वसूल किया जाता है। तो इस परिस्थिति को हमें सोचना होगा कि हम क्या करें? जो जंगल का क्षेत्र बढ़ाने की नीति है, हमारे क्षेत्र में ललितपुर, झांसी या बांदा जैसे क्षेत्र हैं, वहां पर जंगल पहाड़ों में स्वयं पैदा होता है। अगर वहां जंगल की रखवाली का प्रबंध कर दिया जाय तो जंगल अपने आप पैदा होगा और उसी क्षेत्र से लगा हुआ मैदानी इलाका है जो खेती के काबिल है अगर वहां जंगल के पौधों को लगायेंगे तो वे नहीं पनपेंगे, वहां खेती के योग्य जमीन है। लेकिन आपके जंगल विभाग द्वारा गांव समाजों से जो जमीन ली गयी हैं, वहां पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ रही है। उस जमीन को घेरकर केवल पड़ोस के गांव को परेशान जरूर किया जाता है। उस तरफ से एक प्रस्ताव आया, गांव सभाओं ने कहा कि उन्हीं के गांव में जो पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र है, उसे जंगल विभाग ले ले और खेती के काबिल जो हो वह छोड़ दे तो जंगल भी पनप सकते हैं और गांव में खेती के लिये जमीन भी मिल सकती है। तो मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे। जब जंगल की सरहद निकाली जाती है तो सीध में लाने की कोशिश की जाती है। उसी के बीच में कुछ जमीन के टुकड़े ऐसे आते हैं जो खेती के काबिल होते हैं और पहले से उस क्षेत्र के रहने वाले आदिवासी वहां खेती करते रहते हैं तो उस जमीन को दखल करने की कोशिश की जाती है। जबकि गांव समाज कहता है कि उसके एवज में दूसरा इलाका जंगल विभाग को देने के लिये तैयार हैं। तो सीधी वाली नीति से दोनों में झगड़े पैदा होते हैं--उस गांव के किसानों और जंगल विभाग में। तो इसके लिये भी कुछ किया जाय।

फिर जंगल बढ़ाने की योजना चलती है, लेकिन मैं समझता हूं आज से 25-30 साल पहले जो हमारे यहां जंगल की स्थिति थी वह इलाका उजाड़ नजर आता है। वहां जंगल के पौधे पैदा होते है लेकिन पनप नहीं पाते। एक किरमिच या उसको लनतराना कहते हैं। हमारे यहां किरमिच कहते हैं, वह फैल गयी है मीलों इलाके में और वह इस तरह की झाड़ी है जिसके आस पास कोई और ऐसा पौधा नहीं पनप पाता है चाहे वह ईंधन का हो या खेती के इम्पलीमेंट में काम आने का और उसके लिये बराबर जंगल विभाग को कहा गया कि इस झाड़ी के इरैडिकेशन के लिये कोई योजना बनाइये। तो यह पहाड़ी इलाका खाली होगा, इसमें अपने आप जंगल बढ़ेगा। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और वह झाड़ी बराबर फैलती जा रही है। तो इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि जंगल पनप नहीं पा रहा है।

उसके बाद, आज सड़कों के किनारे पहले पी0 डब्लू0 डी0 पेड़ों को लगाता था, आज जंगल विभाग हमारे इलाके में लगाता है। हमारे इलाके में शीशम लगाया गया। सफल भी हुआ। लेकिन मेरा अपना खयाल है कि शीशम तो कई साल के बाद ऐसी स्थिति में आता है जो लाभकारी होती है। हमारे इलाके में आम, महुआ जैसे फलदार पेड़ पी0 डब्लू0 डी0 सड़कों के किनारे लगाया करता था। 8-10 साल के दौरान वह इस काबिल हो जाते थे कि फल देने लगते थे। तो मैं समझता कि शीशम के साथ साथ ये फलदार पेड़ भी लगाये जाने चाहिये, तो जंगल के पेड़ों की तादाद भी बढ़ेगी दूसरे फल देने वाले पेड़ हमारे देश में ज्यादा बढ़ सकेंगे और उनसे जंगल विभाग को तो लाभ होगा ही, हमारी खाद्य समस्या के हक में भी वह चीज आ सकेगी। हमारे क्षेत्र में एक और स्पेसी है शरीफा

[कामरेड चन्दन सिंह]

की। यह जंगल में अपने आप पैदा होता है। यह एक जगह पैदा होता है और मीलों तक फैल जाता है। यह अच्छे किस्म का शरीफा होता है। पुराने जमाने के जमींदार ही उसको ठेके पर देते हैं और वही लाभ उठाते हैं। न उसका लाभ जंगल विभाग को होता है और न गांव समितियों को। अगर वन विभाग इस ओर ध्यान दे, यह सही है कि इसकी लकड़ी इमारती लकड़ी नहीं होती लेकिन यह फल बाहर भेजा जाता है इससे वन विभाग की आय भी बढ़ सकती है।

हमारी केन्द्रीय सरकार की ओर से चेक बंध की योजना चल रही है। हमारे माता-टीला डैम में लाखों रुपये इस योजना में खर्च किये जा रहे हैं। वहां पर चेक डैम बनाये जा रहे हैं। वहां वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। लेकिन आज से 4–5 साल पहले जो चेक डैम योजना वहां चली उसके खिलाफ वहां के गांव वालों ने शिकायत की कि सीमेंट आता है लेकिन वह चोरी में बेच दिया जाता है केवल पत्थर बैठा दिये जाते हैं और नाले ज्यों के त्यों बह रहे हैं। सीमेंट पकड़ी भी गयी मौके पर फिर भी वह चीज चल रही है। अभी पिछले साल स्वायल कंजरवेशन विभाग की डी0 एम0 की अध्यक्षता में जिले की मीटिंग हुई थी। वन विभाग स्वायल कंजरवेशन से भी सहयोग ले चेक डैम बनाने में तो वह कुछ ढंग के बन सकेंगे, रुपये का भी सदुपयोग होगा और जो मंशा है वह भी पूरी हो जायेगी। दो विभागों के अधीन रहने के कारण भ्रष्टाचार भी कुछ कम हो जायेगा। दूसरे, वहां जन समितियां भी हों जो देखें कि चेक डैम ठीक से बन रहे हैं या नहीं।

अभी जो यह कहा गया कि ठेकेदारी प्रथा वन विभाग खत्म करने जा रहा है तो यह स्वागत–योग्य कदम है। लेकिन इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के साथ ही एक मेरा प्रस्ताव है कि हमारे अपने इलाके में बांस पैदा होता है। हमारे यहां की जो आदिवासी कौमें हैं उनका पेशा जहां एक ओर जंगल काटने की मजदूरी है वहां दूसरी ओर बांस की डलियां बनाना भी उनका पेशा है। बांस के बर्तन भी बनाते हैं। लेकिन आज उनको आसानी से बांस मिलता नहीं है क्योंकि बड़े ठेकेदार बांसों के ठेके ले लेते हैं। जो किसान अपने निजी बांस लगाते हैं वह अधिक पैसे दे कर पा पाते हैं लेकिन वन विभाग उनको परेशान करता है कि यह बांस कहां से लाये हो? यह गलत बात है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में वहां की सरकार ने इन आदिवासियों के लिये कुछ सहकारी समितियां बनायी हैं जो इन लोगों को बांस देने में प्राथमिकता देती हैं। इस कारण वहां उनका उद्योग धन्धा बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे यहां भी इन लोगों को सहकारी समितियां बना कर वही सहूलियतें प्रदान की जायें। इससे आपका यह बांस उद्योग भी पनपेगा और उन लोगों का भी फायदा होगा।

श्री अजीत प्रताप सिंह––

अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इन तीनों विभागों पर अपने विचार व्यक्त किये, कुछ प्रशंसा की, कुछ आलोचनायें भी कीं और कुछ अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिये। माननीय नेगी जी ने उस प्रश्न को भी उठाया जो पेड़ काटने पर रोक लगाने के लिये एक विधेयक सिलेक्ट कमेटी में गया हुआ है। उसके बारे में जो वहां वे सुझाव देंगे उन पर वहां विचार करके, अमेन्डेड बिल यहां बाद को लाया जायेगा। उसमें कुछ शर्तें सख्त थीं, जिनको परिवर्तित किया जा रहा है। इसी तरह से लीसा उद्योग के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। अब विभाग की तरफ से उसके दामों में 15 रुपये पर–क्विन्टल की कमी भी कर दी गयी है। लीसा के भाव में काफी कमी आयी है और इस उद्योग में मन्दी भी आयी है। माननीय मेहरा जी ने जो बांस के पेड़ों के बारे में जिक्र किया और उन पर प्रतिबन्ध के बारे में कहा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो लोग वहां रहते हैं, उनके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सिलकोट के बारे में जो कहा गया, वहां कटान रोक दिया गया है।

माननीय नेगी जी ने कहा कि सांड़ पर केवल 300 रुपये खर्च किये जाते हैं, मैं उनकी जानकारी के लिये बता दूं कि 1300 रुपये प्रति मास एक सांड़ पर खर्च किया जाता है। इसके अलावा माननीय सदस्यों ने जो भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और शासन उन पर विचार करेगा। आशा है यह सदन इन अनुदानों को पास करेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

भल्ला जी के बारे में कुछ बता दें। कुछ आश्वासन दे दें, तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा।

श्री अजीत प्रताप सिंह--

भल्ला जी के बारे में तो प्रश्न भी आया था और उसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

सवाल तो आपके कब्जे से है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

इसका सम्बन्ध तो राजस्व मंत्री जी से है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसका जवाब तो मैं दूंगा, जब यह प्रश्न आयेगा, अभी आप इसको वापस ले लें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

राजस्व मंत्री जी ने अभी जो आश्वासन दिया है उसको देखते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय गोविन्द सिंह नेगी को सभी कटौती के प्रस्तावों को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से श्री गोविन्द सिंह नेगी के सभी कटौती के प्रस्ताव वापस हुए।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या 49--पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,20,75,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50--दुग्धशाला (डेरी) विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,53,400 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51--मत्स्य उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि

[श्री अध्यक्ष]
की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,71,200 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 52—वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,81,89,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 79—पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,51,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80—वनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,70,700रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976†

*कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, जैसा कि प्रदेश के सभी लोग जानते हैं कि आज कल वृक्षारोपण के सिलसिले में सरकार जो है बहुत बड़ी तादाद में हजारों लाखों पेड़ इधर उधर सड़कों के किनारे नगरों में और देहातों में लगवा रही है। मान्यवर, आज नर्सरीज की यह हालत है कि अच्छे किस्म के पेड़ उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जो अच्छे फल हैं या दूसरी चीजें हैं, सरकार ने यह आवश्यक समझा कि उन पर उसका नियंत्रण हो, और जो भी आधे एकड़ की नर्सरीज हैं और जो व्यापार कर रही हैं, उन पर नियन्त्रण लागू करने के लिये ही यह विधेयक लागू किया गया है। उसके जरिये जो हमारे लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे उनको यह अधिकार होगा कि वे वहां जाकर देखें कि किस प्रकार से वे पौधशालायें चल रही हैं और जो पौधशालाओं के मालिक होंगे उनको एक प्रेस्क्राइब्ड फार्म पर एप्लीकेशन देना होगा और लाइसेंसिंग अधिकारी जो फीस नियत करेंगे यह भी उनको देना पड़ेगी। और उसके बाद वह अपनी नर्सरी का कार्य करेंगे। सरकार ने इस बात की व्यवस्था की है कि इसके पास होने के बाद 6 महीने के अन्दर ही अन्दर सारे ऐसे व्यापारी, जो यह कार्य करते हैं पौधशालाओं का, इसकी इजाजत उनको लेनी पड़ेगी। मान्यवर, इस बात का खयाल रखा गया है कि अगर कोई खराब

---

†27 अप्रैल, 1976 की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किस्म के पौधे पाये जायं या जो रीति निर्धारित की गयी है, उसके अनुसार वे कार्य न करें तो उनका लाइसेंस समाप्त कर दिया जाय। लेकिन उसकी सूचना उनको दी जायगी और उनको अपील करने का अधिकार भी होगा। इस बिल में यह भी व्यवस्था की गयी है कि जो ऐसे व्यापारी हैं जो उनको समय-समय पर निर्देश दिये जाय, या जो रीति निर्धारित की गयी है, उसको न मानें तो उन पर जुर्माने का अधिकार भी इसमें रखा गया है। तो मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक इसी लिये लाया गया है कि अच्छी किस्म के पौधे लोगों को, प्रदेश की सरकार को और जो लोग पौधों को लेना चाहते हैं, उनको उपलब्ध हो सकें। कोई बहुत बड़ी लागत की आवश्यकता नहीं आयी। 1 लाख 85 हजार रुपये, जो फीस वगैरह उनसे ली जायगी उससे यह पूरा हो सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2

2—इस अधिनियम में—

परिभाषायें

(क) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किये गये प्राधिकारी से है ;

(ख) "फल पौधशाला" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहां प्रतिरोपण के लिये फल के पौधों का उत्पादन और विक्रय कारोबार के नियमित अनुक्रम में किया जाता हो, किन्तु उसके अन्तर्गत—

(i) 0.2 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल के फल पौधशाला नहीं है ;

(ii) सरकार की या उसके द्वारा प्रबन्धित पौधशाला नहीं है ;

(ग) "फल के पौधे" का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे से है जो खाने योग्य फल या गिरीदार फल उत्पादित कर सकते हैं, और उसके अन्तर्गत कुडन् काष्ठ, बीजांकुर उपरोपण, टब्बा, गुट्टी, बीज, कन्द, सकर, प्रकन्द [आंख वाली टहनी, बीजू पौध, कलम बांधना, दाब डाली, गुट्टी, बीज कन्द, अंकुर, प्रकन्द, (राइजोम)] और ऐसे किसी पौधे की कलम भी हैं ;

(घ) "लाइसेन्स" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन दिए गये लाइसेन्स से है ;

(ङ) "लाइसेन्सधारी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त कोई लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति से है ;

(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन नियुक्त लाइसेन्स प्राधिकारी से है ;

(छ) "स्वामी" का तात्पर्य किसी फल पौधशाला के सम्बन्ध में उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसका ऐसी फल पौधशाला के कार्यकलाप पर अन्तिम नियंत्रण हो, और उसके अन्तर्गत ऐसी फल पौधशाला का प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति भी है ;

(ज) "मूल वृन्त" का तात्पर्य किसी ऐसे फल के पौधे या उसके भाग से है जिस पर किसी फल के पौधे के किसी भाग के कलम या आंख लगायी जाती है ;

(झ) "उपरोपिका" का तात्पर्य किसी फल के पौधे के ऐसे भाग से है जो मूल वृन्त पर कलम या आंख के रूप में लगाया जाता है ।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2(ख) के प्राविधान " 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के फल पौधशाला नहीं हैं "--

श्री अध्यक्ष--

इस पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी नहीं है। अतः इसे प्रस्तुत नही किया जा सकता ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 2 के उपखंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :

"(च) 'लाइसेंस अधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, उत्तर प्रदेश से है तथा इसके अन्तर्गत निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस अधिकारी के किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने केलिये ऐसे अधिकारी से भी है जो जिला उद्योग अधिकारी के पद से निम्न न हो ।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 के उप खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय :--

"(च) 'लाइसेंस अधिकारी' का तात्पर्य निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, उत्तर प्रदेश से है तथा इसके अन्तर्गत निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस अधिकारी के किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये ऐसे अधिकारी से भी है जो जिला उद्योग अधिकारी के पद से निम्न न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 3

लाइसेन्स प्राधिकारी की नियुक्ति

3--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, लाइसेन्स प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है और उनकी अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमा भी परिनिश्चित कर सकती है ।

श्री हुकम सिंह—
मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—
ठीक है ।

प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खंड 4

फल पौधशाला का कारोबार चलाने पर निर्बन्धन

4—(1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के पश्चात् या उस दिनांक से जब वह किसी फल पौधशाला का प्रथम बार स्वामी बनता है, उनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, छः माह की समाप्ति के पश्चात्, सिवाय इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेन्स के निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन और उनके अनुसार, फल पौधशाला का कारोबार संचालित नहीं करेगा और न उसे जारी रखेगा ।

(2) जहां एक व्यक्ति के स्वामित्व में एक से अधिक फल पौधशाला हो, चाहे एक ही नगर या ग्राम में या विभिन्न नगरों या ग्रामों में वहां ऐसी प्रत्येक फल पौधशाला के सम्बन्ध में अलग-अलग लाइसेन्स दिये जायेंगे ।

श्री हुकम सिंह—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड 4 के उपखंड (1) में शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "तीन माह" रख दिये जायं ।

श्री चेतराम गंगवार—
स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि खंड 4 के उपखंड (1) में शब्द "छः माह" के स्थान पर शब्द "तीन माह" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 4 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 व 13

लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र

5—(1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स केलिये प्रत्येक आवेदन-पत्र, लाइसेन्स प्राधिकारी को विहित प्रपत्र में, और विहित फीस के साथ दिया जायेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा, यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि—

(क) वह फल पौधशाला ऐसे फल के पौधों के, जिनके सम्बन्ध में लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदन किया गया है, उचित उत्पादन के उपयुक्त नहीं है ;

(ख) आवेदक ऐसी फल पौधशाला को संचालित करने के लिए सक्षम नहीं है ;

(ग) आवेदन-पत्र के साथ विहित फीस नहीं दी गई है ;

(घ) आवेदक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ है ।

लाइसेंस की अवधि और उसका नवीकरण

6--(1) धारा 5 के अधीन दिया गया लाइसेंस ऐसी अवधि के लिए विधि मान्य होगा जो विहित की जाय और उसको इस निमित्त आवेदन-पत्र देने और विहित फीस देने पर लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है जो विहित की जाय ।

(2) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई लाइसेन्स नवीकृत नहीं किया जायगा, यदि लाइसेन्स प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि :--

(क) धारा 5 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई आधार विद्यमान हैं ;

(ख) लाइसेन्सधारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या लाइसेन्स के निबन्धनों और शर्तों के किसी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है ।

लाइसेन्स का निलम्बन और रद्द किया जाना

7--(1) इस अधिनियम के अधीन दिया गया लाइसेन्स निलम्बित या रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेन्स प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि :--

(क) धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई आधार वर्तमान है ; या

(ख) लाइसेन्सधारी ने फल पौधशाला पर कब्जा या नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः छोड़ दिया है या उसे चलाना बन्द कर दिया है ।

(2) जहां कोई लाइसेन्स निलम्बित या रद्द किया जाय वहां लाइसेन्सधारी उसके लिये न तो किसी प्रतिकर का और न लाइसेन्स के लिये अपने द्वारा दी गई किसी फीस की वापसी का हकदार होगा ।

आदेश में कारण दिये जायेंगे

8--(1) धारा 5 के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने का, या धारा 6 केअधीन लाइसेन्स का नवीकरण करने से इन्कार करने का, या धारा 7 के अधीन लाइसेन्स को निलम्बित या रद्द करने का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और उसमें उसके समर्थन में कारण दिये जायेंगे, और ऐसा प्रत्येक आदेश आवेदक या सम्बद्ध लाइसेन्सधारी को संसूचित किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश देने के पूर्व लाइसेन्स प्राधिकारी, यथास्थिति, आवेदक या लाइसेन्सधारी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

लाइसेन्स की दूसरी प्रति

9--जहां कोई लाइसेन्स खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय, वहां लाइसेन्स प्राधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर, लाइसेन्स की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

अपील

10--(1) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने के, या धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन उसे नवीकृत करने से इन्कार करने के, या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने के लाइसेन्स प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है :

परन्तु अपील प्राधिकारी इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलार्थी अपील को समय पर पर्याप्त कारणवश दायर नहीं कर सका था।

(2) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देनेके पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश देगा जिसे वह उचित समझे।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, धारा 11 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।

राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने की शक्ति

11--(1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन-पत्र देने पर, किसी भी समय, इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे :

परन्तु राज्य सरकार, धारा 11 के अधीन किसी अपील के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी अपील के लिये निर्धारित समय--सीमा की समाप्ति के पूर्व, इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी :

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में, जिसमें राज्य सरकार स्वप्रेरणा से किसी मामले का अभिलेख मंगाती है, इस धारा के अधीन कोई आदेश, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब तक नहीं देगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर न दिया गया हो।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा।

लाइसेन्स धारी के कर्त्तव्य

12--प्रत्येक लाइसेन्सधारी:--

(क) उत्पादन और विक्रय के लिये उपरोपिका या मूल वृन्त से सम्बन्धित, लाइसेन्स में विनिर्दिष्ट किस्मों में से केवल ऐसी किस्मों के ही फल के पौधे लगायेगा जैसा लाइसेन्स प्राधिकारी निर्देश दे ;

(ख) प्रत्येक मूल वृन्त और प्रत्येक उपरोपिका के मूल या स्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी जायेंगी :--

(1) प्रयुक्त मूल वृन्त का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो ;

(2) फल के पौधों को उगाने में प्रयुक्त उपरोपिका वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो;

(ग) फल के पौधों के उत्पादन के लिये प्रयुक्त पौध शाला स्थल और पित्तृ वृक्ष को भी कीट, नाशिकीट और पौधों के रोगों से मुक्त रखेगा ;

(घ) फल के पौधे ऐसी रीति से तैयार करेगा जैसा लाइसेंस प्राधिकारी निर्देश दे ;

(ङ) विक्रय के लिये अभिप्रेत किसी पैकेज में अवेष्टित प्रत्येक किस्म के फल के पौध का नाम और विहित रीति में यथा अवधारित उसकी आयु, उसके लेबिल पर स्पष्टरूप से विनिर्दिष्ट की जायेगी ;

(च) विक्रय या वितरण के लिये केवल ऐसे फल के पौधे देगा जो किसी प्रकार के कीट, नाशिकीट या पौधों के रोग से पूर्णतया मुक्त हों।

लाइसेंसधारी/लेखा-बही, रजिस्टर आदि रखेगा

13--प्रत्येक लाइसेंसधारी ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से लेखा-बही रजिस्टर और अभिलेख रखेगा, जो विहित की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 14

कतिपय फल के पौधों को आयात-निर्यात या परिवहन को विनियमित या प्रतिषिद्ध करने की राज्य सरकार की शक्ति

14--राज्य सरकार, राज्य के किसी भाग में उगाये गये किसी फल के पौधे की विशेषता को बनाये रखने या हानिकारक कीट, नाशिकीट या पौधों के रोग से उनका संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, अज्ञात नसल (अभिजाति) के या किसी सांक्रामिक या सांसर्गिक नाशिकीट या रोग से प्रभावित किन्हीं फल के पौधों को राज्य या उसके किसी भाग में लाने या उसके बाहर ले जाने, या राज्य के भीतर उनका परिवहन करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकती है।

श्री अध्यक्ष--

इसमें जो संशोधन है उस पर भी राष्ट्रपति महोदय की इजाजत नहीं है। इसलिये यह पेश नहीं किया जा सकता है। अतः प्रश्न यह है कि खंड 14 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 15

शास्ति

15--जो कोई भी इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध-दोष होने पर जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

श्री अध्यक्ष--

इसमें जो संशोधन है वह संशोधित दूसरा आया है। इससे तो यह अच्छा होगा कि आप 10 हजार की जगह 5 हजार तक पढ़ दें तो इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्री हुकम सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"15—शास्ति—जो कोई भी अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्धदोष होने पर जुर्माने से, जो रु0 5,000 तक हो सकता है, अथवा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।"

श्री चेतराम गंगवार—

स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 15 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :—

"15—शास्ति—जो कोई भी अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्धदोष होने पर जुर्माने से, जो रु0 5,000 तक हो सकता है, अथवा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 15 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 16, 17, 18, 19, 20, 21 व 22

16—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला कम्पनियों व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस द्वारा अपराध कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये दोषी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ :—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का संज्ञान

17--इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए; सिवाय लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी शिकायत पर, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जायगा ।

लाइसेंस प्राधिकारी की शक्ति

18--लाइसेंस प्राधिकारी:--

(क) किसी लाइसेंसधारी से उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाई जा रही फल पौधशाला के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह विनिर्दिष्ट करे ।

(ख) अपना यह समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है, किसी फल पौधशाला में प्रवेश कर सकता है और उसका और उसमें स्थित फल के पौधों का और उससे सम्बन्धित लेखा-बही और अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है;

(ग) फल के पौधों का नमूना ले सकता है और उनका विश्लेषण, परीक्षण या जांच इस प्रयोजन के लिये निश्चित की गई किसी प्रयोगशाला में करा सकता है ।

सद्भाव से किये गये कार्य का संरक्षण

19--(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जा सकेगी ।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात से हुई या सम्भावित क्षति के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

आदेश विषयक अपवाद

20--इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

राज्य सरकार द्वारा निर्देश

21--लाइसेन्स प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में नीति सम्बन्धी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर जारी करे ।

नियम

22--इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के लिये कोई नियम भी है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 1; प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरप्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश राज्य में फल पौधशालाओं को लाइसेन्स देने और उनके विनियमन का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चेतराम गंगवार--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) विधेयक, 1976 यथा संशोधित पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976†

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय। श्रीमन्, बहुत दिनों से इन्तजार था और यह बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है क्योंकि बहुत से गरीबों को साहूकार लोग परेशान किया करते थे तो उसके निवारण के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें कुछ खास खास शर्तें हैं। एक तो यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई लेन-देन नहीं कर सकेगा। दूसरे, व्याज की दर भी निश्चित की गयी है। अगर कोई आदमी बिना रजिस्ट्रेशन के काम करेगा और नाजायज सूद लेगा तो यह दण्डनीय होगा। साथ ही एक साल के बाद उसको अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यु कराना होगा। यही इसमें खास-खास प्राविधान हैं। आशा है सदन इसको मंजूर करेगा।

*श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)--

मैं माननीय मंत्री जी को इस अधिनियम को सदन के सामने लाने के लिये बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन ऋण मुक्ति अध्यादेश के बाद से ग्रामीण अंचलों में जो समस्याएं

---

†27 अप्रैल, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकुमार यादव]

उठ खड़ी हुई हैं, उनकी तरफ शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सदन म आश्वासन दिया गया था कि लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये कारगर कदम उठाये जायेंगे लेकिन ग्रामीण अंचलों में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इससे लोगों के सामने कठिनाई पैदा हो गयी है। अन्देशा है कि इस विधेयक के बाद लोग कानून की गिरफ्त से बचने के लिये इस धंधे को कतई बन्द कर दें। इससे वहां और भीषण समस्या पैदा हो जायगी। इसलिये जहां मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं वहीं यह मांग करता हूं कि इस कानून के पास होने के बाद या इसके साथ ही साथ कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर देनी चाहिये जिससे लोगों को ऋण सम्बन्धी कठिनाई न हो। मान्यवर, बहुत से ऐसे अधिनियम होते हैं जिनका इस सदन की और सरकार की भावना के विपरीत प्रचार होता है। जब कर मुक्ति अध्यादेश लागू हुआ तो इस प्रदेश के तमाम साहूकार और सूद पर जीने वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कर्जा लेना है तो इन्दिरा गांधी से लो, बहुगुणा जी से लो। अब लोग कहेंगे कि स्वामी प्रसाद सिंह से लो। इसलिये इसके साथ ही साथ कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर देनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, देहातों में बहुत से ऐसे साहूकार हैं जो कर्ज के रूप में नकद रुपया देते हैं। कुछ लोग जमानत के रूप में काश्तकारों से उनकी दो एक बिस्वा जमीन को बन्धक के रूप में भी रख लेते हैं। वे अपनी तरफ से उसको जुताते बुवाते हैं और सूद के रूप में उसकी पैदावार को ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी साहूकार हैं जो जमानत के रूप में गरीब काश्तकारों और मजदूरों से उनके छोटे मोटे गहनों को जमानत के रूप में रख लेते हैं जिसमें बड़ी गड़बड़ियां की जाती हैं। गहने का वजन कितना होता है, इसकी कोई रसीद भी उनको नहीं मिलती है। हमारे जिले में इस प्रकार की कई घटनायें हो चुकी हैं कि जब जमा करने वाले साहूकार के पास दो एक बोरा गहने हो गयें तो उसने उन गहनों को अपने यहां से खिसकवा दिया और थाने में रिपोर्ट कर दी। उन गरीब काश्तकारों और मजदूरों को उसके बदले में कोई भी मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि नगद रुपया देने वाले साहूकार के ऊपर नियंत्रण तो लगाया ही जाय साथ ही जो गहने आदि गिरवी रखते हैं उसकी सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। कभी-कभी तो साहूकार चांदी के गहनों को दूसरी धातुओं के गहने के रूप में भी बदलवा देते हैं। सूद के साथ ही साथ इन चीजों की भी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि ये साहूकार गरीब काश्तकारों और मजदूरों का शोषण करते हैं, उस पर रोक लगाई जा सके।

*श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह स्वागत योग्य विधेयक है जो कि राजस्व मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि कर्ज देने का एक तरीका उगाही भी है जिसको लखनऊ के रस्तोगी पूरे प्रदेश में फैलाये हैं। ये लोग 10 के स्थान पर 15 वसूल करते हैं। विधेयक की धारा 14 में दिया है कि अगर इस प्रकार से कर्ज के रूप में जो रकम दी जायेगी अगर वह 1000 रु0 से अधिक ह तो वह चेक के द्वारा दी जायेंगी। कितने आदमी हजार रुपये से ऊपर कर्जा ले रहे हैं और अगर उनको लेना होगा तो वे बैंक से लेंगे। पहली चीज तो यह है कि यह साबित करना ही कठिन है कि यह व्यक्ति साहूकारी का काम कर रहा है और फिर छोटी-छोटी रकमें कर्ज में दी जाती हैं। धारा 10 में कहा गया है कि इस तरह का साहूकार रजिस्ट्री करवायेगा। उसको बाद में अपराध माना गया है और धारा 22 के अन्दर ऐसे आदमी को दंडित किया जायगा तथा जुर्माना किया जायगा। चेक वाले मामले में तो बात साबित हो जायगी, लेकिन हजार से नीचे जो कर्जा बगैर चेक के दिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगा उनके खिलाफ कार्यवाही करना मुश्किल हो जायगा। धारा 22 के अन्तर्गत आदमी सीधे न्यायालय में नहीं जा सकता बल्कि उसे रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी तभी कोर्ट उसकी कागनिजेन्स ले सकेगी। हर छोटा मोटा आदमी रजिस्ट्रार के यहां जाकर पूर्व स्वीकृति ले यह जरा मुश्किल बात है। यह पैनाल्टी क्लाज जो रखा गया है इसमें रजिस्ट्रार तथा बड़े-बड़े साहूकारों का मामला तो फिट हो जाता है लेकिन गरीब आदमी जो छोटे-मोटे कर्ज लेता है उसके सामने दिक्कत पेश आयेगी।

श्री अध्यक्ष--

आपने उसे समझा नहीं। हजार रुपये वाली बात अलग है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जैसा माननीय सदस्य ने कहा राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और छोटे-छोटे जो कर्जदार हैं उनके लिये सोसाइटीज तथा बैंक्स का प्रबन्ध किया जा रहा है ताकि छोटे किसानों को कर्ज लेने में परेशानी न हो। दूसरी जो बात कही गयी कि एक हजार रुपये का तो चेक से भुगतान किया जायगा लेकिन छोटे कर्जदारों का भुगतान चेक से इसलिये नहीं रखा गया है क्योंकि चेक के भुनाने में उनको दिक्कत होगी। जहां तक अदालत की कागनिजेन्स की बात है यह रजिस्ट्रार स्वयं करेगा, लोगों को अदालत में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 18

2--(1) इस अधिनियम की कोई बात-- **अपवाद**

(क) किसी बैंक या सहकारी समिति पर,

(ख) किसी उधार या अग्रिम पर जो सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य परिनियत निगम, या सार्वजनिक कम्पनी (जैसा कि वह कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिभाषित है) या सरकारी डाकघर बचत बैंक को या उसके द्वारा दिया जाय या किसी निक्षेप पर जो उसके यहां रखा जाय,

(ग) कोई प्रतिभूति जिसमें कोई न्यासी न्यास धन का विनियोजन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कर सकता है उसके क्रय या विक्रय या अन्य अन्तरण पर (जिसके अन्तर्गत स्थावर सम्पत्ति का बन्धक नहीं है),

(घ) कोई भविष्य निधि जिस पर प्राविडेन्ट फंड ऐक्ट, 1925 लागू होता है या कोई मान्यता प्राप्त भविष्य निधि जैसा कि वह आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (38) में परिभाषित है या कोई लोक भविष्य निधि जो लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के अधीन स्थापित की गयी है उसके अभिदाता या जमाकर्ता को, निधि में उसके नाम जमा राशि से ऐसे निधि के नियमों के अनुसार दिये गये किसी उधार पर,

(ङ) उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 की धारा 3 में निर्दिष्ट किसी करार पर,

(च) किसी उधार अग्रिम या निक्षेप पर जो किसी हुंडी या अन्य विनियमन पत्र पर (जैसा कि वहां पर क्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 में परिभाषित है) या माल पर हक की दस्तावेज पर (जैसा कि वह माल विक्रय अधिनियम, 1930 में परिभाषित है) दिया जाय,

(छ) किसी उधार या अग्रिम पर जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के या किसी सार्वजनिक धर्मार्थ या पुण्यार्थ उद्देश्य से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या एसोसियेशन को या उसके द्वारा दिया जाय या किसी निक्षेप पर जो उनको दिया जाय,

(ज) किसी उधार पर जो किसी सरकारी सेवक को ऐसे सेवकों के कल्याण या सहायता के लिये स्थापित किसी निधि से दिया जाय और जो सरकार द्वारा स्वीकृत हो, और उसके सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(2) धारा 12 की कोई बात किसी रजिस्ट्रीकृत साहूकार या किसी संविदाकार या कोई वृत्ति, व्यापार या उद्योग करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उधार दी गयी पांच हजार रुपय से अधिक राशि के सम्बन्ध में लागू न होगी।

परिभाषायें

3--इस अधिनियम में--

(1) बैंक का तात्पर्य निम्नलिखित से है :--

(क) बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 में परिभाषित कोई बैंककारी कम्पनी;

(ख) स्टेट बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक आफ इंडिया;

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया (सब्सीडियरी बैंक) ऐक्ट, 1959 में परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक;

(घ) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन गठित "तत्समान नया बैंक";

(ङ) रीजनल रूरल बैंक ऐक्ट, 1976 की धारा 3 की उपधारा (i) के अधीन स्थापित रीजनल रूरल बैंक;

(च) बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 51 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बैंककारी संस्था, या

(छ) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बैंक के रूप में अधिसूचित कोई अन्य बैंककारी या वित्तीय संस्था।

(2) "साहूकारी कारबार" का तात्पर्य उधार देने के कारबार से है चाहे वह किसी अन्य कारबार के सम्बन्ध में हो या उसके अतिरिक्त हो या न हो,

(3) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में परिभाषित सहकारी समिति से है,

(4) "ब्याज" के अन्तर्गत उधार के सम्बन्ध में कोई ऐसी धनराशि है चाहे उसका नाम कुछ भी हो, जो उधार के प्रतिफलार्थ या अन्यथा उसके सम्बन्ध में साहूकार को मूलधन के अतिरिक्त दी गई या देय हो, किन्तु उसके अन्तर्गत साहूकार द्वारा खर्च, प्रभार या व्यय के लिये या उसके कारण इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विधिपूर्वक ली जाने वाली कोई धनराशि नहीं है;

(5) "उधार" का तात्पर्य नकदी या जिन्सी व्याज पर दी जाने वाली राशि से है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा समव्यवहार है जो तत्वतः उधार हो किन्तु उसके अन्तर्गत किसी माल का ऐसे माल के व्यापारी द्वारा साख पर या अवक्रय पर विक्रय नहीं है ;

(6) "साहूकार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो साहूकारी का कारबार करता हो;

(7) "मूलधन" का तात्पर्य किसी उधार के सम्बन्ध में, ऋणी को वस्तुतः दी गयी धनराशि से है ;

(8) "रजिस्ट्रीकरण" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण से है, और "रजिस्ट्रीकृत" का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा ।

अध्याय 2

अधिकारियों की नियुक्ति

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

4--(1) राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित करके, एक प्रधान रजिस्ट्रार, साहूकारी (जिसे आगे प्रधान रजिस्ट्रार कहा गया है) जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगी, और उतने साहूकारी रजिस्ट्रार (जिन्हें आगे रजिस्ट्रार कहा गया है) या, साहूकारी उप-रजिस्ट्रार (जिन्हें आगे उप रजिस्ट्रार कहा गया है) और साहूकारी सहायक रजिस्ट्रार (जिन्हें आगे सहायक रजिस्ट्रार कहा गया है) जितने वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है और उनमें से प्रत्येक की अधिकारिता ऐसे क्षेत्र में होगी जो निर्दिष्ट की जाय ।

(2) प्रधान रजिस्ट्रार का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार पर इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में होगा ।

लेखा और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति

5--प्रधान रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार को किसी भी व्यक्ति द्वारा किये जा रहे साहूकारी के कारबार के लेखों और अन्य अभिलेखों के सम्बन्ध में निरीक्षण करने की शक्ति, और ऐसी अन्य शक्ति होगी जो विहित की जाय ।

साहूकारों का रजिस्टर

6--प्रत्येक रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत क्षेत्र के लिये साहूकारों का एक रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में रखेगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे जो विहित किये जायं।

अध्याय 3

साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

7--(1) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक पर साहूकारी का कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति वह कारबार उत्तर प्रदेश के किसी भाग में ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् करना चाहता है, तो वह, जिस रजिस्टर की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके कारोबार का मुख्य स्थान स्थित हो, उसको और जहां उसके कारबार का मुख्य स्थान उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है वहां किसी रजिस्ट्रार को जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उसके द्वारा कारबार किया जाय या करना प्रस्तावित हो, इस अधिनियम के अधीन साहूकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले से उक्त कारबार करने वाला कोई व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास के भीतर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र दे सकता है।

(2) आवेदन-पत्र ऐसे प्रपत्र में होगा और उसमें ऐसे ब्योरे दिये जायेंगे और उसके साथ ऐसी फीस जमा की जायगी जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा, जो विहित किये जाएं।

(3) रजिस्ट्रार अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि आवेदन-पत्र उपधारा (2) की अपेक्षाओं के अनुरूप है, और आवेदक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध धारा 16 या 22 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तत्समय प्रवृत्त है, उसका नाम और अन्य ब्योरे धारा 6 में निर्दिष्ट साहूकार रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसे विहित प्रपत्र में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र देगा।

(4) ऐसा प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मान्य होगा और जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन पहले ही निरस्त या निलम्बित न कर दिया जाय, अपने प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा, और साहूकार ऐसी फीस देने पर, जो विहित की जाय, अपने प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये हकदार होगा जब तक कि रजिस्ट्रार पर्याप्त कारण से प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार न करे परन्तु किसी प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि साहूकार को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का निरसन और निलम्बन

8--(1) रजिस्ट्रार किसी भी समय, पर्याप्त कारणवश, धारा 7 के अधीन दिये गये रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को निरस्त या निलम्बित कर सकता है :

परन्तु किसी प्रमाण–पत्र को निरस्त करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि साहूकार को कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का कोई प्रमाण–पत्र निलम्बित या निरस्त किया जाय वहां कोई व्यक्ति किसी प्रतिकर या किसी रजिस्ट्रीकरण फीस को वापस पाने का हकदार न होगा।

अपील

9––धारा 7 के अधीन प्रमाण–पत्र न देने या धारा 8 के अधीन उसे निरस्त या निलम्बित करने के रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रधान रजिस्ट्रार को उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है जो उस पर ऐसा आदेश देगा जिसे वह उचित समझे।

अध्याय 4

साहूकार के कर्त्तव्य और दायित्व

साहूकारी के कारबार पर निर्बन्धन

10––(1) कोई व्यक्ति साहूकारी का कारबार नहीं करेगा जब तक कि उसके पास रजिस्ट्रीकरण का मान्य प्रमाण–पत्र न हो:

परन्तु धारा 7 की उपधारा (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट व्यक्ति इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए उक्त परन्तुक में उल्लिखित अवधि पर्यन्त और तत्पश्चात् जब तक कि रजिस्ट्रीकरण के लिये उसका आवेदन–पत्र अस्वीकृत न कर दिया जाय कारबार करता रहेगा।

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत साहूकार अपने रजिस्ट्रीकृत प्रमाण–पत्र का प्रदर्शन ऐसी रीति से करेगा जो विहित की जाय।

नकद परिसम्पत्ति का अनुरक्षण

11––(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत साहूकार जो अमानत के रूप में जनता से धन का उद्ग्रहण करता है द्रव्य सम्पत्ति (लिक्विड असेट्स) के रूप में ऐसी राशि को सुरक्षित रखेगा जो कारबार की समाप्ति पर किसी दिन ऐसे अमानतों के सम्बन्ध में उसके परिशोधनीय दायित्व के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई साहूकार किसी समय ऐसे अप्रतिभूत उधार में जो किसी भी दिन कारबार बन्द करने पर उसके पास जमा धनराशि के पचास प्रतिशत या उसके द्वारा अनुरक्षित नकद परिसम्पत्तियों के दुगुने से अधिक धनराशि जो भी अधिक हो, विनियोजित नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिये, साहूकार के सम्बन्ध में पद "द्रव्य सम्पत्ति" का तात्पर्य निम्नलिखित से है :––

(क) साहूकार के पास रोकड़ बाकी; या

(ख) किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाता या किसी अन्य निक्षेप लेखे में उसके द्वारा धृत कोई धनराशि, या

(ग) स्थावर सम्पत्ति के बन्धक को छोड़कर ऐसे भारमुक्त प्रतिभूतियों में उसके द्वारा विनियोजन जिसमें कोई न्यासी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन न्यास धन का विनियोजन कर सकता है।

ब्याज की अधिकतम दर

12--(1) कोई साहूकार, तत्समय प्रवृत्त किसी बिक्री, आदेश, रूढ़ि, संविदा या लिखित या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् दिया गया हो, ऐसी दर से अधिक दर पर ब्याज लेने का हकदार न होगा जिसे उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित किया जाय।

(2) राज्य सरकार, वाणिज्यिक उधार के लिये अनुसूचित बैंकों द्वारा सामान्यतया ली जाने वाली ब्याज की दर पर विचार करने के पश्चात् ब्याज की अधिकतम दर अधिसूचित कर सकती है जो साहूकार ले सकता है :

परन्तु प्रतिभूत और अप्रतिभूत उधार के लिये भिन्न-भिन्न दर अधिसूचित की जा सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित ब्याज की दर में किसी परिवर्तन से ऐसे परिवर्तन के पूर्व दिये गये किसी उधार के सम्बन्ध में ब्याज के किसी दावे की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साहूकार के कर्त्तव्य

13--(1) प्रत्येक साहूकार:--

(क) अपने साहूकारी के कारबार के दौरान दिये गये किसी उधार के साक्ष्यस्वरूप प्रत्येक दस्तावेज में--

(i) वास्तविक मूलधन, और

(ii) अपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या, उल्लिखित करेगा या करायेगा ;

(ख) ऐसा लेखा, प्रपत्र और रजिस्टर रखेगा, जो विहित किये जाएं, और रजिस्ट्रार को ऐसी नियतकालिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जो विहित की जाएं;

(ग) ऋणी या उसके एजेन्ट द्वारा किये गये प्रत्येक भुगतान के लिये उसे कम से कम एक साक्षी द्वारा अभिप्रमाणित रसीद देगा, और

(घ) विहित प्रभार का भुगतान करने पर, ऋणी को ऐसा दस्तावेज या वार्षिक लेखा-विवरण देगा जो विहित किये जाएं।

(2) कोई ऋणी जिसे उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोई दस्तावेज या लेखा-विवरण दिया गया हो, उसकी सत्यता को अभिस्वीकार या अस्वीकार करने के लिये बाध्य न होगा और उसके द्वारा ऐसा न करना स्वतः उसकी सत्यता को स्वीकार कर लेना नहीं समझा जायगा।

कतिपय उधार केवल चेक द्वारा दिया जायगा

14--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी साहूकार द्वारा दिया जाने वाला प्रत्येक उधार, यदि ऐसे उधार की धनराशि एक हजार रुपये या इससे अधिक हो, चेक द्वारा दिया जायगा।

(2) उपधारा (1) के उल्लंघन में दिये गये किसी उधार के सम्बन्ध में साहूकारी का प्रत्येक संव्यवहार शून्य होगा।

अध्याय 5

वाद-प्रक्रिया

साहूकार के दावों का प्रोज्य विशेष उपबन्ध

15-(1) इस धारा के उपबन्ध--

(क) किसी साहूकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् दिये गये उधार की वसूली के लिये,

(ख) किसी साहूकार द्वारा किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व दिया गया हो या उसके पश्चात् इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् ली गयी किसी प्रतिभूति या किये गये किसी करार को, चाहे वह लेखा परिशोधन के रूप में या अन्य प्रकार से हो, प्रवृत्त करने के लिये,

(ग) किसी साहूकार के विरुद्ध किसी उधार के सम्बन्ध में, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् दिया गया हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् उसे दी गयी किसी प्रतिभूति के मोचन के लिये,

प्रत्येक वाद पर, चाहे उसकी सुनवाई एक पक्षीय की जाय या अन्य प्रकार से, लागू होंगे ।

(2) किसी ऐसे वाद में, यदि न्यायालय को यह प्रतीत हो कि साहूकार का दावा, पूर्णतः या अंशतः असत्य है, और यह कि साहूकार ने धारा 13 की उपधारा (1) की किसी भी अपेक्षा का पालन करने में चूक की है तो न्यायालय उसे वाद-व्यय का दिया जाना अस्वीकार कर देगा और उसे देय सम्पूर्ण ब्याज या उसके किसी भाग को भी अस्वीकृत कर सकता है, और जहां इस अपेक्षा के विषय में चूक की गयी है कि उधार विषयक किसी भुगतान के लिये ऋणी को रसीद दी जायगी या जहां साहूकार द्वारा मूल धन को सही नहीं बताया गया है, वहां न्यायालय मूलधन के किसी भाग को भी अस्वीकार कर सकता है ।

वाद आदि निर्णीत करने वाले न्यायालय द्वारा प्रमाण-पत्र का निरसन या निलम्बन

16--(1) धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी बात में, यदि न्यायालय की यह राय हो कि साहूकार ने इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है, तो वह उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर सकता है या ऐसी अवधि के लिये, जो विनिर्दिष्ट की जाय, निलम्बित कर सकता है ।

(2) कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय जिसके यहां किसी ऐसे वाद के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया हो, कारण अभिलिखित करके उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह उचित समझे स्थगित कर सकता है, और ऐसे आदेश का परिष्कार या अभिशून्यन कर सकता है ।

धारा 16 और 22 के अधीन आदेशों के संबंध में सामान्य उपबन्ध

17--(1) धारा 16 या धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश देने वाला न्यायालय अपने आदेश की एक प्रतिलिपि उस रजिस्ट्रार को भेजेगा, जिसने उक्त प्रमाण-पत्र जारी किया हो और रजिस्ट्रार तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करेगा ।

(2) धारा 15 की उपधारा (2), धारा 16 और धारा 22 के उपबन्धों में से प्रत्येक उपबन्ध, उक्त उपबन्धों में से किसी भी अन्य उपबन्ध के अतिरिक्त है और उनमें से किसी अन्य उपबन्ध का अल्पीकारक न होगा ।

साहूकारों के कतिपय वादों पर रोक

18--किसी साहूकार द्वारा धारा 15 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी उधार, करार या प्रतिभूति के आधार पर कोई वाद संस्थित न किया जा सकेगा जब तक कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् कोई ऐसा उधार देने या करार करने या प्रतिभूति लेने के समय उसके पास रजिस्ट्रीकरण का मान्य प्रमाण-पत्र न हो :

परन्तु ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किसी दिये गये उधार, किये गये करार या ली गई प्रतिभूति के प्रवर्तन के लिये कोई वाद संस्थित किया या जारी रखा जा सकता है यदि साहूकार ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर धारा 7 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करता है और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र उसे जारी किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तथा 18 इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 19

वाद संस्थित किये जाने का स्थान

19---तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा या किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी साहूकार द्वारा उत्तर प्रदेश में वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करने वाले या कोई कारबार करने वाले या लाभ के लिये स्वयं कार्य करने वाले व्यक्ति को दिये गये किसी उधार या उसके संबंध में देय ब्याज की वसूली के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् वाद केवल ऐसे न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऋणी निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिये कार्य करता है, न कि किसी अन्य न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है ।

श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड 19 में निम्नांकित परन्तुक जोड़ दिया जाय--

"परन्तु सह-ऋणी की स्थिति में, वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई सह-ऋणी निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिये कार्य करता है ।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 19 में निम्नांकित परन्तुक जोड़ दिया जाय--

"परन्तु सह-ऋणी की स्थिति में, वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जायेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई सह-ऋणी निवास करता है या कारबार करता है या लाभ के लिये कार्य करता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 19 इस विधेयक का अं माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 20 से 31

अध्याय 6

ऋणी द्वारा धनराशि का जमा किया जाना

साहूकार को देय धनराशि का न्यायालय में जमा किया जाना

20—(1) कोई ऋणी अपने द्वारा साहूकार को किसी उधार के सम्बन्ध में मूलधन, ब्याज या दोनों के रूप में देय धनराशि का निविदा साहूकार को कर सकता है, भले ही वह धनराशि देय हो चुकी हो या नहीं।

(2) यदि साहूकार, इस प्रकार निविदत्त कोई धनराशि स्वीकार न करे तो ऋणी उस धनराशि को मुन्सिफ के न्यायालय में जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता हो, उस साहूकार के नाम जमा कर सकता है।

(3) तदुपरांत न्यायालय जमा की गयी धनराशि का लिखित नोटिस साहूकार पर तामील करायेगा, और वह ऐसी याचिका देने पर, जिसमें उधार के सम्बन्ध में तत्समय देय धनराशि और उक्त धनराशि को लेने की स्वीकृति उल्लिखित होगी, उस धनराशि को प्राप्त कर सकता है और उसका विनियोजन प्रथमतः ब्याज के प्रति और अवशेष धनराशि का, यदि कोई हो, मूलधन के प्रति कर सकता है।

जमा की गई धनराशि ऋणी को भुगतान की गयी समझी जायगी

21—जहां ऋणी ने धारा 20 के अधीन कोई धनराशि न्यायालय में जमा की हो वहां ऐसी धनराशि साहूकार को भुगतान की गयी समझी जायगी, और, यथास्थिति, मूलधन या उसके भाग पर ब्याज का लगाना इस प्रकार जमा किये जाने के दिनांक से समाप्त हो जायगा।

अध्याय 7

अपराध और शास्ति

शास्ति

22—(1) धारा 10 या धारा 11 के किसी उपबन्ध का जान-बूझ कर उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी अवधि के लिये कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय उसके रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण—पत्र भी निरस्त कर सकता है या उसे ऐसी अवधि के लिये निलम्बित कर सकता है, जो विनिर्दिष्ट की जाय, और कोई अपील या पुनरीक्षण न्यायालय ऐसे किसी आदेश के प्रवर्तन को ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है और ऐसे आदेश को परिष्कृत या निष्प्रभावी कर सकता है।

(3) कोई न्यायालय, रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

ऋणी को उत्पीड़ित करने के लिये शास्ति

23--(1) जो कोई ऋणी द्वारा ऋणदाता को देय ऋण की वसूली के लिये ऋणी को उत्पीड़ित करता है या उत्पीड़ित करने के लिये दुष्प्रेरित करता है, वह दोष सिद्ध पर, दोनों में से किसी प्रकार के कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि वह व्यक्ति जो,

(एक) इस आशय से कि ऋणी को उस कार्य से, जिसे करने का उसे अधिकार है, विरत कराया जाय, या वह कार्य, जिसे विरत होने का उसे अधिकार है, उससे कराया जाय उस ऋणी का अवरोध करता है या उसके प्रति हिंसा या अभित्रास का प्रयोग करता है, या

(दो) साहूकार या साहूकार का एजेन्ट या कर्मचारी होने के नाते किसी वेतन दिवस पर उस कारखाना या कार्यालय की बाहरी सीमा या फाटक पर, जिसमें ऋणी सेवायोजित हो, या उससे पचास मीटर के अन्दर चक्कर लगाता है, वह उस ऋणी का उत्पीड़न करता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

24--(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला कोई व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने के निवारण के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इसके अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि यह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्त्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उपेक्षा जनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण:--इस धारा के प्रयोजनों के लिये--

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का समस्त अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, 'निदेशक' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का शमन

25--(1) प्रधान रजिस्ट्रार, और उसके नियंत्रण के अधीन कोई रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कार्यवाही संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध के लिए किसी दोषारोपित व्यक्ति से अपराध के शमन के रूप में एक हजार रुपये से अनधिक राशि स्वीकार कर सकता है।

(2) ऐसी राशि के भुगतान करने पर, उसी अपराध के सम्बन्ध में अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी, और यदि अभिरक्षा में हो, तो उसे उन्मुक्त कर दिया जायगा और ऐसे शमन का प्रभाव उस अभियुक्त को दोष मुक्त करना होगा, जिसके अपराध का शमन किया गया हो।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

प्रत्येक साहूकार ऋण और जमा धनराशि का ब्योरा देगा

26--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व से साहूकारी का कारबार करने वाला प्रत्येक साहूकार रजिस्ट्रार को ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर विहित प्रपत्र में विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र में, प्रत्येक साहूकार को प्राप्त ऋण और उसके पास जमा धनराशि का ब्योरा और ऐसा अन्य ब्योरा दिया जायगा जो विहित किया जाय।

(3) प्रत्येक ऐसे विवरण-पत्र पर रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षर किये जायेंगे और मुहर लगा दी जायगी और उन्हें विहित रीति से रखा और अनुरक्षित किया जायगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी संविदा, डिक्री या आदेश या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई साहूकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी उधार के सम्बन्ध में किसी ऋणी से किसी धनराशि के दावा करने का हकदार न होगा, जबतक कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण-पत्र में ऐसे ऋणी का नाम और उससे प्राप्त धनराशि विनिर्दिष्ट न हो।

आदेशों का अंतिम होना

27--(1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(2) इस अधिनियम के या इसके अधीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भाव से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोग या विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

28--राज्य सरकार, अधिसूचना प्रकाशित करके, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

ऐक्ट संख्या 10, 1918 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में निरसन

29--धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन पहली बार जारी की गयी किसी अधिसूचना के दिनांक से यूजूरिअस लोन्स ऐक्ट, 1918, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में निरस्त हो जायगा।

यू0पी0 ऐक्ट 14, 1940 का संशोधन

30--यू0 पी0 रेगुलेशन आफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट ऐक्ट, 1940 में; धारा 2 के खण्ड (1), (3) से (5) और (7) से (13), धारा 3 से 7 और 10 से 35 निकाल दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44, 1975 का निरसन

31--उत्तर प्रदेश बन्धित श्रम प्रतिषेध अधिनियम, 1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976

जनसाधारण के हित में, साहूकारी का विनियमन करने और साहूकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिये, और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976 जैसा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन विधेयक, 1976, जैसा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत चर्चाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिनमें से श्री राज किशोर तिवारी और श्री ऊदल द्वारा दी गई सूचनायें स्वीकार की गई हैं। जौनपुर जिले के मड़ियाहूं तहसील के रामपुर विकास क्षेत्र, रामनगर विकास क्षेत्र एवं बरसठी विकास क्षेत्र में तथाकथित पेयजल के संकट से उत्पन्न कठिनाइयां और वाराणसी जिले की विभिन्न तहसीलों में पेयजल के संकट से उत्पन्न कठिनाइयां--शासन इन दोनों को एक में करके उत्तर देगा।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
29 अप्रैल, 1976।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 358 पर)

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना (डेरापुर विकास खंड के लिये)

क्रम-संख्या	मद	योजना के अन्तर्गत प्राविधान	योजना के अन्तर्गत प्रगति
1	2	3	4
1	गावों का विद्युतीकरण (संख्या) ..	67	..
2	एच0 टी0 लाइनों का निर्माण (कि0मी0) ..	163.9	47.9
3	एल0टी0 लाइनों का निर्माण (कि0मी0) ..	196.5	0.895
4	गांवों में विद्युत पंखा हेतु कनेक्शन (संख्या) ..	2074	..
5	गांवों में औद्योगिक हेतु कनेक्शन (संख्या) ..	113	..
6	गांवों में निजी नलकूप हेतु कनेक्शन (संख्या) ..	563	4
7	गांवों में सड़क प्रकाश हेतु बल्ब (संख्या) ..	580	..
8	हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण (संख्या) ..	67	..

(2) हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक योजना (झींझक एवं रसूलाबाद विकास खंडों के लिये)

1	2	3	4
1	गावों का विद्युतीकरण (संख्या)	123	7
2	एच0टी0 लाइनों का निर्माण (कि0मी0) ..	205.54	75.833
3	एल0टी0 लाइनों का निर्माण (कि0मी0) ..	278.30	5.07
4	गांवों में विद्युत पंखा हेतु कनेक्शन (संख्या) ..	1977	..
5	गांवों में औद्योगिक कनेक्शन (संख्या) ..	241	..
6	गांवों में निजी नलकूप हेतु कनेक्शन (सं0) ..	658	15
7	गांवों में मार्ग प्रकाश हेतु बल्ब (संख्या) ..	1100	..

इस योजना के अन्तर्गत 3 हरिजन बस्तियों का भी विद्युतीकरण कर दिया गया है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत शेष कार्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि डेरापुर विकास खंड, झींझक एवं रसूलाबाद विकास खंड के उपभोक्ता कनेक्शन लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में आगे नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही आवश्यक मात्रा में आवेदन पत्र 25 रु0 अग्रिम धनराशि के साथ प्राप्त हो जायेंगे और आवश्यक प्रति लाभ प्राप्त हो जायेगा वैसे ही इन ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य सम्पन्न कर दिया जायेगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 359 पर।)

संलग्नक

क्रम-संख्या	नगरमहापालिका का नाम	बकाया कर्जे की धनराशि (रुपयों में)	अतिदेय (ओवर-ड्यूज) ऋण की धन-राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1	वाराणसी (31-3-76 को)	2,12,06,290	43,04,729
2	आगरा (31-3-76 को)	2,78,48,844.34	37,56,464
3	इलाहाबाद (31-3-76 को)	3,98,81,972	54,70,444
4	कानपुर (31-3-76 को)	3,69,43,503.51	..
5	लखनऊ (1-6-75 को)	5,18,11,577.86	1,64,05,935
	योग	17,76,92,187.71	2,99,37,572

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 375 पर।)

कर्मचारियों का विवरण

पद	संख्या	कार्यरत होने की तिथि	विशेष
1	2	3	4
(1) टाउन एरिया कसया			
बख्शी ..	1	13-1-1972	
चपरासी ..	1	26-1-1972	
सफाई नायक ..	1	26-1-1972	
चौकीदार ..	1	17-2-1973	
मेहतर ..	3	26-1-1972	
,, ..	2	17-12-1972	
,, ..	1	17-10-1972	
,,	1	1-9-1973	
(2) टाउन एरिया सेवरही			
बख्शी ..	1	19-11-1971	आयु सीमा से छूट न मिलने के कारण इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है।
चपरासी ..	1	2-12-1971	
मेहतर ..	8	1-9-1971	
,, ..	1	6-2-1972	
,, ..	1	25-8-1972	
,, ..	1	1-11-1972	
,, ..	1	21-1-1974	
चौकीदार/सफाई मजदूर।	1	25-9-1973	
सफाई नायक ..	1	1-11-1972	
लैम्प लाइटर ..	1	1-11-1972	
(3) टाउन एरिया भाटपार रानी			
बख्शी ..	1	2-3-1972	
जमादार ..	1	2-3-1972	
चौकीदार ..	1	2-3-1972	
चपरासी ..	1	2-3-1972	
मेहतर ..	6	2-3-1972	

संसदीय प्रदर्शन समिति

1	2	3	4
	(4) टाउन एरिया कप्तानगंज		
बख्शी	..	1	1-4-1949
कल्र्क	..	1	1-7-1971
सफाई नायक	..	1	10-12-1944
चपरासी	..	1	1-4-1975
मेहतर	..	2	1-2-1973
,,	..	1	1-6-1973
,,	..	1	1-12-1974
,,	..	1	1-11-1975
	(5) टाउन एरिया रामकोला		
बख्शी	..	1	4-3-1960
कल्र्क	..	1	19-1-1972
सफाई नायक	..	1	1-9-1965
मेहतर	..	1	30-11-1963
,,	..	1	1-1-1972
,,	..	1	1-10-1972
,,	..	1	21-7-1966
,,	..	2	14-8-1971
गाड़ीवान	..	1	13-10-1967
जलकल सुपरवाइजर		1	21-6-1974
पम्प अटेन्डेन्ट	..	1	8-8-1968
	(6) टाउन एरिया लार		
बख्शी	..	1	17-8-1964
सफाई नायक	..	1	8-4-1963
चौकीदार	..	1	1-4-1972
मेहतर	..	1	10-10-1958
,,	..	1	15-6-1952
,,	..	1	1-12-1970
,,	..	1	1-3-1972
,,	..	1	15-4-1974
,,	..	1	1-7-1975
,,	..	1	1-6-1956
,,	..	1	1-10-1956
,,	...	1	1-1-1966
,,	..	1	1-6-1970

उत्तर प्रदेश गजट

1	2	3	4
	(7) टाउन एरिया रामपुर कारखाना		
बख्शी	..	1	टाउन एरिया से सूचना प्राप्त नहीं हुई है
सफाई नायक		1	
मेहतर	..	2	
	(8) टाउन एरिया, रुद्रपुर		
बख्शी	..	1	25-5-1964
जमादार	..	1	10-3-1967
,,	..	1	15-2-1949
चौकीदार	..	1	8-3-1973
मेहतर	..	4	15-2-1950
,,	..	2	16-12-1975
,,	..	1	16-12-1967

विधान सभा सचिवालय

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 94 वि0 सभा (197)—1976—840।